षोडश माला, खंड 13, अंक 3

सोमवार, 30 नवम्बर, 2015
9 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 3, सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 / 9 अग्रहायण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
विभिन्न दु:खद घटनाओं में जानमाल की क्षति	15-17
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	21-46
प्रश्नों के लिखित उत्तर	47
तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	
अध्यक्ष द्वारा बधाई	48
एस्ट्रोसेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 49-57

विधेयकों पर अनुमति 58

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

समय बढ़ाया जाना 59

कार्य मंत्रणा समिति

22वां प्रतिवेदन 60

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

18वें से 21वां प्रतिवेदन 60

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

7वें से 9वां प्रतिवेदन 61

नियम 377 के अधीन मामले 68-96

(एक) बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आजाद 69

(दो) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनवरी, 2015 तक स्थापित नलकूपों को नियमित करने तथा डार्क जोन श्रेणी के क्षेत्रों की समीक्षा करने की आवश्यकता

श्री सी. आर. चौधरी 70

(तीन) राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स को पुनजीर्वित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष अहलावत 71

(चार) देश में अरहर दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री अनिल शिरोले 72

(पांच) घाटकोपार-मुम्बई मेट्रो सेवा के किराये में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट सोमैया 73

(छह) उत्तराखंड के घनसाली और टिहरी गढ़वाल जिले के जिला मुख्यालय में एल पी जी एजेंसी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह 74

(सात) राजस्थान के उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा 75

(आठ) देश में बड़े पैमाने पर दूध में हो रही मिलावट को रोकने के लिये एक सरकारी निकाय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डॉ. सुभाष रामराव भामरे 76

(नौ) देश में बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 77

(दस) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान हेतु सक्सेना समिति द्वारा सिफारिश किये गए नए मानदंडों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री ओम बिरला 78-79

(ग्यारह) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पदलसरे लोअर ताप्ती परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री ए. टी. नाना पाटिल 80

(बारह) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज सह-अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 81

(तेरह) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भवताड़ा में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी खोले जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 82-83

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश वर्मा 84

(पंद्रह) देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों/संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर 85

(सोलह) तमिलनाडु के चेन्नई में सेना की भूमि पर रह रहे गरीब लोगों के उचित पुनर्वास हेतु उस भूमि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. विजय कुमार 86

(सत्रह) तमिलनाडु की लंबित नदी जल परियोजनाओं को समुचित धन आबंटन के साथ मंजूर किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. आर. सेनथिलनाथन 87

(अठारह) जूट उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न स्थिति से निपटने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 88

(उन्नीस) ओडिशा में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड सहित पारादीप की पोली-पूरोपीलिन यूनिट में भूमि से हटाए गए परिवारों के शिक्षित युवकों को तथा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि समल 89-90

(बीस) महाराष्ट्र के मुम्बई में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा मेमोरियल सेंटर के कर्मियों के स्टाफ क्वार्टरों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री राहुल शेवाले 91

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री किंजरापु राम मोहन नायडू 92

(बाईस) आंध्र प्रदेश के सूखा प्रवण प्रकाशम जिले में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु सहायता देन तथा उन्हें समुचित क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी 93

(तेईस) केरल में वाडाक्कांचेरी से मन्नूथी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 के 6 लेन निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री एम. बी. राजेश 94

(चौबीस) लक्षद्वीप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाओं को नियमित किये जाने की आवश्यकता

मोहम्मद फैज़ल 95

(पच्चीस) बिहार के दियारा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों को आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति के अध्ययन तथा रिपोर्ट दिये जाने हेतु और इन क्षेत्रों के विकास हेतु समुचित कार्रवाई किये जाने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन 96-97

(छब्बीस) हरियाणा के हिसार में एक नया रेलवे मंडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 98

(सत्ताईस) बिहार में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री कौशलेन्द्र कुमार 99

नियम 193 के अधीन चर्चा 104-137,

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति 138-188

श्री मोहम्मद सलीम 104-147

श्री के. सी. वेणुगोपाल 148-163

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 164-177

श्री दिनेश त्रिवेदी 177-185

श्री भर्तृहरि महताब 186-188

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय 142

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 30 नवंबर, 2015 / 9 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

विभिन्न दु:खद घटनाओं में जानमाल की क्षति

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक दु:खद घटना में, 12 सितम्बर, 2015 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावाड नगर में एक भवन में रखे खनन विस्फोटकों में विस्फोट हो जाने के कारण 90 व्यक्तियों के मारे जाने और कई अन्य लोगों के घायल हो जाने की सूचना मिली। एक अन्य दु:खद घटना में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देश के दक्षिणी भाग के अन्य निकटस्थ क्षेत्रों में हाल में हुई वर्षा के कारण 204 व्यक्तियों के मारे जाने और बहुत से अन्य लोगों के प्रभावित होने की सूचना मिली है।

13 नवम्बर, 2015 को पेरिस में बर्बरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 120 से आधिक निर्दोष व्यक्ति, जिनमें आधिकतर युवा थे, मारे गए। ये हमले कायरतापूर्ण हैं और उदार मूल्यों, बहुसंस्कृतिवाद और व्यक्तिगत आजादी पर हमला हैं। हम विपदा की इस घड़ी में फ्रांस की जनता के दु:ख में शामिल हैं और उनके साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं कि मानवता पर ऐसे हमले कहीं भी पुनः घटित न हों। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व एकमत हो और एक साथ मिलकर कार्य करे। हमें आतंकवाद का समर्थन करने और उसे बढ़ावा देने वालों को अलग-थलग कर देना चाहिए और उन खुले लोकतंत्र तथा बहुआयामी समाजों के साथ खड़े रहना चाहिए और जो मानवता के हमारे मूल्यों से मेल खाते हैं। हम फ्रांस के साथ अपने विशेष संबंध का सम्मान करते हैं जो हमारा दीर्घकालिक रणनीतिक भागीदार और घनिष्ठ मित्र रहा है। यह सभा पीड़ितों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है और उनके लिए प्रार्थना करती है तथा फ्रांस की सरकार तथा जनता को समर्थन देने के अपने संकल्प को दोहराती है, ताकि वह मानवता के शत्रुओं, जो सभी के दुश्मन हैं, से लड़ने में इस संकट का मजबूती से और पहले से आधिक दृढ़ संकल्प के साथ सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

माननीय सदस्यगण, सभा उन तीर्थयात्रियों के परिवारों के प्रति गहरी शोकसंवेदना व्यक्त करती है जो सऊदी अरब में मक्का क्षेत्र के हरम शरीफ में 11 सितम्बर, 2015 को हुई क्रेन दुर्घटना में और 24 सितम्बर, 2015 को मीना में हुई भगदड़ में मारे गए।

26 अक्टूबर, 2015 को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आए भूकम्प के कारण अनेक लोगों की बहुमूल्य जानें चली गईं।

भारत प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता देने में हमेशा की तरह अफगानिस्तान के साथ खड़ा है।

माननीय सदस्यगण, एक अन्य दुःखद दुर्घटना में 31 अक्टूबर, 2015 को इरजिप्ट के ऊपर रूसी संघ के एक विमान के क्रैश हो जाने के कारण 224 निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सभा दुःख की इस घड़ी में पूरी एकजुटता से रूस के साथ है।

सभा इन दुःखद घटनाओं पर, जिनके कारण मृतक और घायल व्यक्तियों के परिवारों को दुःख और कष्ट पहुंचा है, अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे स्थगन प्रस्ताव की निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और श्री जय प्रकाश नारायण यादव ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के संबंध में, जो हम अभी चर्चा के लिए लेने वाले हैं।

डॉ. एम. वीरप्पा मोइली और श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने दैनिक उपयोग की महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में बात की। श्री राजेश रंजन ने नेपाल में फैल रही भारत विरोधी भावनाओं के बारे में बात की। यद्यपि ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिन के कामकाज में व्यवधान डालने योग्य नहीं हैं। अन्य माध्यमों से भी मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

अब, प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, प्राइज राइज पर भी चर्चा करनी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** उस पर चर्चा होनी है। प्राइज राइज पर भी चर्चा करने के लिए तय हुआ है। जैसे-जैसे समय मिलेगा, हम चर्चा लेते जायेंगे। इन्टालरेंस पर भी चर्चा होनी है। कोई भी स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो रहा है।

अब, प्रश्नकाल।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं, बाद में उसी पर चर्चा होनी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो करेंगे। अभी हम क्वश्चेन ऑवर तो करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 1, श्री जोस के. मणि।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : 12 बजे नियम 193 पर चर्चा करनी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पेपर लेइंग के बाद चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आपको भी अपना मुद्दा उठाना है?

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : जी हां। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हम मिलकर करेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मिलकर क्या करेंगे? उनका विषय अलग है और आपका विषय अलग है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, अभी किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही, इसलिए आप बैठ जाइये। क्या हुआ?

... (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, नेपाल में ...(व्यवधान) 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ...(व्यवधान)

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 1, श्री जोस के. मणि।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन : अध्यक्ष महोदया, हमारी रिक्वैस्ट है कि आप हमें जीरो ऑवर में बोलने का मौका दीजिए। यह मेरा सिर्फ आग्रह है, क्योंकि 200 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं हर किसी को आश्वस्त नहीं कर सकती।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 1, श्री जोस के. मणि।

(प्रश्न संख्या 1)

श्री जोस के. मणि: नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के बारे में जनसंख्या की आवश्यकताओं की गतिशीलता को बदलने की मांगों को पूरा करना है।

इसका मुख्य संदेश है 'सभी के लिए शिक्षा'। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा नाम की दो श्रेणियों में 33 विषयों का सुझाव दिया है। लेकिन इन विषयों पर गौर करने पर पता चलता है कि उच्च शिक्षा में विशेष जरूरत वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

मैं जानना चाहूँगा कि सरकार की नीति क्या है और क्या मंत्रालय इस विषय को मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के तहत विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शामिल करने के लिए कदम उठाएगा।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, इसका जवाब है। हम माननीय संसद सदस्य को इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रस्ताव रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। हां, हमने अपने दिव्यांग छात्रों की जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखा है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि हमने इस सरकार के मंत्रालयों के साथ एक बैठक बुलाई थी और देश भर के राज्यों के साथ भी परामर्श किया था जिसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए विशेष सुविधा के साथ शिक्षा की चुनौतियां और अन्य दिव्यांग विषय शामिल थे।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगी कि देश भर में चर्चा और विचार-विमर्श के लिए प्रस्तावित 33 विषयों के अलावा, हमने राज्यों को यह भी अधिकार और संकेत दिया है कि वे राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए अन्य मुद्दा जोड़ सकते हैं, जो वे उचित समझें, चाहे वह स्कूली शिक्षा के लिए हो या उच्च शिक्षा के लिए हो। मुझे विश्वास है कि केरल राज्य भी माननीय संसद सदस्य की आवश्यकताओं का संज्ञान लेगा।

श्री जोस के. मणि: जैसा कि मैंने कहा है कि घोषित लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा है जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। आम तौर पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शहरों और शहरी क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकांश छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे शिक्षा से वंचित हैं। क्या नई शिक्षा नीति ग्रामीण और आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समानता सुनिश्चित करेगी? साथ ही, देश में शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या होगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: यदि माननीय सदस्य उत्तर पर गौर करेंगे, तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि लगभग 1,00,206 गांवों ने शिक्षा के संबंध में अपने-अपने गांव के प्रस्ताव पेश किए हैं, जो वे अपने गांव और बच्चों के लिए चाहते हैं, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, यह दर्शाता है कि हम केवल शहरों तक ही विचार-विमर्श को सीमित नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमने देश भर के नागरिकों के साथ जुड़ने में मदद करने के लिए हर लोकतांत्रिक उपकरण का उपयोग किया है ताकि वे हमें बता सकें कि वे जिन स्थानों में रहते हैं उनके लिए उनकी क्या आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं।

मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं और भविष्य में जो चुनौतियां आ सकती हैं, उसके लिए ऐसी रणनीति होगी जिसे संभवतः कार्रवाई के ढांचे में विकसित किया जाएगा, जिससे हम नई शिक्षा नीति के विकास की समिति को सशक्त बनाएंगे। साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय संसद सदस्य जी से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम उन सभी बच्चों को सशक्त बनाने की पहल कर रहे हैं जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। माननीय सदस्य जी ने दिव्यांग छात्रों के बारे में बात की। मैं आपके समक्ष केवल एक उदाहरण पेश करना चाहूंगी जो यह है कि हमारी और सभी आई.आई.टी. संस्थानों के इतिहास में पहली बार, हमने दिव्यांग छात्रों के लिए आई.आई.टी. परिषद की सभी फीस माफ कर दी है ताकि हम अपने छात्रों को देश भर के सबसे प्रमुख संस्थानों में मौका देकर और उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाकर उन्हें सशक्त बना सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री दलपत सिंह परस्ते - उपस्थित नहीं।

डॉ. शशि थरूर

डॉ. शशि थरूर: महोदया, माननीय मंत्री जी ने नई शिक्षा नीति पर परामर्श की घोषणा की है लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में और विवरण नहीं मिला है कि वह किन लोगों से परामर्श करने वाली हैं। हम सभी इस बात की सराहना करते हैं कि हमारे देश में कई मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से, उन लोगों की सोच वर्तमान अधिकारियों से भिन्न हैं, जो मुझे लगता है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। अन्य समूह भी हैं, उदाहरण के लिए, स्वयं युवाओं के साथ परामर्श। यूनेस्को के सहयोग से एक युवा सर्वेक्षण और केंद्रित चर्चा आयोजित की गई है। इसका परिणाम क्या हुआ? क्या सर्वेक्षण के इन परिणामों का कोई प्रकाशन हुआ है? क्या हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा नीति में युवा क्या चाहते हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श के आधार को व्यापक बनाने के लिए कहां प्रयास किए गए हैं कि हमारे देश में विचारों के एक व्यापक वर्ग को एक नई शिक्षा नीति तैयार करने के मामले में ध्यान में रखा जाए जो वास्तव में पूरे देश का उत्थान कर सके?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि अगस्त में ही मैंने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। मुझे अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उनके विचार प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं उनके विचारों का इंतजार कर रही हूं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि जहां तक संगठन और यूनेस्को और युवा सर्वेक्षण के साथ समन्वय का संबंध है जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं। उनके साथ ये विचार-विमर्श मई, 2015 में शुरू है। जहां तक विचार-विमर्श के विस्तार की बात है, तो उन्हें यहां समझने की आवश्यकता है कि हम अपने विचार-विमर्श को केवल राज्य सरकारों तक ही सीमित नहीं कर रहे हैं, हम ग्राम पंचायतों तक विस्तार कर रहे हैं, जो कि देश में 2.5 लाख ग्राम शिक्षा परिषदें हैं, हम न केवल सभी जिलों के ब्लॉकों तक, बल्कि हमने 26 जनवरी, 2015 को नागरिक सुझाव को अपलोड करने के लिए *mygov.in* पोर्टल बनाया है, जिसमें हम नागरिकों को अपनी चिंताओं को उठाने और अपनी राय देने के लिए कह रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, हमने देश भर के सभी संस्थानों से भी मदद मांगी है - चाहे वह केंद्र सरकार के संस्थान हों या राज्य सरकार के संस्थान या ऐसे संस्थान जो किसी भी सरकार से संबद्ध न हों ताकि देश के लोगों की इच्छा को प्रदर्शित करने वाली एक स्वस्थ नीति का मसौदा तैयार किया जा सके और उसे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया जा सके।

प्रो. सुगाता बोस: माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने उत्तर में सही कहा है कि 1976 से 'शिक्षा' समवर्ती सूची में है। हालांकि, मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि वह नई शिक्षा नीति तैयार करने में राज्यों से भी परामर्श कर रहे हैं। एक विशेष क्षेत्र है जहां मुझे लगता है कि विशेष समन्वय की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में जाने वाले हमारे अधिकांश छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजाय राज्य विश्वविद्यालयों में जाते हैं। फिर भी, केंद्रीय संसाधनों को असंगत रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ओर निर्देशित किया जाता है। फिर भी, ऐसे कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षण और अनुसंधान के मामले में अधिकांश केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में गुणवत्ता में बेहतर हैं। मैं सीधे अपने राज्य के तीन विश्वविद्यालयों का उल्लेख कर सकता हूं - प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और जादवपुर विश्वविद्यालय।

मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या नई शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को बेहतर सहायता प्रदान करने के बारे में गंभीर परामर्श होने जा रहा है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो, मुझे लगता है कि हमारे लिए अपने किसी भी विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों की शीर्ष लीग में शामिल कराना असंभव होगा।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य की ओर से यह अनुमान लगाया गया है कि अगले वर्ष फलीभूत होने वाली शिक्षा नीति संभवतः किसी भी तरह से राज्य संस्थानों या विश्वविद्यालयों की चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेगी। मैं यहां यह भी कहूंगी कि मैं अभी भी उस पत्र पर माननीय सदस्य के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हूँ जो मैंने अगस्त में लिखा था कि वह नई शिक्षा नीति में क्या चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आज उन्होंने इस सभा में जो कहा वह मुझे लिखे उनके पत्र या संचार में दिखेगा।

जहां तक राज्य के साथ विचार-विमर्श का सवाल है, 11 सितंबर को कोलकाता में हमने पूर्वी क्षेत्र के साथ विचार-विमर्श किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय शिक्षा मंत्री जी उपस्थित थे। चूंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो नई शिक्षा नीति की है, इसलिए मैं बजट संबंधी मुद्दों पर ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन मैं यहां इस सभा में कहूंगी कि *राष्ट्रीय उच्चतर* शिक्षा *अभियान के तहत,* राज्यों को भारत सरकार को यह बताने का अधिकार है कि कौन से संस्थान किस तरह के संसाधनों की मांग करते हैं। हम इसका समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक विद्यालय के अंदर प्रवेश को पूर्ण करने के बेहतर लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं लेकिन प्राथमिक शिक्षा के जो सर्वे आए हैं और उनकी गुणवत्ता पर जो सवाल उठे हैं, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हम देश के अंदर उस प्राथमिक शिक्षा का गुणवत्ता स्तर बनाने के लिए और उसको स्किल डवलपमेंट से जोड़ने के लिए, जो मेरी जानकारी में है, उस मंत्रालय में भी स्किल डवलपमेंट का अभी कोई तालमेल नहीं बना है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय क्या विचार रखती हैं, यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य जी से यह कहना चाहूंगी कि जहां तक यह संकेत उन्होंने अपने प्रश्न में दिया कि स्किल जवलपमेंट और हमारे मंत्रालय के के अंदर कोई तालमेल या समन्वय नहीं है, तो मेरे सामने ही मेरे सीनियर श्री राजीव प्रताप रूडी जी उपस्थित हैं और जहां तक तालमेल जो मंत्रालय की दृष्टि से है, वह एजुकेशन पॉलिसी में भी रहा है लेकिन विशेषत: सरकारी स्कूल के प्रति जो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 'केब' यानी जो सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसमें हमने विशेष रूप से सब-कमेटी बनाई है। मैं उनके ध्यान में तीन सब-कमेटीज़ लाना चाहूंगी। सबसे पहले, स्कूल न जाने वाले बच्चों को फिर से स्कूल में शामिल करना; दूसरा, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारना; और तीसरा, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कौशल और तकनीकी शिक्षा। मैं उन्हें अवगत कराना चाहूंगी कि इन तीनों टीम्स में न सिर्फ केंद्र के प्रतिनिधि हैं, न सिर्फ रेग्यूलेटर्स के और एनसीआरटी जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि हैं बल्कि विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री भी इसी टीम के मैम्बर्स बनकर भारत सरकार किस प्रकार से राज्यों के साथ समन्वय में बदलाव ला सकती है, इस विषय पर तीनों सब-कमेटीज काम कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत।

आप अगर शार्ट प्रश्न पूछेंगे, तो ज्यादा लोगों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा।

श्री अरविंद सावंत : महोदया, मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो प्रश्न पहले से शार्ट हो जाता है।

मैं माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि यह सारी चर्चा उच्च शिक्षा पर हो रही है। हमें अगर सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है तो प्राथमिक शिक्षा पर करने की जरूरत है। मैंने मोशन आफ थैंक्स के समय भी भाषण दिया था और तब भी कहा था कि प्राथमिक शिक्षा में हमारे पास प्राथमिक शिक्षा से सैकेंडरी शिक्षा के लिए एसएससी बोर्ड्स हैं। राज्यों के एसएसई बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, आईसीआईसी है। सबसे ज्यादा प्राब्लम इसमें यह आ रही है कि सबके सिलेबस अलग-अलग हैं। जब हम ग्रामीण जिलों की बात करते हैं, ग्रामीण स्कूलों की बात करते हैं तो सीबीएसई का सिलेबस अलग है। इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गांवों के बच्चे पीछे रह जाते हैं। चाहे

किसी भी राज्य की भाषा में पढ़ाई कराई जाती हो, अगर प्राथमिक शिक्षा में सबका सिलेबस एक जैसा रहेगा तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। आज सीबीएससी के एग्जाम में जब एसएससी बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो पांच सब्जेक्ट आते हैं और हमारे महाराष्ट्र में एसएससी के एग्जाम के लिए सात सब्जेक्ट आते हैं। जब 12वीं कक्षा के बाद कालेज में प्रवेश लेना होता है, तो ये सारी परेशानियां सामने आती हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या वे एक सिलेबस करने की तरफ ध्यान देने की कोई कोशिश कर रही हैं?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को इस प्रश्न के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि स्कूली शिक्षा की चुनौतियों से मैं भलीभांति परिचित हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एजुकेशन समवर्ती सूची में होने की वजह से प्रदेश सरकार के आधिकारों का हनन केंद्र सरकार नहीं कर सकती है और यह उचित भी नहीं है। हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, थोड़ा डायग्रस करके एक्सपेंड हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने उन्हें शार्ट प्रश्न पूछने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने एक्सपेंड कर दिया।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : महोदया, मैं भी शार्ट में ही बोलूंगी। मैं सराहना करना चाहूंगी कि सीबीएसई और हमारे प्रदेशों के जितने भी स्कूल बोर्ड्स हैं, उनके बीच में समन्वय के माध्यम से इन्हीं चिंताओं को लेकर हाल ही में बैठक भी हुई और प्रदेश के स्कूल बोर्ड्स ने सीबीएसई के साथ बैठ कर मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया है जो अगले एकेडमिक वर्ष में दिखाई देगा। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि इस हाउस में कई वर्ग से आने वाले एमपीज, कई समुदायों और राज्यों से आने वाले एमपीज की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन मैं यह भी अपील करना चाहूंगी कि हम जो भी परिवर्तन लाते हैं, वह हम नी-जर्क रिएक्शन के माध्यम से न लाएं, बल्कि समन्वय से बातचीत के माध्यम से लाएं और उससे करेंट एकेडेमिक सैशन में किसी भी बच्चे पर कोई नेगेटिव प्रभाव न पड़े। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही हम कदम उठा रहे हैं। यह भी कहना ठीक है कि आपकी इस चिंता से हम भली-भांति परिचित हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश : सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली समय के साथ और भी बदतर होती जा रही है और स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बावजूद, यह स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। महोदया, मैं आपके माध्यम से, इस नीति के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण और निजीकरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहेंगी।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि जब तक कोई नई नीति लागू नहीं होती और विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई की रूपरेखा देश के सामने नहीं रखी जाती है,तब तक यह जान लेना मेरे लिए उचित होगा कि भारत सरकार के लिए वह शिक्षा नीति किस मार्ग पर प्रकाश डालेगी।

हालाँकि, अध्यक्ष महोदया, मैं उस चिंता पर ध्यान देता हूँ जो माननीय सदस्य ने आज इस सभा में व्यक्त की है। मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहल की हैं। उदाहरण के लिए, मैं इनमें से दो पहलों को माननीय सदस्य जी के साथ आज यहां साझा करना चाहूंगी। *ई-पाठशाला* नामक एक पहल है जो यह सुनिश्चित करती है कि ग्रेड 1 से 12 तक हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में सभी एन.सी.ई.आर.टी. किताबें न केवल ऑनलाइन बल्कि मोबाइल ऐप पर भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वे न केवल निःशुल्क शिक्षण सामग्री प्राप्त कर पाएंगे बल्कि इसके साथ ही वे उन नागरिकों की मदद कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं।

दूसरे, हमने *सारांश* नामक एक कार्यक्रम शुरू किया जो मूल रूप से माता-पिता को सिखाने के लिए बनाई गई ताकि वे इसमें शामिल हो सकें; और जिलों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परिणामों के संबंध में अन्य माता-पिता से तुलना कर सके जिससे वे सशक्त बनेंगे और वे अपने बच्चे को उन विषयों में शामिल होने में मदद कर सकेंगे जहां उन्हें लगता है कि चुनौती है। *सारांश* माता-पिता को अपने बच्चे के साथ होने वाली किसी भी

समस्या के संबंध में सीधे शिक्षक के साथ जुड़ने का अवसर भी देता है और यह पहल केवल शहरी केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, यह वास्तव में बड़े पैमाने पर राष्ट्र को समर्पित है।

श्रीमती वी. सत्यभामा: माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु में हमारे माननीय मुख्यमंत्री *पुराची थलाइवी* डॉ. *अम्मा* के गतिशील नेतृत्व में कई नवीन योजनाएं शुरू की हैं जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि और वंचित वर्ग के छात्रों के लाभ के लिए अपनी तरह की पहली योजना है। मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना एक ऐसी योजना है जो गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लाखों छात्रों को लाभान्वित करती है जो उन्हें इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग के इस युग में शहरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के छात्रों के साथ मेल खाने में सक्षम बनाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार के पास सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभान्वित करने और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और वंचित वर्गों के छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए नई शिक्षा नीति, 2015 के तहत निशुल्क लैपटॉप वितरण योजना को शामिल करने और लागू करने और अन्य सभी नवीन योजनाओं को शुरू करने की कोई योजना है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदया, सबसे पहले मैं इस सभा पटल पर तमिलनाडु सरकार द्वारा न केवल नागरिकों को बल्कि उनके छात्रों को भी शामिल करने और उन्हें अनेक उपायों से सशक्त बनाने के संबंध में उठाए गए कई अभिनव कदमों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूंगी। हालांकि, मैं माननीय संसद सदस्य को बताना चाहूंगी कि उनका प्रश्न लगभग मेरे मंत्रालय की पी.ए.बी. बैठक जैसा लग रहा था जिसमें वित्त के संबंध में विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है। मैं केवल इतना कहूंगी कि मैं इनके अनुमानों को बताने के लिए पर्याप्त नहीं हूं और उस समिति के अधिकार से इनकार नहीं करूंगी जो नई शिक्षा नीति को विकसित करने की दिशा की ओर काम करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है। लेकिन मैं यहां यह भी कहना चाहूंगी कि तमिलनाडु की सरकार दक्षिण क्षेत्र में परामर्श बैठकों के दौरान उपस्थित थी। उन्होंने कुछ पहल की हैं जिनका हमने वास्तव में अध्ययन किया है और शोध करना चाहते हैं ताकि उन्हें उस समिति के पास भेजा जा सके जो नई शिक्षा

नीति को विकसित कर रही है। इसलिए, मैं एक बार फिर,तमिलनाडु राज्य में की गई पहलों के लिए अपनी सराहना व्यक्त करती हूं।

(प्रश्न संख्या 2)

श्री बी. श्रीरामुलु: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस अवसर के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, कर्नाटक राज्य में आदिवासी बहुत पिछड़े हैं। कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 49 लाख आदिवासियों में से लगभग 13 प्रतिशत है, बेल्लारी जिले में अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे अधिक है और विशेष रूप से मेरे बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में, आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब है। इसका कारण अशिक्षा, शिक्षा का कम विस्तार और गरीबी है। यद्यपि शिक्षा और रोजगार में आदिवासियों को आरक्षण दिया जाता है, फिर भी विकास के प्रति उनकी लापरवाही के कारण आदिवासी पिछड़े हैं और उन्हें आरक्षण की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

तो, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है। आदिवासियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आदिवासियों के रोजगार के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए आश्रम, कन्या आश्रम, मॉडल स्कूल्स को प्रचलित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार और जिले के आधिकारी लोगों के एजेंसी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार-सिम्पोजियम भी किए जाते हैं। माननीय सदस्य ने पर्टीकुलरली अपने जिले के बारे में जो कहा है, उसके बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, यह प्रश्न वाटर-बोर्न

डिज़ीजेज के बारे में है, इसलिए एजुकेशन की डिटेल्स के बारे में जो स्टेट का आंकड़ा है, वही मेरे पास है, जिले के आंकड़े नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री बी. श्रीरामुलु: धन्यवाद महोदया। मंत्री जी से मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार आदिवासियों को कला-आधारित हस्तशिल्प और सजावटी सामान बनाना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें आदिवासी विशेषज्ञ हैं, और इस उद्देश्य से, क्या सरकार इन आदिवासियों के उत्थान के लिए ऐसा व्यवसाय शुरू करने के लिए आदिवासियों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : महोदया, जनजातीय लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट एवं आर्टिफैक्ट, उनका प्रमोशन करने के लिए ट्राईफेड एक आर्गनाइजेशन है और ट्राइब शॉप हमारी एक यूनिट है, जिसमें उनकी परचेज करना, माकेरटिंग लिंक देना और अच्छे प्रोडक्टस को ट्राइब शॉप के आउटलेट्स के माध्यम से प्रचारित करके उनकी बिक्री करना शामिल है। इसके लिए अगर वे प्रॉपर फॉर्म में एप्लाई करते हैं तो आर्थिक सहायता भी देते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. परशुरामन: माननीय अध्यक्ष महोदया, आदिवासी आबादी के लिए अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा आदिवासी क्षेत्रों के प्रमुख मुद्दों में से एक है। जनजातीय आबादी के विकास को ध्यान में रखते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलाइवी अम्मा ने पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, परिवहन, राशन, शिक्षा आदि सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की हैं।

तो, पूरे आदिवासी क्षेत्रों को पर्याप्त चिकित्सा और अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए केंद्र सरकार अच्छी तरह से काम करने वाली राज्य सरकारों को किस तरह की सहायता प्रदान कर रही है?

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम : हमारी जो पॉलिसी है, वह टीएसपी है, ट्राइबल सब-प्लान प्रोजेक्ट एप्रोच है। राज्य सरकार की मेडिकल फेसिलिटी अगर कहीं कम है तो उसके लिए अगर वह चाहेगा तो आर्थिक सहायता आर्टिकल 275(1) ग्रांट इन एड में से हम दे सकते हैं। उसके लिए एप्लाई करना जरूरी है और वह राज्य सरकार के ऊपर है।

श्री अर्जुन लाल मीणा : महोदया, मैं राजस्थान के उदयपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। जो जलजनित बीमारी है, फ्लोराइड राजस्थान के कई जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर संभाग में फ्लोराइड से लोगों में बीमारी होती है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 275(1) के तहत राजस्थान प्रदेश को, जहां जनसंख्या का कुल 13 प्रतिशत जनजाति लोग रहते हैं, इस वित्तीय वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी? आर्टिकल 275 के तहत वन बन्धु योजना भारत सरकार ने चलाई है। हमारे यहां 24 पंचायत समिति मुख्यालय हैं, जिनमें टीएसपी क्षेत्र आता है, लेकिन टीएसपी क्षेत्रों में केवल एक प्रोजेक्ट उदयपुर जिले के कोटड़ा में ही चलाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टीएसपी की 24 पंचायत समितियां हैं, छः जिले उसमें आते हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय पूरे टीएसपी क्षेत्र में वन बन्धु योजना लागू करना चाहते हैं? फ्लोराइड से होने वाली बीमारी के रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहते हैं?

श्री जुएल ओराम : महोदया, फ्लोराइड कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री अलग से एक योजना चलाती है और उसके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे- थ्री के हिसाब से जिस-जिस जिले में इसकी मात्रा ज्यादा है, उसके लिए अलग से ग्रांट इन एड भारत सरकार देती है।

जहां तक वन बन्धु कल्याण योजना और आर्टिकल 275(1) के तहत राजस्थान को कितना पैसा दिया गया है, उसकी फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, मैं अलग से माननीय सदस्य को लिखकर दूंगा। वन बन्धु कल्याण योजना में वहां की आवश्यकता के हिसाब से काम होगा। पॉलिसी यहां नहीं होती है, पॉलिसी वहीं होती है।

उनका जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें क्या करना चाहते हैं, अगर राज्य सरकार से परामर्श करके भेजेंगे तो हम दस करोड़ रुपये उस एरिया के लिए ईयरमार्क करके रखा है, उसको दे देंगे। यदि उससे ज्यादा की आवश्यकता होगी तो भी हम यहां से दे सकते हैं।

श्री अजय मिश्रा टेनी : माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद से ही जनजाति से संबंधित लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। जनजातिय क्षेत्रों में विकास हो सके और बिजली, सड़क और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साथ ही साथ कृषि कार्यों में सब्सिडी और ब्याज दरों में सब्सिडी देने की विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार की वहां विकास कार्य करने की योजना है। लेकिन वास्तव में वहां की धरातल की जो स्थिति है, उसको देखते हुए परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी है, जहां जनजाति के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और एक बड़ा भू-भाग जनजाति से संबंधित है। वहां के विकास कार्यों में वहां के वन आधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा बाधाएं पहुंचायी जाती हैं। वहीं कोऑपरेटिव सेक्टर और एनजीओज़ जो काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के कारण भी पूरे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां विकास के कार्य आधिकतर काम वनों में बसे गांवों में होते हैं या वन के आसा-पास बसे गांवों में होते हैं। सभी विकास कार्यों के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। अनापत्ति लेने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसके कारण जनजातिय क्षेत्रों में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कोऑपरेटिव क्षेत्र और एनजीओ को सरकार के द्वारा धन आवंटित किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र विकास कार्यों के लिए लेने की आवश्यकता जो पड़ती है, क्या उसको समाप्त करने का काम करेंगे? उसके साथ-साथ कोऑपरेटिव सेक्टर और एनजीओज़ को जो धन आवंटित किया जाता है, क्या उसका सही उपयोग हो रहा है, इसकी जांच के लिए क्या सरकार कोई प्रणाली विकसित करने का काम करेगी?

श्री जुएल ओराम : महोदया, इसमें दो प्रश्न हैं, पहला है फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के चलते उस एरिया में काम करने के लिए नो-ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। इससे बाधा तो आती है, लेकिन हम लगातार इसके सरलीकरण की कोशिश करते हैं। दूसरा, एनजीओ और कोऑपरेटिव संस्थाओं को जो धन आवंटित पहले किया जाता था, वह सीधे मंत्रालय से होता था। आजकल यह व्यवस्था बंद हो गयी है। राज्य सरकार उनको क्लीयरेंस देगी, यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि यह जो पैसा लिया था, उसको सही यूटिलाइज़ किया है, उसके बाद ही अगली इंस्टालमेंट रिलीज़ की जाती है। इस संबंध में यदि माननीय सांसद को कोई स्पेसिफिक आपत्ति है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाते हैं। इसलिए कोई स्पेसिफिक कम्पलेंट हैं तो वह लिख सकते है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न **3 -** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत - उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल

(प्रश्न संख्या 3)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, मेरे पास दो आंकड़े हैं। मूल प्रश्न में पिछले तीन वर्ष के आंकड़े मांगे गए थे। इसमें वर्ष 2015 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन वर्ष 2014 में 2,25,67, 650 टूरिस्टों की बात कही गयी है। दूसरा, जिन क्षेत्रों में पर्यटन के बढ़ने की गुंजाइश है या जहां पर्यटक नहीं जा रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दो प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, क्योंकि आपसे पूर्व के सदस्य उपस्थित नहीं हैं। आप अभी पहला पूश्न पूछिए, दूसरा बाद में पूछिएगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, आज संयोगवश अखबार में 11 महीने की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें आठ राज्यों के 15 पर्यटक स्थलों के विजिटर्स बुक्स के रिकार्ड्स आए हैं। इन आठ राज्यों में पिछले 11 महीनो में 66 लाख पर्यटक आए हैं और छः हजार सैलानियों की उसने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी दी है और जो आंकड़ा आपने दिया है, उसमें नार्थ-ईस्ट का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, प्रायः में नगण्य है, .01 परसैन्ट से ज्यादा पर्यटक नार्थ-ईस्ट में नहीं हैं।

महोदया, मुझे सिर्फ इतना आग्रह करना है कि जो आपने स्कीम्स केन्द्रीय वित्तीय सहायता की दी है, उसमें आपने पर्यटन स्थल के उद्धार की बात कही है। लेकिन नार्थ-ईस्ट में सड़क नहीं है, रेलवे नहीं है। कल ही मैं पांच घंटे गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर बैठा रहा, तब मुझे दिल्ली आने का रास्ता मिला। अगर पर्यटन स्थल ठीक हो जायेगा और वहां कम्युनिकेशन नहीं होगा तो पर्यटन बढ़ नहीं सकता। जिस रिपोर्ट का मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह एक नवम्बर से बीस नवम्बर के बीच की रिपोर्ट है और बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जब पूरे देश में एक बहस चल रही है तो दो पर्यटकों ने जो सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, मैं उसे कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक चीन के पर्यटक ने कहा कि मुस्लिम संस्कृति एवं स्थापत्य से वह आश्चर्यचकित है और न्यूजीलैंड के एक पर्यटक ने ग्वालियर का किला देखने के बाद कहा कि यहां पर महिलाओं की इतनी ताकत थी कि उनके लिए अलग से

घर बनते थे तो दुनिया का पर्यटक हमारे बारे में अच्छा सोचता है, यह हमारे लिए सकारात्मक बात है। जहां देश में यह बहस चल रही है तो उस दृष्टि से भी यह क्वैश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश हो या नार्थ-ईस्ट के राज्य हों, यदि वहां शांति नहीं है, अगर वहां कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है तो पर्यटन बढ़ नहीं सकता। इसलिए जहां पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए एक अलग योजना होनी चाहिए और जहां पर्यटन की ज्यादा संभावना है, जो इतने सुन्दर राज्य हैं, अगर वहां एप्रोच नहीं है, वहां शांति नहीं है तो क्या इसके लिए भी आप कोई अलग से प्लान बनायेंगे, मैं यही जानना चाहता हूं?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सदस्य ने नार्थ-ईस्ट स्टेट्स और पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बारे के बारे में जो चिंता जताई है, पहले मैं पूरे सदन को बधाई दे दूं कि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, स्विटजरलैंड ने बताया है कि पिछले वर्ष हम विश्व पर्यटक दृष्टि से 65वें स्थान पर थे, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म इनडेक्स के अनुसार इस वर्ष हम 13 स्थान उठकर 52वें स्थान पर आ गये हैं।

दूसरा विषय माननीय संसद सदस्य ने नार्थ-ईस्ट का उठाया है। हमारी सरकार का, माननीय प्रधान मंत्री जी का विशेष सपना है कि नार्थ-ईस्ट जिसमें पर्यटन की दृष्टि से इतना ज्यादा पोटेंशियल है, उसके महत्व को देखते हुए योजनाएं बनाई गई हैं। विशेष तौर पर नार्थ-ईस्ट सर्किट के नाम से स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से एक विशेष सर्किट ईजाद किया गया है और हमारा सारा टूरिज्म का जो भी खर्च आता है, उसका दस प्रतिशत से आधिक हम नार्थ-ईस्ट राज्यों पर खर्च करते हैं। सभी मंत्रियों को भी माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से सुझाव दिया गया है कि हम सब लोग नार्थ-ईस्ट स्टेट्स जाएं और वहां लगभग दो रातें रहें और वहां की दिक्कतों को समझें।

लेकिन मैं एक और सूचना माननीय सदस्य को दे दूं कि पिछले वर्ष 2013 के मुकाबले 2014 में 39 प्रतिशत आधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में आए हैं। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने जाहिर की हैं कि वहां की कनेक्टिविटी पूअर है, कानून व्यवस्था की स्थिति में दिक्कतें हो सकती हैं। यह बात सच है कि एय़र कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी इन राज्यों की पूअर है, लेकिन अब सरकार प्रतिबद्ध है, हमारे डोनर

मंत्रालय के माध्यम से एवं पर्यटन एवं संस्कृति एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के माध्यम से भी हम सब लोग वहां की कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से उन राज्यों को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, क्योकि वहां इसकी अपार संभावनाएं हैं, इसके लिए भी प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा जो हमारे आठ राज्य हैं, उनमें हम बाई रोटेशन टूरिज्म मार्ट करते हैं। अभी सिक्किम में टूरिज्म मार्ट हुआ। सिक्किम प्रदेश को देखकर मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए कि वह पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां सफाई व्यवस्था बहुत सुंदर और दुरुस्त है। वहां हर जगह पर नो स्मोकिंग जोन्स बने हुए हैं। यह पहला राज्य बन रहा है जो आज टोटली आगेरनिक फूड की तरफ जा रहा है और माननीय प्रधान मंत्री जी अब से लगभग एक माह बाद वहां जाकर उसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि हमारी भारत सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है कि किस तरह नार्थ-ईस्ट स्टेट्स के राज्य के पर्यटन को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और इसमें आप सब लोगों के यदि कोई सुझाव होंगे तो भी पर्यटन मंत्रालय उसे आगे ले जायेगा। नार्थ-ईस्ट की कनेक्टिविटी के माध्यम से गुवाहाटी और बागडोगरा को एक विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें गुवाहाटी को एक हैलिकॉप्टर हब भी बनाया गया है और वहां पर लगभग एक हजार करोड़ रुपये के माध्यम से गुवाहाटी एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। बागडोगरा एयरपोर्ट का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। क्योंकि यही दो हब हमारे मुख्य हैं, जो हवाई सेवाओं के माध्यम से कनैक्टिड रहते हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के पर्यटनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। आज जो अखबार की रिपोर्ट है, उसने तो आपको दुनिया में 41वां नंबर दिया है। मैं आपसे यह कहूंगा कि मैं बुंदेलखण्ड से आता हूँ, बुंदेलखण्ड में 9वीं सदी से ले कर 11वीं सदी के बीच के पर्यटन स्थल, वे चाहे चंदेलकालीन खजुराहा हो या दमोह जहां से मैं आता हूँ, वहां पर छोटे, लेकिन 9वीं सदी के बड़े अच्छे वास्तुकला वहां पर स्थापित हैं, मेरा निवेदन है कि जैसे वहां पर रिज़र्व फॉरेस्ट है, चाहे कान्हा हो, पैच हो, बांधवगढ़ हो या पन्ना रिज़र्व हो, यानि पर्यटन सिर्फ धार्मिक पर्यटन नहीं है, हमारे यहां पर यह पर्यटन भी है, जहां पर प्लांट वैरायटीज़

या बायोडायवर्सिटी बहुत बड़ी मात्रा में है। साथ में 9वीं और 11वीं सदी के बुंदेलखण्ड में बहुत बड़े अच्छे पर्यटन स्थल हैं। वाइट टाइगर भी पहले से पैदा भी वहीं हुआ था और अभी भी वहां पर है। क्या ऐसे सर्किट के बारे में कुछ विचार किया जा रहा है, क्योंकि खजुराहो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, लेकिन क्या हम ऐसी छोटी जगहों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं? क्योंकि जब तक उनको मानचित्र में नहीं लाया जाएगा, उनको वह महत्व नहीं मिलेगा। क्या मध्य प्रदेश के इस पिछड़े लेकिन एतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और प्लांट वैरायटी जो बायोडावर्सिटी के साथ में क्लब कर के विकसित करने का विचार क्या जा रहा है?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सदस्य की जो चिंता है कि पर्यटन के सभी माध्यमों का हम इस्तेमाल करें और भारत को पूरे वर्ष का टूरिज़्म स्थल बनाएं, जिसके लिए एक नई टूरिज़्म पॉलिसी - 2015, जो करीब 12 वर्षों बाद आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रयास किया है कि पूरे देश के सभी राज्यों और सभी स्थलों, जिनको किसी भी माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना के 12 सर्किट्स के माध्यम से हम लोगों ने उसको कवर करने का प्रयास किया है, जिसमें नॉर्थ-ईस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, डैज़र्ट सर्किट, ट्राइबल सकिट, ईको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, ग्रामीण सर्किट, स्प्रिचुअल सर्किट, रामायण सर्किट आदि आइडेंटिफाई किए गए हैं। अगर और भी कोई सुझाव माननीय सदस्यों का होगा तो उसे भी शामिल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हमारी नई टूरिज्म पॉलिसी का ध्येय है कि किस तरह से भारत को मस्ट एक्सिपिरिएंस एण्ड मस्ट रीविज़िट स्थान बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ है। 7500 किलोमीटर की कोस्टल बैल्ट है, वाइल्डलाइफ है, विश्व का 73% हिमालय हमारे पास है, लेकिन फिर भी यह सच है कि हम विश्व का एक प्रतिशत से भी कम पर्यटक हम अपने पास ला पाते हैं, जो कि 0.68 प्रतिशत है। उसके माध्यम से भी लगभग 1 लाख 20 हज़ार करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा, विदेशी पर्यटकों के माध्यम से हमें उपलब्ध होती है। माननीय सदस्यों की इस चिंता को कि हम किस तरह से पर्यटन को सभी क्षेत्रों में ले जाएं, चाहे वह ईको टूरिज़्म हो, वाइल्डलाइफ हो या ग्रामीण टूरिज़्म हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं, उसके परिणाम भी आने लगे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो पर्यटन के तीन मुख्य स्तंभ

हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और मेज़बानी, इन तीनों विषयों पर खास तौर पर जो नई टूरिज़्म पॉलिसी है, उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। स्वच्छता को हमने अपने आदर्श मॉन्युमेंट्स के माध्यम से, जो हमारे मोस्ट विज़िटिड मॉन्युमेंट्स या पर्यटन स्थल हैं, प्रधान मंत्री जी की स्वच्छता योजना से उसको जोड़ा है। इन स्थानो पर आप महसूस करेंगे कि पहले से अच्छी स्वच्छता है। ताज़महल जैसे स्थल की बेहतरीकरण के लिए उपाय किए गए हैं। अब लगभग सभी मॉन्युमेंट्स पर ई-टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है। हर बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब विदेशी पर्यटक विदेश से अपनी आईटनरी बना कर चलेगा तो उसे उपलब्ध होगा कि वह किस तरह से अपनी टिकट ले कर चले। जब वह एयरपोर्ट पर आएगा तो इमिग्रेशन काउंटर के माध्यम से उसे एक स्वागत कार्ड मिलेगा। सुरक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर कई बार अनर्गल सूचनाएं भी हमारे यहां से अखबारों के माध्यमों से दी जाती हैं कि हमारे भारत देश में कहीं असुरक्षा का माहौल है। कुछ छुट-पुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भारत सरकार हमारे विदेशी पर्यटकों और महिला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खासतौर पर चिंतित है। उसके माध्यम से हम लोगों ने एक अंतरराष्ट्रीय हैल्पलाइन बनाई है, जिसका नंबर - 1363 है। इस हैल्पलाइन पर जब भी कोई विदेशी पर्यटक आएगा, वर्तमान में उसके अंदर हिन्दी और अंग्रेज़ी में यह सुविधा उपलब्ध है। आने वाले लगभग दो महीने में 10 विदेशी भाषाओं में यह सुविधा उपलब्ध होगी। यदि कोई जापानी या रशियन टूरिस्ट कहीं किसी दिक्कत में आता है तो वह इस 24 घंटे की हैल्पलाइन के माध्यम से सुरक्षा या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: मेरा प्रश्न देश में अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के कार्यक्रम से संबंधित है। मैं इस संबंध में कुछ विचार देना चाहता हूं कि विदेशी पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकाशित प्रतिवेदन 'विदेशी पर्यटकों का आगमन' यहाँ है। मैं माननीय मंत्री जी से मेरी ओर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। पर्यटक यहां आते रहे हैं लेकिन लंबे समय तक ठहर नहीं रहे हैं। यह प्रवृत्ति दिन-ब-दिन कम होती जा रही है।

पश्चिम बंगाल में दो स्थान हैं। एक सुंदरबन है, जो शाही बंगाल बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका विदेशी पर्यटकों से भरा हुआ है क्योंकि वह शेर सफारी के लिए सबसे आकर्षक जगह है - शेरों के साथ चलें; शेरों से बात करें; शेरों के साथ घूमें; शेरों के साथ रहें। ये शेर सफारी वहां काफी समय से चल रहे हैं। आप सुंदरबन क्षेत्र में बाघ सफारी क्यों नहीं बना सकते?

दूसरा स्थान दार्जिलिंग है, जिसे पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है। दार्जिलिंग में एक जगह है संदकफू, जो मैदानी स्तर से 12000 फीट की ऊंचाई पर है। यह कंचनजंगा क्षेत्र में है। पहले जम्मू और कश्मीर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते थे। लेकिन आज विदेशी पर्यटकों का वह प्रवाह थम गया है। दार्जिलिंग को विश्व पर्यटक मानचित्र गाइड में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार दार्जिलिंग को विश्व पर्यटक मानचित्र में शामिल करने में रुचि लेना चाहेगी, जिसके द्वारा अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव और प्रश्न का सम्मान करता हूँ। यह बात सच है कि अभी तक देश के अन्दर कोई भी नाइट सफारी नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो सुन्दर वन स्थान है, उसके बारे में यह सच है कि वहाँ पर पोटेंशियल है। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव को और दार्जिलिंग के सुझाव को मंत्रालय के अन्दर प्रेषित कर इस पर मैं काम करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल का टूरिज्म हमारे देश में 7वें या 8वें स्थान पर है। सबसे पहले तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बाद वेस्ट बंगाल का स्थान है। वेस्ट बंगाल में और भी कुछ पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पर इस तरह की नाइट सफारी और दूसरी सुविधायें दिये जाने का प्रयास किया जाएगा। माननीय सदस्य के और भी कोई सुझाव होंगे तो मैं उन्हें लेना चाहूँगा और प्रयास करेंगे कि हम उन्हें इनकारपोरेट करें।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थोमस: महोदया, केरल को भगवान का देश कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष केरल आने वाले पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। विदेशों से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हम विदेशों में अपने मिशनों के साथ-साथ विभिन्न भारतीय संगठनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं ताकि अधिक पर्यटक भारत और विशेष रूप से केरल जैसे सबसे आकर्षक और मांग वाले गंतव्य की ओर आकर्षित हों।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सदस्य की इस भावना से कि केरल में अपार संभावनायें हैं, लेकिन शायद हम उन अपार संभावनाओं का उतना उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी केरल के पर्यटन की दृष्टि से यदि कनेक्टिविटी के माध्यम से मानें तो केरल पहला राज्य है, जहाँ पर चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल में इस बार हमने एक विशेष योजना शुरू की है कि केरल के प्राकृतिक चिकित्सा और स्पा टूरिज्म को देखते हुए नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की गई है। दो करोड़ रूपए की राशि के साथ इसकी स्थापना की गई है। इसमें केरल को विशेष स्थान दिया गया है कि किस तरह से हम मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को और कोस्टल सर्किट को केरल के माध्यम से पर्यटन को विकास दे सकें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि केरल को उसमें प्रथम स्थान देकर यह प्रयास किया जा रहा है कि कोस्टल सर्किट के माध्यम से केरल को मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड का एक केन्द्रबिन्दु बनाया जाए। यह बात सच है कि जितना पोटेंशियल केरल में है, उतना पोटेंशियल हम अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय अध्यक्ष महोदया, ये जो आँकड़े मंत्री जी अपने उत्तर में दिये हैं, ये आँकड़े बता रहे हैं कि तीन सालों में हमारे फॉरैन टूरिस्ट कम आ रहे हैं। इसमें गिरावट देखी जा रही है। यह डिक्लाइनिंग ट्रैन्ड दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, वैस्ट बंगाल में भी है और ओडिशा में भी है। कहाँ बढ़ा है - यह तमिनाडु और पंजाब में बढ़ा है। इसका कारण क्या है, उसका उत्तर मैं नहीं चाहता। मैं यही चाह रहा हूँ कि जो फॉरैन टूरिस्ट यहाँ भारत में आ रहे हैं, उनको रीटेन करने के लिए, ताकि ज़्यादा देर तक वे यहाँ रहें, 15 दिन

या एक महीना यहाँ रहें तो यहाँ की इनकम बढ़ेगी और टूरिज़्म सैक्टर और फैलेगा। सर्किट के बारे में जो आप कह रहे हैं, यह सर्किट उस तरफ एक पहल है पर और क्या क्या आप कर रहे हैं जिससे हम फ़ॉरैन टूरिस्ट्स को और ज्यादा देर तक अपने देश में रख सकें?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, यह बात सच है कि 2010 और 2011 के सर्वे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का एवरेज स्टे 20 से 22 दिन होता था जो अब कुछ घटा है और 18 से 19 दिन तक आया है। एवरेज खर्चा जो हमारा फॉरैन टूरिस्ट प्रतिदिन खर्च करता था, वह अभी लगभग स्थिर है। लेकिन हम जब भी कभी पूरे देश का टूरिस्ट सर्किट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेश करते हैं, तो पूरे देश को शोकेस करते हैं। देश को शोकेस करने में हमारे 14 अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म ऑफिस हैं। उनके माध्यम से इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्ट के माध्यम से, रोडशोज़ के माध्यम से, पिछले वर्ष विदेशों के अंदर हम लोगों ने 22 ऐसे मार्ट्स या रोडशोज़ किये हैं जो लगभग हर 15 दिन के अंदर एक होता है और मुझे भी ऐसे करीब चार अंतर्राष्ट्रीय शोज़ में जाने का मौका मिला। लेकिन यह जो राज्यों के बीच में फर्क आया है, इस पर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से हमारी तीन व्यवस्थाएँ हैं कि हम विश्व के सामने यह बताना चाहते हैं कि भारत एक राउंड द ईयर का डैस्टिनेशन है। इसलिए यहाँ स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से हमने विशेष प्रयास किये हैं। हम आपका आभिनन्दन और स्वागत करते हैं। भारत मेज़बानी के देश में एक उच्चतम देश है। हम इस बात को विश्व के कोने कोने में ले जाने का प्रयास करते हैं कि भारत आपके पर्यटन के लिए एक उत्तम प्रदेश है जहाँ डैज़र्ट भी है, स्नो भी है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, समुद्र भी हैं, सब कुछ है और ऐसी व्यवस्था शायद विश्व के बहुत थोड़े देशों में हमें उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य का जो यह सुझाव है कि हम किस तरह से जिन राज्यों में यह कम हुआ है, उन पर थोड़ा और विचार करें - मैं इस पर ध्यान दूँगा।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न विभिन्न राज्यों के वित्तीय सहायता के आबंटन के बारे में है। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देखने पर पता चल रहा है कि 2014-15 में केरल राज्य को पर्यटन को बढ़ावा

देने के लिए एक पैसा भी केन्द्रीय सहायता के रूप में नहीं दिया गया है। साथ ही प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखने पर पता चल रहा है कि विदेशी पर्यटकों के यात्रा में केरल की हिस्सेदारी 4.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बाद केरल आता है। प्रसाद योजना में भी केरल को नकारा जा रहा है।

प्रश्न के लिखित उत्तर में जो उत्तर दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार से अभिलेखों की जांच कराने पर पता चला है कि यह दिया जा चुका है। यहां तक कि सांसदों के सम्मेलन में भी सरकारी अधिकारी और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी बात कर रहे हैं। स्थायी समिति द्वारा भी यह सिफारिश की जा रही है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दिया गया है। दुर्भाग्य से, उचित अनुदान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी से मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है। पहला, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को सहायता देने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं? दूसरा, केरल की स्थिति को वर्ष 2014-15 के लिए और अन्य योजनाओं में भी अनुदान से वंचित क्यों किया जा रहा है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य की सूचना ठीक है और यह सच है कि पिछले वर्ष के अन्दर केरल को कोई भी फंड नहीं दिया जा सका। उसका मैं कारण बता दूं कि अब जो नई व्यवस्थाएं वित्त मंत्रालय की तरफ से हैं कि जब कोई भी पिछला फंड दिया जाता है और उसका उपभोग सर्टीफिकेट, यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट समय पर प्राप्त नहीं होता...

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: यह उचित नहीं है। यह बहुत गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। केरल ने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)*...*[1*]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)*... **

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सदस्य मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी कर दूं ...(व्यवधान) आप मेरी एक लाइन सुन लें।...(व्यवधान) मेरी एक बात सुन लें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 10 प्रोजैक्ट्स 2014-15 में केरल के प्रायरटाइज़ किये गये, जिनमें से सात प्रोजैक्ट्स की डी.पी.आर. हमें मिली। ...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें। वह डी.पी.आर. हमें अक्टूबर से दिसम्बर के बीच में मिली। तीन महीने का समय हमारे पास था। तीन महीने के समय तक जो पिछले फंड्स थे, वे एग्जास्ट हो चुके थे, इसलिए उसे अगली योजना के लिए डाल दिया गया था, मैं नहीं कह रहा कि दिसम्बर से पहले आपकी यू.सी. नहीं मिली। दिसम्बर, 2014 से पहले आपके यूटीलाइजेशन सर्टीरफिकेट्स मिल गये, लेकिन प्रायरटाइजेशन मीटिंग्स जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, सामान्यतः अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में हो जाती हैं और हमें आपके यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स अक्टूबर से लेकर दिसम्बर के बीच में मिले हैं। आपने देर नहीं की, लेकिन चूंकि तब तक जो सामान्य बजट था, जिसका एक्सपेंडीचर खत्म हो चुका था तो फंड्स की एवेलेबिलिटी भी हमारे सामने एक चिन्ता का विषय होता

[1*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, लेकिन हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि केरल के साथ जो पिछले समय में दिक्कत हुई है, उसको हम इस वर्ष कम्पेंसेट कर सकें।

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230)

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा बधाई</u>

एस्ट्रोसेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको अवगत है, हमारे देश ने अपनी प्रथम समर्पित मल्टी-वेवलेंथ अन्तरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसेट' का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस वैज्ञानिक उपग्रह मिशन का उद्देश्य ब्रह्माण्ड की आधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। इसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 28 सितम्बर, 2015 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था।

हमें अपने अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर अत्यधिक गर्व है।

यह सभा इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजिस्ट्स के समर्पित दल को बधाई देती है।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): महोदया, मेरे सहयोगी श्री अरुण जेटली की ओर से, मैं परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3188/16/15]

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3189/16/15]

(2) (एक) [हिन्दी] एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3190/16/15]

(3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम(इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिशटूल रूम),जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3191/16/15]

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूमएण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3192/16/15]

(5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3193/16/15]

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3194/16/15]

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3195/16/15]

(8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3196/16/15]

(9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2014-2015के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3197/16/15]

(10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाईन), हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाईन), हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3198/16/15]

(11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर(इंस्टीट्यूट फॉर डिजाईन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स), मुम्बई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3199/16/15]

(12) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3200/16/15]

(13) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर),आगरा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3201/16/15]

(14) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3202/16/15]

(15) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज),फिरोजाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज), फिरोजाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3203/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेश की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 22 सितंबर, 2015 को प्रख्यापित परक्राम्य लिखत (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 7)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3204/16/15]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 2015 को प्रख्यापित उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3205/16/15]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 23 अक्तूबर, 2015 को प्रख्यापित माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 9)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3206/16/15]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान): महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का

विनियमन) आदेश, 2000, जो 31 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2097(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3207/16/15]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं सभा पटल पर रखती हूँ: -

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत चाय (विपणन) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015, जो 1 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2688(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 3208/16/15]

(2) (एक) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 3209/16/15]

अपराह्न 12.03 बजे

विधेयकों पर अनुमति*

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मैं 22 जुलाई, 2015 को सभा को प्रस्तुत की गई सूचना के पश्चात 16वीं लोक सभा के 5वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

1. दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015;
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2015; और
3. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2015;

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 3210/16/15

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा

समय का विस्तार

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता आधिकार (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति ने मुझे सूचित किया है कि समिति के प्रतिवेदन को सभा द्वारा बढ़ाई गई समयावधि अर्थात् 27 नवम्बर, 2015 तक आन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। अतः संयुक्त समिति ने समय-सीमा बढ़ाए जाने की मांग करने का निर्णय लिया है।

इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति के सभापति 27 नवम्बर, 2015 को अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर पाए, क्योंकि इस दिन सभा की बैठक भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा करने के लिए निधाररित की गई थी। मैंने सभा की ओर से चालू शातकालीन सत्र, 2015 के आन्तिम दिन तक विधेयक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने की मंजूरी दी है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्षा महोदय, इसमें हम स्पष्टीकरण चाहेंगे, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि अब इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : उसके बारे में वे बाद में बताएंगे।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अगर वे कमेटी की समय-सीमा को बढ़ा रहे हैं, तो हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि इस पर उनका रूख क्या है और उनकी सोच क्या है?... (व्यवधान)

अध्यक्षा महोदय, इस विषय पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह अभी नहीं, यह उस समय ही आएगा।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.05 1/4 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति के बाईसवें प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 12.05 ½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

18वें से 21वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं -

(1) वित्त मंत्रालय (वित्त सेवा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

(3) आश्वासनों (स्वीकार किए गए) को छोड़ने के लिए अनुरोधों के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(4) आश्वासनों (स्वीकार नहीं किए गए) को छोड़ने के लिए अनुरोधों के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

माननीय अध्यक्ष **:** सिंधिया जी, आप बैठिए। आपका प्वायंट नोट कर लिया है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.05 3/4 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
7वें से 9वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): महोदया, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं:-

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन।

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन।

(3) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 9वां प्रतिवेदन।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको दो बातें सूचित करनी है - एक बात तो यह है कि संसदीय ज्ञानपीठ का पार्लियामेंट लाइब्रेरी भवन में जो संविधान प्रदर्शनी लगायी गयी है, आज उसका अंतिम दिन है। जिन माननीय सदस्यों ने इसे नहीं देखा है, वे आज इसका अवलोकन कर सकते हैं। यह आज के दिन तक के लिए है।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्षा महोदय, मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात पहुंच जाएगी। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देने के लिए अभी तैयार हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए। पहले मेरी दो सूचनाएं हो जाएं, फिर मैं इसे कर देती हूं। मैं आपकी बात को समझ गयी। प्लीज़, बैठिए। मैं अपनी सूचना तो पूरी पढ़ लूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सूचना पढ़ने की शुरूआत की है। एक मिनट में मैं पूरी कर लूं। फिर आपको समय दूंगी। एक मिनट रूकिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक तो मैंने वहां की प्रदर्शनी के बारे में बताया कि जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है, वे इसे प्लीज़ देखें। इसमें पूरे संविधान के संदर्भ में कई सारी अच्छी चीज़ें रखी हैं।

साथ ही साथ, हम लोग आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और आज से पार्लियामेंट अनेक्सी बिल्डिंग में माननीय सदस्यों के लिए एक हेल्थ-कैम्प का आयोजन किया गया है। आप इसका भी अत्यधिक लाभ लें। यह दिनांक 04 दिसम्बर तक रहेगा। यह सूचना देनी थी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हम यही पूछना चाहते थे कि सदन ने लैंड एक्वीजीशन एक्ट के लिए जो कमेटी बनायी थी, उसका टाइम एक्सटेंड करने के लिए आपने इस सदन का परमिशन पूछ कर लिया है। लेकिन, आपको यह भी मालूम है, सदन को भी मालूम है और सारे देश की जनता को भी यह मालूम है कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि यह जो लैंड एक्वीजीशन एक्ट के बारे में इतनी चर्चा हो रही है, उसमें हम राज्यों को छोड़ देंगे और उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह उनका आदेश था और 'मन की बात' थी। अब फिर इस कमेटी का टाइम एक्सटेंड हो रहा है, तो मन में संशय आता है कि क्या आप इस बिल को कायम करना चाहते हैं? उसका स्पष्टीकरण प्राइम मिनिस्टर ही दे सकते हैं या पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यह कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक वक्त तो उसे छोड़ देते हैं और फिर अंदर आपसे अपील करके इस पर एक्सटेंशन लेते हैं। यह अच्छा नहीं है। पार्लियामेंट मेंबर्स और सारी जनता को हमेशा प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य पर भरोसा रहता है। अगर उनका भरोसा ही टूट गया तो फिर कल क्या होगा? इसीलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : भरोसा नहीं टूटेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबको इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

... (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, इसमें कोई संदिग्धता नहीं है। सरकार आने के बाद स्टेट्स के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में कुछ लोगों ने भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 के बारे में शंका व्यक्त की। मेरे ख्याल से 28 स्टेट्स ने अलग-अलग सुझाव दिए थे। उसके बाद सरकार ने तय किया कि एक नया कानून लाएंगे। वह कानून लाई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। वह कानून सदन में आया। कानून सदन में पारित हो गया। पारित होने के बाद कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त की, राज्य सभा में कहा कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने इसको एक ...(व्यवधान) तत्पश्चात, अनुमोदन के बाद, इसे एक संयुक्त समिति को भेजा गया। संयुक्त समिति विभिन्न कारणों से अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि समितियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं. समिति ने दो बार विस्तार मांगा था जो दे दिया गया है।

बीच-बीच में प्रधानमंत्री व्यापक विचार-विमर्श भी करना चाहते थे क्योंकि कुछ पार्टियां और कुछ लोग नये भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रहे थे। इसलिए, उन्होंने नीति आयोग की बैठक बुलाई। नीति आयोग में कई मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया कि अगर व्यापक सहमति बनाने और केंद्र में कानून बनाने में कोई समस्या है तो हम इसे राज्यों पर क्यों नहीं छोड़ देते। कई मुख्यमंत्रियों ने यही सुझाव दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने ऐसी राय दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

कोई अंतिम विचार नहीं लिया गया है। यह मामला समिति के सामने है। एक बार जब समिति अपना विचार दे देगी तो सरकार अंतिम निर्णय लेगी और फिर मामला संसद में लाया जाएगा... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप चिल्लाते क्यों हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट बैठिए। सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: एक बार में एक व्यक्ति को बोलने दें। ताकि कोई अस्तव्यस्तता न हो।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह पद्धति नहीं है। आई ऐम सॉरी। बार-बार सब लोग एक साथ नहीं चिल्लायें। प्लीज बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे खेद है। पहले उन्हें पूरा करने दो। बीच-बीच में आप सभी खड़े होकर कुछ न कुछ कहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी बात पूर्ण करने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : कोई दो तरीका नहीं है। ...(व्यवधान) आपने ईश्यू रेज किया, तो मैं स्पीकर मैडम से अनुमति लेकर उसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वेंकैया नायडू: इसमें कोई अस्तव्यस्तता नहीं है। यह मामला समिति के समक्ष है। एक बार समिति अपना विचार बना लेती है, तो यह कैबिनेट में आ जाएगा और फिर कैबिनेट अंतिम विचार करेगा। तब हम संसद आएंगे और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है और उन्होंने ऐसी राय रखी है... (*व्यवधान*) आप अपने विचार रख सकते हैं। समय अब बढ़ा दिया गया है। समिति काम कर रही है, महोदया ... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.14 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले[3*]

माननीय अध्यक्ष: नियम 377 के अधीन मामलें सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

[3*] सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) पूरे भारत में लगभग सभी प्रमुख जगहों पर काम कर रहा है। हालांकि, बिहार जो देश का सबसे अनपढ़ राज्य है, वहां इसकी स्थिति बहुत निराशाजनक है। बिहार के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि शामिल किए गए 2214 नए शिक्षकों और 18,702 सेवारत शिक्षकों में से, जिनके प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई है, एक भी शिक्षक ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। इसी तरह जिन 200 प्राचार्यों और 690 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण लेना था, उनमें से एक को भी प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

गुणवत्ता सूचकांक ही नहीं, अवसंरचना विकास में भी बिहार काफी पीछे है। यह देखना भयावह है कि जिन 596 विज्ञान प्रयोगशालाओं, 1368 कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, 1019 कला एवं शिल्प कक्ष और 817 पुस्तकालयों को मंजूरी दी गई है, उनमें से एक भी शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा, आर.एम.एस.ए. अनुमोदन के खिलाफ शिक्षकों की भारी रिक्तियां हैं।

यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में योजना के तहत 147.52 करोड़ रुपये की अव्यय राशि होने के बावजूद कोई प्रगति नहीं हो रही है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैश्विक महाशक्ति बनने के हमारे सपने को साकार करने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित और अच्छे स्कील से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि किसी भी बच्चे को उज्ज्वल भविष्य के अवसर से वंचित न किया जाए। इस प्रकार, मैं केंद्रीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि मुद्दों का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि बिहार दूसरे राज्यों के समान विकास के मार्ग पर चल सके।

(दो) राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनवरी, 2015 तक स्थापित नलकूपों को नियमित करने तथा डार्क जोन श्रेणी के क्षेत्रों की समीक्षा करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : नाबार्ड एवं केंद्रीय भूजल मण्डल द्वारा सर्वेक्षण करवाकर मेरे क्षेत्र की आधिकतर पंचायत समिति क्षेत्र को 'डार्क जोन' घोषित कर दिया गया है अर्थात् इन क्षेत्रों में भूमिगत पानी नहीं है एवं यहां पर कोई भी व्यक्ति अथवा काश्तकार जमीन में कुऑ अथवा टयूबवैल नहीं खोद सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र में यह व्यवस्था वर्ष 2004 से कर रखी है। वर्ष 2004 से सरकार काश्तकारों को नया कुऑ अथवा ट्यूबवैल लगाने के लिए ऋण नहीं दे रही है। काश्तकार लोग अपनी खेती के लिए अवैधानिक तरीके से ट्यूबवैल खुदवा रहे हैं एवं अवैध रूप से ही बिजली के कनेक्शन अपने स्तर पर ही ले लेते हैं। आज हज़ारों की संख्या में अवैध ट्यूबवैल चल रहे हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी इनके कनेक्शन काटकर भारी जुर्माना लगाते हैं। इससे किसान परेशान है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि 1 जनवरी, 2015 तक जिन काश्तकारों ने ट्यूबवैल खोद लिए हैं, उन्हें नियमित किया जाए। इससे काश्तकारों के विद्युत के कनेक्शन भी नियमित करने में सुविधा हो सकेगी तथा केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय भूजल मण्डल के मार्फत 'डार्क जोन' क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण करवाया जाए एवं अनावश्यक रूप से जिन क्षेत्रों को 'डार्क जोन' घोषित किया है, उनमें नए सर्वेक्षण के आधार पर संशोधन किया जाए।

(तीन) राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स को पुनजीर्वित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझनू) : मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझनू (राजस्थान) में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड/खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स में स्मैल्टर/रिफायनरी प्लांटों से उत्पादन करवाने, कलकत्ता कार्यालय को कॉपर खेतड़ी में स्थापित करने, कॉपर खेतड़ी कॉम्पलैक्स में उत्पादन व कर्मचारी बढ़ाने, स्मैल्टर लगाने के लिए तथा इसकी खस्ता हालत को सुधारने के लिए आतिरिक्त बजट दिया जाए और 'मेक इन इण्डिया' के तहत पुनजीरवित/जीर्णोद्धार किया जाए।

(चार) देश में अरहर दाल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री अनिल शिरोले (पुणे) : यह देखा गया है कि देश विशेष रूप से गरीब आबादी की प्रोटीन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में अरहर का आयात कर रहा है। जबकि गेहूं, चावल, गन्ना आदि का अधिशेष उत्पादन बेहतर कृषि भूमि पर हो रहा है।

यह सच है कि हाल ही में सरकार दालों और तेल बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है।

हालांकि, यह देखा गया है कि अरहर का उत्पादन संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि देश में अरहर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(पांच) घाटकोपार-मुंबई मेट्रो सेवा के किराये में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): घाटकोपार-मुंबई मेट्रो किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव में ऑपरेटर द्वारा 10/- से 110/- रुपये वसूलने पर महाराष्ट्र सरकार के साथ-साथ संसद सदस्यों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। यह समझा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रो के विशेष सी.ए.जी. ऑडिट के लिए कहा है और एक नई किराया निर्धारण समिति भी मांगी है। मुंबई के लोग प्रस्तावित किराया वृद्धि को लेकर चिंतित हैं। यह अनुमान है कि शहरी विकास मंत्रालय को निजी ऑपरेटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नई किराया निर्धारण समिति नियुक्त करनी चाहिए और सी.ए.जी. ऑडिट का आदेश देना चाहिए।

(छह) उत्तराखंड के घनसाली और टिहरी गढ़वाल जिले के जिला मुख्यालय में एल पी जी एजेंसी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मेरे संसदीय क्षेत्र टिहरी के घनसाली विकास खण्ड भिलंगना सहित पट्टी मंदार के सैकड़ो गांवों के लोग रसोई गैस आपूर्ति न होने से परेशानी झेल रहे हैं। विनयखाल, मंदार, बूढ़ाकेदार, घुत्तू, अखोडी, कोटी फैगुल आदि क्षेत्रों में पिछले तीन माह से गैस आपूर्ति नहीं हुई है। इन क्षेत्रों की एकमात्र गैस एजेंसी घनसाली में है जिसके पास लगभग 24 हज़ार रसोई गैस उपभोक्ता कनेक्शन हैं। यह एजेंसी विकास खण्ड भिलंगना, प्रताप नगर के क्षेत्र में शामिल है। इसमें लमगांव, प्रताप नगर, मंदार, माझभ, दो धारा, धाराकोट, पटूडी, रजाखेत के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यहां की एजेंसी के पास बहुत लंबा क्षेत्र शामिल है। एजेंसी के गोदाम से प्रतिदिन लगभग 200 गैस सिलेण्डरों की खपत है। इस कारण भी इण्डेन गैस एजेंसी पूरे क्षेत्र में समय पर गैस आपूर्ति नहीं कर पा रही है जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि टिहरी जिला मुख्यालय तथा चमियाला, जनपद उत्तरकाशी में धनारी एवं गाजणा, जनपद देहरादून में सहस्त्रधारा क्षेत्र में जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक-एक गैस एजेंसी स्वीकृत की जाए, जिससे लोगों को समय पर गैस मिल सके।

(सात) राजस्थान के उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह क्षेत्र जनजाति उपयोजना क्षेत्र है। इस संभाग में कुल 6 जिले हैं जिनमें उदयपुर, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द प्रमुख हैं। उदयपुर संभाग से ज्यादातर लोग रोजी-रोटी और व्यवसाय के लिए अरब देशों में जाते हैं जिनके द्वारा प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में पासपोर्ट बनवाये जाते हैं। वर्ष 2012 में लगभग 25 हज़ार, वर्ष 2013 में लगभग 27 हज़ार, वर्ष 2014 में लगभग 35 हज़ार पासपोर्ट इस संभाग से बनवाये गये। अभी हाल ही में सरकार द्वारा लगाए गये पासपोर्ट शिविर में मात्र एक दिन में लगभग 1200 लोगों ने अपना आवेदन पंजीकृत करवाया है। जून 2015 को केन्द्रीय विदेश मंत्री, भारत सरकार के द्वारा उदयपुर प्रवास के दौरान उदयपुर में स्थाई पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ में उदयपुर नगर निगम द्वारा पासपोर्ट सेवा केन्द्र के लिए निःशुल्क भवन भी उपलब्ध करवा दिया गया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि तकनीकी टीम उदयपुर भेजकर आतिशीघ्र स्थाई पासपोर्ट सेवा केन्द्र कार्यालय विधिवत् शुरू कराया जाए ताकि आम जनता को इस सेवा का स्थाई लाभ मिल सके।

(आठ) देश में बड़े पैमाने पर दूध में हो रही मिलावट को रोकने के लिये एक सरकारी निकाय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले) : मैं खाद्य पदार्थों विशेषकर दूध में मिलावट का मुद्दा उठाना चाहूंगा। जबकि मैगी जैसे उत्पाद जांच के दायरे में हैं, यह चिंताजनक है कि भारत में कुछ सबसे मिलावटी खाद्य पदार्थ वास्तव में पानी, दूध और खाद्य तेल हैं। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा 2012-13 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि देशव्यापी दूध में मिलावट के 68.4% के साथ दूध भारत में सबसे मिलावटी खाद्य पदार्थ है। देश में दूध में मिलावट एक और भी बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि पैकेज्ड फास्ट फूड के विपरीत, दूध न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि ज्यादातर आबादी इसे अनपैक्ड रूप में भी पीती है।

मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि एफ.एस.एस.ए.आई. दूध में मिलावट पर राष्ट्रव्यापी जांच करने और अनपैक्ड खाद्य पदार्थों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के लिए एक निकाय का गठन करें। उच्चतम न्यायालय ने भी नवंबर 2014 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन करने और दूध में मिलावट के लिए जुर्माना छह महीने से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों ने इस दिशा में पहले ही कानून बनाया है, लेकिन इस संशोधन को अभी तक केंद्र द्वारा पारित नहीं किया गया है। मैं सरकार से इसे तुरंत करने का आग्रह करता हूं। भारत में 70 से अधिक मौतें भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों से जुड़ी हैं और इस खतरे पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

(नौ) देश में बच्चों के सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : बच्चों के आधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को भारत सरकार भी पालन करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन जो जमीनी परिस्थितियां हैं वे कागज पर लिखी हुई इन परस्थितियों से भिन्न हैं। देश के प्रत्येक इलाके में बाल मजदूरी आज भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। आज पर्यटन की चपेट में भी बच्चे आ रहे हैं और उनके दैहिक एवं यौन शोषण के मामले में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। 'किशोर न्याय आधिनियम' के तहत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियॉ और विशेष किशोर पुलिस इकाई की जो सक्रियता इन स्थलों पर होनी चाहिए, वह नहीं है। नतीजे के रूप में यहाँ पर बच्चों के शोषण का एक पूरा नेटवर्क बड़े स्तर पर अपना काम कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर बाल भिखारियों, कूड़ा बीनने वाले बच्चों एवं घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले बच्चों की संख्या में कमी नहीं आई है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस बुराई से लड़ने के लिए एक व्यापक कार्यनीति बनाई जाए तथा गरीब बच्चों को शोषण से बचाया जाए।

(दस) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान हेतु सक्सेना समिति द्वारा सिफारिश किये गए नए मानदंडों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : देश में वर्ष 2002 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों का सर्वे करके उन्हें बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं यथा- स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सामग्री और शिक्षा आदि, उपलब्ध कराए जाने के लिए प्राथमिकता प्रदान करने का यही प्रमुख आधार निधाररित किया गया है। उत्त बी.पी.एल. कार्डों के वितरण के पश्चात 2002 से अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे लोग जो उस समय चिन्हित नहीं हो पाए, ऐसे लोगों को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिलने के कारण विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जो उनके जीवन स्तर को सुधारने एवं निःशुल्क स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उनसे उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। वर्ष 2011 से गणना की प्रक्रिया चालू की गई लेकिन अब तक सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का ही डेटा प्राप्त हुआ है जो प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि गत शासन में वर्ष 2011 में सरकार ने सामाजिक एवं जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया और सरकार के पास बी.पी.एल. चयन के लिए नए मानक निर्धारित किए जाने की अनुशंसा सक्सैना कमेटी द्वारा की गई। जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि सक्सैना कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बी.पी.एल. में आने वाले परिवारों के लिए निर्धारित 14 मानदण्डों में से कई मानदण्ड व्यवहारिक दृष्टि से अनुचित प्रतीत होते हैं जिनमें फोन कनेक्शनधारी होना, घर में रेफ्रिजरेटर होना तथा दो पहिया वाहन का मालिक होना जैसे बिंदु भी बी.पी.एल. श्रेणी से बाहर किए जाने का आधार माना गया है।

गत शासन में प्रस्तावित की गई बी.पी.एल. गणना की नई प्रणाली यदि लागू की गई तो लगभग 7.05 करोड़ (लगभगत 40 प्रतिशत) से आधिक वर्तमान बी.पी.एल. कार्डधारियों का बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित

होने का खतरा है। वहीं उक्त फॉर्मूले के आधार पर एक प्रतिशत से भी कम लगभग 16.5 लाख नए बी.पी.एल. कार्डधारी सम्मिलित होने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में बिना आर्थिक स्तर सुधारे एक बड़े वर्ग को बी.पी.एल. सेवाओं से वंचित किए जाने का खतरा आसन्न है, वहीं बड़ी संख्या में बी.पी.एल. हेतु पात्रता रखने वाले वर्ग को भी बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार द्वारा बी.पी.एल. चयन प्रक्रिया में विभिन्न अव्यवहारिक मानदण्डों को समाप्त किया जाना व वास्तविक रूप से वंचित परिवारों को आविलंब बी.पी.एल. कार्ड प्रदान करने की योजना प्रारंभ किया जाना आवश्यक है ताकि वर्ष 2002 से 2015 के बीच वंचित पात्र परिवारों को वास्तविक लाभ प्रदान करके उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पदलसरे लोअर ताप्ती परियोजना की शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : जलगाँव जिले के अमलनेर तालुका (महाराष्ट्र) में पडलसरे लोअर ताप्ती परियोजना नब्बे के दशक में बनाई गई थी ताकि इससे अमलनेर, पारोला, धारणगांव, एरंडोल और चोपडा तहसीलों के कमांड क्षेत्र में आने वाली उर्वर भूमि में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था की जा सके। यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास पिछले तीन सालों से अनुमोदन हेतु लंबित है। अनुमोदन में देरी के कारण इस परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार की 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' के तहत केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई सालों के भयंकर सूखे के कारण किसान पहले ही काफी परेशान हैं तथा आत्महत्या कर रहे हैं। परियोजना के निर्माण में और देरी से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। ताप्ती व्याली योजना में यह लोअर ताप्ती सबसे बड़ी योजना है। इस योजना से भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए आवश्यक पानी इस योजना से आरक्षित किया है। इस योजना से महाराष्ट्र के तीन से चार जिलों के किसानों को लाभ होने वाला है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उत्त परियोजना को केंद्रीय जल आयोग द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित किया जाए ताकि 'प्रधानमंत्री सिंचाई योजना' के तहत इस परियोजना हेतु केंद्रीय सहायता उपलब्ध हो सके।

(बारह) बिहार में सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज सह-अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय क्षेत्र सिवान (बिहार) में चिकित्सा का घोर अभाव है। सिवान में एकमात्र सदर अस्पताल है और इस अस्पताल में डॉक्टरों एवं चिकित्साकर्मियों की भारी कमी है जिसके कारण यहाँ के रोगियों को सिवान से बाहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। अगर सिवान में केंद्र सरकार एक अस्पताल जो सभी सुविधाओं से युत्त हो, खोल दे, तो मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ गोपालगंज एवं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी मरीजों को काफी फायदा होगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सिवान में एक मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल खोलने हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि सिवान के नागरिकों को राहत मिल सके।

(तेरह) राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भवताड़ा में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : सांचौर उपखण्ड का रणखार से जुड़ता गाँव भवताड़ा, गुजरात बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। वहीं भवताड़ा में करीब 10 हज़ार बीघा सरकारी जमीन खाली पड़ी है जो खेती योग्य नहीं है, जिससे सरकार को जमीन प्राप्ति के लिए आतिरिक्त पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। वहीं सांचौर से भवताड़ा की दूरी 45 किलोमीटर तथा बाड़मेर से सांचौर की दूरी 150 किलोमीटर ही है। यहाँ पर ड्राईपोर्ट बनाने के दौरान गुजरात के समुद्र से भवताड़ा तक काल्पनिक नहर निर्माण के दौरान पानी लाया जाएगा। वहीं सांचौर के सीलू गाँव में नर्मदानहर का पानी उपलब्ध होने से भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता रहेगी। सीलू से हेड से भवताड़ा की दूरी मात्र 30 किलोमीटर होने से नर्मदा नदी के पानी का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। सांचौर से होकर गुजरात के लिए जाने वाला नेशनल हाइवे होने से सड़क की समस्या भी नहीं है। भविष्य में रिफाइनरी के बाद 'बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज' की संभावना बनती है तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समस्या नहीं आएगी। वहीं सांचौर में करीब 20-23 हैक्टेयर जमीन उपलब्ध है। वहीं इसके विस्तार के लिए भी जमीन प्राप्त की जा सकती है।

चितलवाना के काछेला गांव में ग्रीन पॉवर प्लाण्ट से बिजली उत्पादित करने के साथ रिफाइनरी के लिए सीधी बिजली ली जा सकती है। इसके बाद झाब में केयर्न की ओर से तेल कुओं पर कार्य चल रहा है जहाँ प्रारंभिक तौर पर इस क्षेत्र में गैस व तेल भण्डार होने के संकेत मिले हैं। यहाँ पर गैस आधारित पावर प्लांट लगाकर बिजली की माँग पूरी की जा सकती है। जालौर बाड़मेर का पड़ोसी जिला होने से इन दोनों जिलों के लोगों को यहाँ रिफाइनरी लगने से रोज़गार मिल सकेगा। वहीं रोज़गार के लिए युवाओं का पलायन भी रूकेगा। इन दोनों जिलों में बरसात के भरोसे खेती की जाती है। ऐसे में मैनपावर की समस्या भी नहीं रहेगी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सांचौर (राजस्थान) के भवताड़ा में रिफाइनरी लगाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : इस वर्ष कमजोर मानसून के चलते पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है जिससे धान की फसल सूख गयी है। किसान अपनी धान की फसल को काट-काट कर जानवरों को खिलाने पर मजबूर हो गया है परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में से केवल 50 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके 25 जिलों के साथ भेदभाव किया है। मैं भी किसान हूं। मैंने भी 10-12 एकड़ में लगी धान की फसल को सूख जाने के कारण जानवरों को खिला दिया है। मुझे किसानों का दर्द मालूम है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह हस्तक्षेप करके पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कराने का कष्ट करें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

(पंद्रह) देश में बढ़ रही असहिष्णुता के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों/ संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम) : विविधता, सहिष्णुता और सांस्कृतिक सद्भाव भारतीय लोकाचार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, लेकिन देश में बढ़ती असहिष्णुता के मौजूदा माहौल ने इन अभिन्न मूल्यों को खतरे में डाल दिया है।

तीन तर्कवादी विचारकों की हत्या, दादरी में एक निर्दोष व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, उत्तर प्रदेश में मनमाने गोमांस प्रतिबंध,एक बुद्धिजीवी का चेहरा स्याही से दबाने और जम्मू-कश्मीर राज्य में एक विधायक पर हमला करने जैसी घटनाओं ने नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है और भारत की वैश्विक धारणा को भी अकल्पनीय नुकसान पहुंचाया है।

राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करके केरल हाउस कैंटीन में की गई मनमानी छापेमारी संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के गैर-परक्राम्य संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इसलिए, मैं प्रधानमंत्री से हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता की निंदा करने और उन व्यक्तियों/संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूं जिन्होंने अपने बयानों और कार्यों के माध्यम से इस आंतरिक शत्रुता को बढ़ावा दिया है।

(सोलह) तमिलनाडु के चेन्नई में सेना की भूमि पर रह रहे गरीब लोगों के उचित पुनर्वास हेतु उस भूमि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): मैं चेन्नई में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाली बंजर भूमि के एक छोटे से टुकड़े को उत्पादक उपयोग के लिए तमिलनाडु राज्य को हस्तांतरित करने के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। देश में सरकार के स्वामित्व वाली 17.5 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से, पुनर्वसन सं.29, वेपेरी, चेन्नई में 5.845 एकड़ की अनुपयोगी और अप्रयुक्त भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसे सथियावानी मुथु नगर कहा जाता है। लगभग 4500 से 5000 परिवारों के लगभग 25000 से 30000 आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोग पिछले पांच से छह दशकों से इस जगह पर रह रहे हैं। इसमें रहने वाले लोग मछुआरे, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर आदि हैं और मामूली आय अर्जित करते हैं। यहां के निवासी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबसे पिछड़े, पिछड़े आदि समुदायों से हैं।

उनमें से कुछ ट्रांसजेंडर भी हैं। यह स्पष्ट है कि वे सामाजिक और आर्थिक उत्थान के योग्य सरकार की लक्षित आबादी से संबंधित हैं। योग्य गरीब लोगों की दुर्दशा को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने सभी वर्गों, समुदायों और लिंगों के लिए कल्याण प्रदान करने की अपनी नीति के अनुरूप, निवासियों को पेयजल, भूमिगत जल निकासी, बिजली, सड़क, स्कूल, डिस्पेंसरी, सामुदायिक केंद्र आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान की हैं। लेकिन मुद्दा है कि जब तक भूमि का स्वामित्व तमिलनाडु सरकार के पास नहीं है, तब तक कब्जेदारों को कब्जे और स्वामित्व का वैध अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतीत में, इस भूमि को तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने के लिए चर्चा की जा चुकी है लेकिन कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु को भूमि के तत्काल हस्तांतरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं।

(सत्रह) तमिलनाडु का लंबित नदी जल परियोजनाओं को समुचित धन आबंटन के साथ मंजूर किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): जल जीवन का अमृत है। वर्तमान समय में पानी भी एक बहुमूल्य वस्तु बनता जा रहा है। किसी भी सरकार के लिए यह समझदारी होगी कि वह अपनी जल संसाधन क्षमता का अनुकूल स्तर तक उपयोग करे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बार-बार केंद्र सरकार को तमिलनाडु राज्य के भीतर नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रस्तावों के कार्यान्वयन की अनुमति देने और पर्याप्त धन का समय पर आबंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह देश की अन्य प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक अग्रणी मॉडल के रूप में काम कर सकता है। बाढ़ और लगातार बारिश के कारण कावेरी नदी के अतिरिक्त पानी को कावेरी नदी को वैगई और गुंडार जैसी अन्य नदियों से जोड़कर तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मोड़ा जाना चाहिए। कावेरी-वैगई-गुंडर को आपस में जोड़ने से तमिलनाडु के तिरुची, पुदुक्कोट्टई, मदुरै, शिवगंगई, रामनाथपुरम और विरुधुनगर जिलों में वर्षा आधारित कृषि भूमि को बहुत लाभ होगा। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने पहले ही 5,166 करोड़ रुपये के लागत अनुमान के साथ एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए जमा कर दिया है। इसी प्रकार, 11,421 करोड़ रुपये की लागत वाला कावेरी नदी में नहरों के आधुनिकीकरण से संबंधित प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के पास विचार करने लिए ऱखा हुआ है। यही स्थिति पेन्नियार और पालर नदी जोड़ परियोजनाओं और अथिकादावु-अविनाशी बाढ़ नहर परियोजना की भी है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु में उपरोक्त सभी नदी जल परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन आबंटन के साथ अनुमोदन प्रदान करें।

(अठारह) जूट उत्पादन में गिरावट से उत्पन्न स्थिति से निपटने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दम दम) : देश में इस वर्ष जूट का उत्पादन कम रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग के लिए 100 लाख गांठ की कुल आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में 75 से 80 लाख गांठ जूट उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि कुछ जूट मिल मालिकों द्वारा कच्चे जूट की जमाखोरी की गई है जिसके परिणामस्वरूप कच्चे जूट की कमी हुई है। तदनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कर जूट उद्योग के तहत जूट आयुक्त द्वारा जमाखोरी अभियान चलाया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश द्वारा कच्चे जूट के निर्यात को रोकने का मुद्दा वाणिज्य मंत्रालय को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाना चाहिए। मैं सरकार से जूट उद्योग और इसके 2.5 लाख श्रमिकों को बचाने और जूट मिलों को बंद होने से रोकने के लिए स्थिति से निपटने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

(उन्नीस) ओडिशा में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड सहित पारादीप की पोली-पूरोपीलिन यूनिट में भूमि से हटाए गए परिवारों के शिक्षित युवकों को तथा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) : मैं 22 नवंबर, 2015 को पारादीप, ओडिशा में आई.ओ.सी.एल. की कुछ इकाइयों को चालू करने के संबंध में माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके चालू होने की प्रक्रिया के दौरान, मुझे लगता है कि संबंधित मंत्रालय के साथ-साथ आई.ओ.सी.एल. को स्थानीय संसद सदस्य के साथ-साथ उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य को आमंत्रित करने के लिए थोड़ा शिष्टाचार दिखाना चाहिए था जहां इसे स्थापित किया गया है। लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में, हम आई.ओ.सी.एल. और क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए सांसद और विधायक के रूप में भी चिंतित हैं।

25 नवंबर, 2014 को ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) रिफाइनरी परियोजना में पॉली-पूरोपीलिन (पी.पी.) यूनिट की आधारशिला रखते समय, मैंने इस प्रक्रिया के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान रोजगार की ओर आकर्षित किया था जिन्होंने आई.ओ.सी.एल. परियोजना के कारण अपनी आवासीय और कृषि भूमि खो दी। मैंने इस बात की जानकारी ली थी कि आई.ओ.सी.एल. की मूल परियोजना में इलाके के कितने लोगों को रोजगार मिला था। मंत्रालय ने परियोजना के विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारों के तहत कार्यरत भूमि विस्थापितों की संख्या के बारे में डेटा प्रदान किया और इस सवाल पर चुप्पी थी कि मूल परियोजना में कितने लोग कार्यरत हैं। यह चिंता का विषय है कि ठेकेदारों को सौंपा गया निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद ठेकेदारों के अधीन कार्यरत लोग बेरोजगार हो जायेंगे। इसलिए, स्थानीय लोगों को इस व्यवस्था में स्थायी रूप से शामिल करना आवश्यक है। यह भी ज्ञात है कि भूमि विस्थापितों और विस्थापित परिवारों के शिक्षित युवा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों, विशेषकर तकनीकी शिक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में, एक सुझाव दिया गया कि आई.ओ.सी.एल. प्राधिकरण को क्षेत्र के शिक्षित युवाओं, विशेषकर भूमि विस्थापितों और विस्थापित परिवारों को इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा/आई.टी.आई. प्रमाण पत्र और अन्य

शैक्षणिक योग्यताओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल करनी चाहिए, जिसके द्वारा आई.ओ.सी.एल. की मूल परियोजना में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के रूप लोग कार्यरत किए जाएं।

इसलिए, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से फिर से इस मामले को गंभीरता से देखने और क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष तंत्र विकसित करने का आग्रह करता हूं ताकि उन्हें पाली-पूरोपीलिन इकाई सहित आइ.ओ.सी.एल. में शीघ्र ही पाली-पूरोपीलिन इकाई सहित कुशल और अर्ध कुशल श्रेणी में रोजगार मिल सके।

(बीस) महाराष्ट्र के मुम्बई में भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और टाटा मेमोरियल सेंटर के कर्मियों के स्टाफ क्वार्टरों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मेरे संसदीय क्षेत्र मुम्बई साउथ सेन्ट्रल (महाराष्ट्र) में देश के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों के विभाग स्थित हैं। एटॉमिक एनर्जी संस्थान के विभाग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर, टाटा इंस्टीट्याूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और टाटा मैमोरियल सेन्टर जैसे महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों को उनके कम्पाउण्ड में ही रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं। इन क्वार्टरों में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। यहां तक कि सबसे जरूरी पानी की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो रही है। स्टाफ क्वार्टर बहुत पुराने हो गए हैं, इनकी मरम्मत भी नहीं होती है। केंद्रीय सरकार का विभाग डी.सी.एस.एस. एण्ड ई.एम. यहाँ के रख-रखाव का कार्य करता है परंतु इस विभाग के लापरवाह अफसर, डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। पानी की पाइप लाइन 35 वर्ष पुरानी है जो जर्जर हालत में है और इसे बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मुम्बई नगर निगम से भी कोई सहायता नहीं ली जा रही है। इस तरह के कार्यों में यदि केंद्रीय सरकार के विभाग लोकल बॉडी की सहायता लें तो कार्य अच्छी तरह हो पाए।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान एटॉमिक एनर्जी के विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों में मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और दोषी व लापरवाह अफसरों पर उचित कार्यवाही की जाए।

(इक्कीस) आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम) : आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र लगातार और बेमौसम बारिश के दौर से गुजर रहा है। कडप्पा, चित्तौड़, कुरनूल, अनंतपुर और उत्तरंधरा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है और इससे लोगों को काफी असुविधा हुई है। बारिश के कारण नालों में उफान आ गया है और सभी प्रमुख जलाशय उफान पर हैं। तिरूपति शहर में भी भारी बाढ़ आने से स्थानीय आबादी और पर्यटकों को भारी असुविधा हुई। राज्य सरकार ने संकट को संभाला और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की। जैसा कि आप जानते हैं, सड़कों और अवसंरचना का पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक व्यय होता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त धनराशि जारी करके इस संबंध में राज्य सरकार की मदद करें।

(बाईस) आन्ध्र प्रदेश के सूखा प्रवण प्रकाशम जिले में तंबाकू किसानों को वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु सहायता देने तथा उन्हें समुचित क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले) : आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त और वर्षा आधारित प्रकाशम जिले में तंबाकू मुख्य फसल है। यह भारत में उगाए गए तंबाकू का 50% उत्पादन करता है। लेकिन, इस वर्ष अकेले आंध्र प्रदेश में 18 और प्रकाशम जिले में 10 किसानों की आत्महत्या समस्या की भयावहता का संकेत देती हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में तम्बाकू निर्यात करके क्रमशः 6060 और 5200 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। दूसरा, यह 36 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।

अब, भारत का तंबाकू बोर्ड/सरकार किसानों को तंबाकू की खेती छोड़ने के लिए प्रभावित कर रहा है। लेकिन,वास्तविकता यह है कि वे इसे रातों-रात नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने हर बंजर भूमि पर लाखों रुपये का निवेश किया है। इसके बावजूद, वे इसे छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस बात की पूछताछ कर रहे हैं कि वे वैकल्पिक फसल किस प्रकार उगा सकते हैं।

मेरा सुझाव यह है कि अगर किसान के पास दो बंजर हैं, तो हम उसे केवल एक बंजर में उगाने के लिए मना सकते हैं। शेष एक बंजर के लिए, यह सुनिश्चित करके उपयुक्त मुआवजे का भुगतान किया जाए कि वह अन्य वैकल्पिक फसल की ओर जाए। सेस, टैक्स, मुनाफा आदि से जुटाए गए तम्बाकू बोर्ड के 400-500 करोड़ रुपए से मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है। दूसरे, आई.टी.सी. तंबाकू मुनाफे में बड़ी हिस्सेदारी का आनंद ले रही है। इसलिए, आई.टी.सी. को भी इसमें शामिल होना चाहिए और तंबाकू बोर्ड का कुछ बोझ साझा करना चाहिए। तीसरा, जैसा कि आई.टी.सी. के पास कृषि उत्पाद प्रभाग है, वह तम्बाकू किसानों को उन उत्पादों के उत्पादन के लिए मार्गदर्शन कर सकता है जिन्हें वह उनसे खरीद सकता है। अंत में, वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों, आई.टी.सी., सांसदों को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।

(तेईस) केरल में वाडाक्कांचेरी से मन्नूथी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 6 लेन निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री एम.बी. राजेश (पलक्कड़) : यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 से संबंधित कुछ गंभीर मुद्दों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। वालयार और वाडाक्कांचेरी के बीच चार लेन का काम पूरा हो चुका है। हालांकि, वाडाक्कांचेरी से मन्नूठी तक अगले खंड की छह लेन अभी तक शुरू नहीं हुई है। इस काम को वर्ष 2014 तक पूरा करना था। भूमि अधिग्रहण समय पर पूरा हो गया है। हालांकि शुरुआती कुछ काम हुआ था, लेकिन पिछले छह महीने से यह रुका हुआ है। वालयार से कोयम्बटूर तक स्थिति लगभग वैसी ही है। टुकड़ों में काम करने के कारण अत्यधिक देरी हुई और लोगों को असुविधा हुई। राजमार्ग का यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल दो राज्यों को जोड़ता है बल्कि कोयम्बटूर और कोचीन के दो प्रमुख वाणिज्यिक शहरों को भी जोड़ता है। इसलिए, मैं सरकार से मुद्दों को सुलझाने और जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूँ।

(चौबीस) लक्षद्वीप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाओं को नियमित किये जाने की आवश्यकता के बारे में

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप) : एन.एच.एम. कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय, लक्षद्वीप के यू.टी., कवरत्ती में पिछले 5 से 14 वर्षों से नियमित नियुक्ति की उम्मीद के साथ संविधा के आधार पर मामूली पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2012 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एन.एच.एम. कर्मचारियों के लिए नियमित पद बनाने और भरने का निर्देश दिया था। लेकिन लक्षद्वीप के कर्मचारियों के लिए पद बनाने और भरने की कार्रवाई अभी भी प्रारंभिक चरण में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की संसदीय स्थायी समिति ने भी देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित नियुक्तियों के स्थान पर संविदा नियुक्ति के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी। यह अनुरोध है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्देशित आवश्यक पदों का सृजन करके एन.एच.एम. कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाए। वर्तमान में डी.एच.एस, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे एन.एच.एम. कर्मचारियों की सेवाओं को तुरंत नियमित किया जा सकता है और उनका वेतन, भत्ते और छुट्टियां नियमित कर्मचारियों के बराबर तय की जा सकती हैं और उन्हें मेडिकल कैश लेस कार्ड (डी.जी.ई.एच.एस. कार्ड) प्रदान किया जा सकता है।

(पच्चीस) बिहार के दियारा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों को आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति के अध्ययन तथा रिपोर्ट दिये जाने हेतु और इन क्षेत्रों के विकास हेतु समुचित कार्रवाई किये जाने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं बिहार के दियारा क्षेत्र की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

राज्य के कुल 22 जिलों एवं 75 विधान सभा क्षेत्रों में फैली गंगा, कोसी और गंडक का बेसिन दियारा के नाम से जाना जाता है। यह बिहार की कुल भूमि का 12.5 प्रतिशत है। यह क्षेत्र आज भी वैसा ही है जैसा सौ वर्ष पहले हुआ करता था। आज़ादी के 67-68 सा बीतने के बाद भी दियारा के वासी आज भी गुलाम की तरह जी रहे हैं। इनके पूर्वज लालटेन की रोशनी में रात का खाना खाया करते थे और नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। (जैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति स्व. राजेन्द्र प्रसाद एवं लोकगाथा के शेक्सपीयर कहे जानेवाले स्व. भिखारी ठाकुर)। आज भी पूर्व की भांति दियारा के लोग लालटेन की रोशनी में खाना खाते हैं एवं नदी पार करके पढ़ने जाते हैं। दानापुर दियारा बिहार की राजधानी पटना से महज दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन वहाँ के लोगों को सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आज के आधुनिक युग में जहां आधुनिक भारत की कल्पना की जा रही है, वैसी परिस्थिति में भारत के उस भाग जहां अभी तक मूलभूत सुविधा भी आम जनता को नहीं मिल पा रही है, में कैसे विकास की कल्पना की जा सकती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य के बक्सर से दानापुर, पटना से भागलपुर, कोसी एवं गंडकर नदी के दियारा क्षेत्र के विकास हेतु विशेषज्ञों की टीम भेजकर आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति का

अध्ययन कर रिपोर्ट के आधार पर योजनावार तरीके से कार्य किया जाए ताकि दियारा क्षेत्र का विकास हो तथा दियारा के वासी भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें।

(छब्बीस) हरियाणा के हिसार में एक नया रेलवे मंडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि वे हरियाणा के हिसार में एक नया रेलवे मंडल बनाएं। वर्तमान में, हिसार उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के बीकानेर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। बीकानेर मंडल में रूट किलोमीटर (आर.के.एम.) के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे मंडल है जिसके पास 1780 आर.के.एम. है और जो 3 राज्यों-हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है। अगर हिसार मंडल बनाया जाता है तो इसमें कुल 980 आर.के.एम. होगा, जिसमें मंडी डबावली, भट्टियां, सिरसा, भिवानी, हिसार जैसे कृषि केंद्र शामिल होंगे और बीकानेर मंडल में अभी भी 960 आर.के.एम. बचा रहेगा। देश में 900 आर.के.एम. वाले कई मंडल हैं। नए मंडल में हिसार-रेवाड़ी, हिसार-भटिंडा खंड, हिसार-सादुलपुर, हनुमानगढ़-भटिंडा और भिवानी-रोहतक जैसे खंड भी शामिल हो सकते हैं जो वर्तमान में बीकानेर मंडल का हिस्सा हैं। हिसार मंडल का 90% से अधिक क्षेत्र हरियाणा राज्य में आएगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से हरियाणा के हिसार में एक नया रेलवे मंडल स्थापित करने के लिए पहल करने का आग्रह करता हूं।

(सत्ताईस) बिहार में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना (मनरेगा) देश में एक महत्वपूर्ण रोज़गार गारंटी योजना है, जो वर्ष 2005-2006 से ही चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने में मदद मिल रही है। लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को सशक्त करने में मनरेगा काफी हद तक सफल रही है क्योंकि योजना के अंतर्गत एक तिहाई महिलाओं के लिए कार्य निश्चित है। इससे मज़दूरों का पलायन रूका है। ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-शक्ति को भी बढ़ाने में मनरेगा सफल हो रही है। यह योजना दोहरे कार्य-लक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है। जैसे- जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क पथ निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, तट बंधों का निर्माण और मरम्मत, नये टैंक, तालाबों की खुदाई, भूमि समतलीकरण, आहर एवं नहर की खुदाई व मरम्मत कार्य, आदि।

अब तो विश्व बैंक ने भी मनरेगा को संसार के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि अपने देश के करीब 19 फीसदी या यूं कहा जाए कि करीब 18.5 करोड़ निम्न एवं मध्यम वर्ग के पुरूष एवं महिलाओं को इस रोज़गार गारंटी योजना से लाभ हो रहा है। फिर भी सरकार इसे बंद करने पर अमादा है। मनरेगा में केंद्र द्वारा राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को इस योजना के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। यह तो गरीबों के साथ सरासर अन्याय है और उन्हें तुरंत ही भुगतान करने की जरूरत है। हां, अगर योजना में कोई खामी है या कमी है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे भ्रष्टाचार या जिन मज़दूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से भी मजदूरी का भुगतान आदि विषय है, उस पर सदन में चर्चा हो और सार्थक हल निकाला जाये। परंतु योजना को बंद करने का विचार न्यायसंगत नहीं है।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाये और पिछड़े राज्यों जैसे बिहार प्रदेश का जो भुगतान रोका गया है, उसे तुरंत निर्गत किया जाये एवं सदन में इस योजना की कमज़ोरियों पर चर्चा हो।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, रूल 193 के तहत जो चर्चा है, उसे अभी शुरू किया जाए। रूल 193 के लिए आइटम 13 में जो चर्चा इनटॉलरेंस के ऊपर है, उसे अभी लिया जाए। बाकी काम बाद में हो सकता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही मेरी गुजारिश है महोदया।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : सरकार हमेशा नियम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लग रहा है कि नियम 193 के तहत तुरंत चर्चा करनी चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्मली प्रश्न काल के बाद शून्य काल होता है। मैं तुरंत गृह मंत्री जी को खबर करूंगा, वह आ जायेंगे, सरकार को नियम 193 के तहत बहस करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

अब 'शून्य काल' शाम को लिया जाएगा।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैंने आज देश में महंगाई, जो एक ज्वलंत मुद्दा है, के बारे में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह आसमान छूती जा रही है। आवश्यक वस्तुएं पकड़ से बाहर जा रही हैं। मैंने सभा में बार-बार कहा है कि भूखे लोग भूख से लड़ रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं को, कम से कम 15 की संख्या में, नियमित प्रवाह के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिससे सबसे गरीब लोग अपने भोजन के साथ जीवित रह सकें।

महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें इस सत्र में किसी भी समय इस चर्चा को विस्तार से लेने की अनुमति दें।

माननीय अध्यक्ष: श्री वीरप्पा मोइली जी ने भी इसी मुद्दे पर नोटिस दिया है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या आप हर विषय पर बोलेंगे? वह आपसे सीनियर हैं, फोर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं उनके बारे में बोल रही हूं। आज यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उन्हीं का नाम लिया है कि उन्होंने भी इस इश्यू पर नोटिस दिया है। क्या आप मेरा वाक्य पूरा भी नहीं होने देंगे?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): महोदया, मैंने आसमान छूती महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि सरकार इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, इसीलिए, इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह देश में कुपोषण पर हमला करने का भी सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : स्पीकर मैडम, मेरी बात सुनने के बाद आप जो भी निर्णय करें। ...(व्यवधान) वह होने के बाद स्पीकर मैडम बोल रही थीं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपने यह मुद्दा उठाया है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदय, वे सरकार से प्रतिक्रिया नहीं चाहते... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री कल्याण बनर्जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने नोटिस दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है।

… (*व्यवधान*)... [4*]

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, मैं सुझाव दे रहा था कि श्री सुदीप बंदोपाध्यायजी और एक अन्य वरिष्ठ सदस्य श्री वीरप्पा मोइली ने मूल्य वृद्धि का मुद्दा उठाया है... (*व्यवधान*) हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस विषय की पहचान कर रहे हैं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वीरप्पा जी, आपने मुद्दा उठाया है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। आपको एक या दो वाक्य कहने थे और आपने ऐसा किया है। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

श्री एम.वीरप्पा मोइली: लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि चर्चा आज ही हो जाये। अगर समय तय हो गया तो मुझे खुशी होगी लेकिन इसे स्थगित नहीं जा सकता।

[4*]कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री एम. वेंकैया नायडू: स्थगित करने का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार सहिष्णुता के मुद्दे, असहिष्णुता के मुद्दे और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री वीरप्पा मोइली वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं और बहुत अनुभवी भी हैं। आप एक के बाद एक सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते। जो भी हो माननीय अध्यक्ष जी निर्णय लें कि पहले सहनशीलता या पहले मूल्य वृद्धि या अन्य मुद्दे। सरकार दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की ओर से कोई समस्या नहीं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब यह समाप्त हो गया है। सरकार तैयार है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: महोदया, सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलना चाहिए कि इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। मूल्य-वृद्धि के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेना होगा। इस मुद्दे को उठाया जाएगा या उस मुद्दे को उठाया जाएगा जैसा सामान्य बयान हम नहीं चाहते हैं। सरकार या माननीय अध्यक्ष की ओर से कोई सकारात्मक संकेत मिलना चाहिए कि महंगाई के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और तुरंत चर्चा की जाएगी। यह हमारी गंभीर चिंता है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: हर किसी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। महँगाई के इस विषय पर केवल उन्हीं दो माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है।

श्री राजीव रंजन, मुझे आपका नोटिस भी मिला है। मैंने यह भी कहा है कि आज इसे ऐलाऊ मत कीजिए। कोई भी स्थगन प्रस्ताव ऐलाऊ नहीं हुआ है। आपको फिर कभी बात उठाने का मौका दे दूंगी। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह तय हो चुका है। सरकार तैयार है। हम आपका दूसरा ईशू ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कार्य मंत्रणा समिति में तय होगा कि इसे कब उठाया जाए और कब चर्चा की जाए। ऐसा नहीं है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

… (*व्यवधान*)... [5*]

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, हमारा मामला काफी गंभीर है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको शाम को बोलने का मौका दे दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप सबकी सहमति बनी है कि इनटॉलरैंस के संबंध में जो प्रसंग उभर रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करें। मैं चेयर के नाते आपसे कहना चाहूंगी कि जो ईशू सब लोग डिसकस करेंगे, हम सब इससे चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज इसे तुरंत ले रहे हैं। मेरा दोनों तरफ के सदस्यों से इतना ही निवेदन है कि आरोप-प्रत्यारोप सब होंगे, हम कम से कम यहां इनटॉलरैंस नहीं दिखाएं, एक-दूसरे की बात सुन लें। अगर यहां से कुछ बोला जाए,

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सुन लीजिए, आपकी तरफ से भी जवाब आएगा। जब आपकी तरफ से जवाब आएगा, आप लोग भी शांति से सुन लीजिए। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, अपने आपको लाखों जनता का नेता मानते हैं, पूरे देश को एक दिशा देते हैं। अगर देश में किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आज की चर्चा उसे पॉज़िटिव दिशा

[5*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

देगी। इसलिए यह ईशू ऐक्सैप्ट किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं डिगनिटी शब्द कहूं या क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहना चाहती हूं कि यह बात मेनटेन रहे। हम अपनी जिम्मेदारी समझें। यहां कम से कम इनटॉलरैंस नहीं दिखे, यह आप सबसे मेरा निवेदन है। अगर सदन में उच्च प्रकार की चर्चा होगी तो हम पूरे देश को विश्वास दे सकेंगे कि देश का नेतृत्व देश को उचित दिशा में ले जा रहा है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इनटॉलरैंस विषय पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले चर्चा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्हें यह महसूस हो रहा है कि देश में इनटॉलरैंस बढ़ रहा है, मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि वे अपना सुझाव भी दें। इनटॉलरैंस हमारी दृष्टि से नहीं बढ़ रहा है, यदि उनकी दृष्टि से बढ़ रहा है तो उसे समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, यह बताएं। मैं इतनी अपेक्षा करूंगा।

अपराह्न 12.25 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री पी. करुणाकरन की ओर से एक नोटिस मिला है जिसमें उन्होंने श्री मोहम्मद सलीम को देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 193 के अधीन उनकी ओर से चर्चा शुरू करने के लिए अधिकृत किया है।

मैं इसे स्वीकार करती हूं। अब, श्री मोहम्मद सलीम आप।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं करूणाकरण जी, आपका और सदन का धन्यवाद करता हूं कि हम इस विषय पर मयारदित ढंग से चर्चा करेंगे। अभी गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा, हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं, अगर हम सदन में असहिष्णु हो जाएंगे तो पूरे देश को सहिष्णु बनने के लिए नहीं कह सकेते। मैं आपसे अनुमति लेकर करूणाकरण जी की जगह से बोल रहा हूं। देश में जो असहिष्णुता की स्थिति उत्पन्न हुई है मैं उसके व्याख्यान में नहीं जाऊंगा। पिछले कई महीनों से हमारे देश में जिस तरह की घटनाएं शुरू हुई, कुछ लोग यह कहने लगे कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। सदन में महंगाई और दूसरे तमाम विषय थे, लेकिन हमने इस विषय को क्यों लिया, ये घटनाएं छिटपुट नहीं हैं इसकी स्वीकृति सदन भी दे रहा है और आपकी कुर्सी भी दे रही है। जिस तरह से इस बारे में कहा जा रहा था वास्तव में यह वैसा नहीं है बल्कि गंभीर मामला है। यह असहिष्णु शब्द अल्फाज के लिहाज से कम है। देश में सहनशीलता का अभाव हो रहा है बल्कि मेजोरिटिनिज्म की टैरनी, एक विस्फोटक स्थिति इस देश में पैदा कर रही है। यही कारण है कि यह विषय केवल राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और वैज्ञानिक सोच में भी है, जो लोग इस देश को बनाने में, उत्थान करने में अपना दिलो दिमाग लगा रहे हैं,

चाहे वे व्यवसाय के क्षेत्र में हों, इस संकट की स्थिति में सबने अपना विचार रखने की कोशिश की है। आज असहिष्णुता और स्पष्ट हो रही है लोकतंत्र का मतलब बहस, चर्चा और असहमति है। लेकिन कोई आपकी बातें हैं, जो कारनामे हैं, उनसे हम सहमत नहीं हैं हमें लोकतंत्र में यह आधिकार है। मंत्री महोदय कहते हैं कि मैन्युफ्रैक्चरड डिसेंट है। मैन्युफ्रैक्चरड डिसेंट, आप किसको अपमानित कर रहे हैं, श्री सी.एन. राव, श्री भार्गव, श्री नारायणमूर्ति, एक के बाद एक फेहरिस्त लंबी होती गई। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, हम क्या कह रहे थे? हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई, आप देश का अपमान कर रहे हैं, देश को असहिष्णु कह रहे हो, वह मैन्युफ्रैक्चरड हो रहा था, सवाल देश का नहीं है, देश बहुत बड़ा है, ग्रोइंग इन्टोलेरेंस बढ़ती गई, सहिष्णुता का मतलब है कि हमारी देश की परंपरा, संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता सहनशीलता सिखाती है, जो कहीं न कहीं डिपार्चर हो रहा है, हम मुड़ रहे हैं और तेज रफ्तार से मुड़ रहे हैं। चारो तरफ से सिग्नल दिखाने की धीरे-धीरे कोशिश की गई। अभी हमने संविधान के बारे में चर्चा की। बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर विचार किया। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

हमारा संविधान कोई हाथी के ओहदे पर बैठाकर यात्रा करने के लिए नहीं है। हमारी यात्रा किस रूप में हो, उसे दिखाने के लिए है, उसकी दिशा दिखाने के लिए है। हमारा संविधान हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच का आधिकार देता है। यह कोई फासिस्ट राष्ट्र नहीं है। यह लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमने संविधान की चर्चा पर बहुत भाषण सुने। संविधान का ग्रंथ, चंद बहुत बुद्धिमान लोग जो संविधान पंडित हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उन्होंने कांस्टीट्यूशन असेम्बली में बैठकर किताब नहीं लिखी। हमारी हजारों वर्ष की सभ्यता के बुनियाद पर लिखी है। दो सौ वर्ष आजादी की लड़ाई से यह मिली। हमें अफसोस है कि जब प्रधान मंत्री जी बोले, जब गृह मंत्री जी बोले, तो हमारी आजादी की लड़ाई, एंटी कम्युनल जो मूवमैंट था, चाहे वह आहिंसा के रास्ते से हो, सहिष्णुता के रास्ते हो, 1857 का गदर हो या विरसा मुंडा का आंदोलन हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गदर नहीं, स्वातंत्र्य संग्राम था। 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम है। उसे गदर नहीं बोलते।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : गदर मूवमैंट हुआ। ...(व्यवधान) ठीक है, गदर वह बोलते हैं। हम पहले आजादी की लड़ाई बोलते हैं। लेकिन पंजाबी में हमारा गदर मूवमैंट है। वह गदराइट्स हैं, वह गदरी बाबा हैं। अंग्रेज गदर को एक तरह से देखते हैं और हम वामपंथी दूसरी नजर से देखते हैं। विद्रोह भी एक इंक़लाबी शब्द है। यह रिवेलियनशिप नहीं है, नहीं तो गदरी बाबा देश के बाहर जाकर भी इतनी परेशानी में अपनी जान नहीं देते। ...(व्यवधान) आज वह हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि उसकी एक कन्टीन्यूटी है। जब लोग देखें, तो उसका कहीं न कहीं ब्रेक हो रहा है। चूंकि कुछ लोग यह बोले कि क्या पहले नहीं हुआ? अच्छा, 1984 में नहीं हुआ? अच्छा, 1977 में नहीं हुआ? ...(व्यवधान) एक कहानी है कि एक भेडिया बकरी को बोल रहा है कि तुम पानी झूठा कर रहे हो। उसके बाद उसने कहा कि तुम नहीं, तो तुम्हारे बाप-दादा ने किया होगा। अपने दादाजी के बारे में क्या?

यहा आडवाणी जी बैठे हुए हैं। सुधींद्र कुलकर्णी, मैं उनका नाम इसलिए बोल रहा हूं कि वे एक वक्त भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य थे। बहुत से ऐसे नाम आयेंगे। वे सदन के सदस्य नहीं हैं। इन सब लोगों ने घर के अंदर से वार्निंग दी। मैं वार्निंग की बात कर रहा हूं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हर विषय पर ट्वीट करते हैं, जो ग्रेट ओरेटर हैं, जिन्हें देश के लोगों ने बहुत आशा से देश का नेता चुना, सिर्फ सरकार का नेता नहीं चुना। पूरे विश्व के सामने देश को एक सम्मान की जगह पर ले जायेंगे, ऐसी उम्मीद की गयी। विकास पहला मुद्दा होगा, सबका साथ होगा। आपको याद है कि पहले दिन जब पूणे में सिद्दीकी टेक्नोलाजिस्ट की हत्या हुई, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्वीट हो। जब जन्मदिवस पर होता है, कुर्ते या कोट पर होता है, तो कम से कम उस पर भी होना चाहिए था। खैर, एक आध विषय नहीं है। दादरी कांड हुआ। उससे पहले कलबुर्गी की हत्या हुई, पंसारे की हत्या हुई। उससे पहले दाबोलकर की हत्या हुई। आज हम यह चर्चा किसलिए कर रहे हैं? हम एक तर्कसंगत भारत चाहते हैं। हम एक धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं। यह एक दिन का निर्माण नहीं है। यह एक दिन में नहीं होता। सभ्यता एक दिन में नहीं बनती।

सरकारें आती-जाती हैं। हम सब यहां किरायेदार हैं। कोई यहां का मालिक नहीं हैं। आपने पांच वर्ष के लिए एक कार्यक्रम जनता के सामने अपनी तरफ से दिया, जिसे भारी संख्या में लोगों ने सराहा। यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। वहां पर हमने यह देखा कि कहीं न कहीं, जब एनडीए की सरकार थी, उस समय हम हिडन एजेंड़ा कहते थे, तो लोग कहते थे कि हिडन एजेंड़ा क्या है? अभी हिडन एजेंडा नहीं है, सब कुछ खुल्लमखुल्ला है, सब कुछ दिखता है। हमने सरकार से ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, काले धन की वापसी, भ्रष्टाचार खत्म। कहा गया फ्रिन्ज एलीमेंट्स। पहले कहा गया छुटपुट, फिर कहा गया फ्रिन्ज एलीमेंट्स। कौन से फ्रिन्ज एलीमेंट्स? सदन के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य? दलित बच्चे की हत्या होती है, जांच करके देखा जाएगा। लेकिन सवाल है कि हमारी यह कौन सी संस्कृति है कि जब मुसलमान या दलित की बात आएगी तो कुत्ते का पिल्ला याद आ जाएगा एनोलॉजी में। यह तो इंसानियत के खिलाफ है, यह धर्म का मामला नहीं है। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं सहनशीलता की बात कह रहा हूं, हमें ऐसे मंत्री को भी सहन करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) बात यह थी कि जो हमारे प्रांत में हैं, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अपाहिज, को किस तरह से मेन स्ट्रीम में ले आएं। आजादी के बाद तो यही सबसे बड़ी सोच है। हमारे संविधान ने यही निर्देश दिया है कि हम इन्हें मुख्यधारा में ले आएंगे। कहां से फ्रिन्ज एलीमेंट्स नया तैयार हो गया? ये फ्रिन्ज एलीमेंट्स नहीं हैं, हब एंड स्पोक कन्सेप्ट है, जैसे बिजनैस प्रपोजिशन में होता है वैसे राजनीतिक प्रोजेक्ट में हो रहा है। हम खामोश है और स्पोक चक्कर लगा रहा है। पूरे देश में संदेश क्या जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात यहां बार-बार की जाती है, मैं बंगाल से आता हूं।

ओन्नाय जे कोरे, ओन्नाय जे शोहे,
तोबो घृना जेनो तरे तृनोशोमो दोहे।

जो अन्याय करता है और जो अन्याय सहता है, दोनों एक समान हैं, दोनों का अपराध समान होता है। कोई सहन नहीं करना चाहता है, चाहे कोई राइटर हो, शायर हो, अपना सम्मान, पूरी जिंदगी की कमाई वापस कर

रहे हैं और हम उनकी सोशल मीडिया, अखबार, प्रैस कान्फ्रेंस में धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमेशा हर दौर में ऐसा हुआ है, राजा रजवाड़ों के दौर में हुआ है जब लोकतंत्र नहीं था। सब विदूषक नहीं होते, सब साइकोफेन्ट्स नहीं होते। आप टाइम्स स्कवेयर की आवाज सुन सकते हैं और इस समय की बात नहीं सुन सकते कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है? यह सुनना जरूरी है, इसके लिए जमीन पर कान लगाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ी आउटगोइंग कॉल के साथ इनकमिंग कॉल भी रखनी चाहिए कि क्या कॉल आ रही है। अगर एक ही मोड में होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे ऐसा लगा कि आउटगोइंग कॉल तो है, मन की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, तन की बात हो रही है लेकिन देश का मन क्या बोल रहा है, कहां दहल रहा है, यह बात सामने नहीं आ रही है। उसके लिए बिहार के चुनाव की जरूरत हो गई? उसके लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार करना पड़ा? क्या हम यहां बहस करने इसलिए आए थे? यह सवाल नहीं था, सवाल था कि दाल क्यों 200 रुपए किलो हो गई? प्याज क्यों 70-80 रुपए किलो हो गया? एक व्यापारी सत्ता के गलियारे के करीब होने के कारण क्यों देश की सारी दाल गोदाम में भर लेगा और दाल की कीमत से करोड़ों रुपए का फायदा हो जाएगा? सवाल यह नहीं है कि किसके घर में क्या खाना पक रहा है, छोटे का है या बड़े का है, बकरे का है या गाय का है? सरकार की जिम्मेदारी, राजनीति की जिम्मेदारी, राजनैतिक संगठन की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संगठन की जिम्मेदारी यह नहीं है कि हम मछली पका रहे हैं या नहीं पका रहे हैं या कुछ नहीं पका रहे हैं? हम रोहु पका रहे हैं या हिल्सा बना रहे हैं? सवाल यह है कि इस देश में जिसका चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसकी हांडी में खाना नहीं है, सरकार को उसकी तरफ देखना पड़ेगा, राजनीति को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। हम मुद्दे को बदल रहे हैं। सवाल खाद्य सुरक्षा का था ताकि हर गरीब को भरपेट खाना मिले, बेरोजगार को काम मिले, महंगाई थोड़ी कम हो, मैलनरिशमेंट कम हो, कुपोषण के शिकार बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाए। इसके बजाय अख्लाक अहमद को मारना पड़ा, कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ा, कुर्बानी के बाद उसके घर क्या खाना बना। हमें लज्जा आनी चाहिए कि उसका बेटा जो भारत की एयर फोर्स में है, मैंने मीडिया में देखा, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि क्या करेंगे, कुछ कहते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वह सरफरोश

कहता है कि "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा।" यही भारत की भावना है। यह एक चुनाव के आंकड़े से बदलता नहीं है। यह एक सरकार के कहने से नहीं होता है। ये सदियों का है। कहां से हिम्मत मिली? ये फ्रिन्ज एलीमेंट्स सेंटर में कैसे आ गये? गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं दूसरे मंत्री के नाम से पहले गृह मंत्री से शुरु करना चाहता हूं। संविधान का मामला भी उनके विभाग का है। जब चुनाव के बाद मोदी जी सत्ता में आए, भाषण में क्या कहा गया- ...* क्या यह लोक तंत्र की दुहाई है? क्या यह सैकुलेरिज्म की दुहाई है? क्या यह संविधान की दुहाई है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मैं उद्धृत कर सकता हूंः मैं उद्धृत करता हूंः ...[6*] जब आप इलैक्शन की विक्ट्री के बाद ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी बोले।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : कौन बोले? कब बोले? ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : क्या आपको मुझे ऑडियो वर्जन देना पड़ेगा? अच्छा है, वे खड़े होकर बोल दें कि हम ऐसा नहीं बोले। फिर बाकी हम देखेंगे। वे खड़े होकर बोल दें।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मैंने ये सब कहां बोला है? मैंने किस अवसर पर ये बोला है? ये पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें सदन के सामने क्षमा-याचना करनी होगी। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : अच्छी बात है, अगर ये नहीं बोलते हैं। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसे नहीं है। क्या उन्होंने ऐसा कहा?

[6*]अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इन्होंने कहीं से पढ़ा है। मुझे खेद है। क्या आपने कहीं से पढ़ा है?

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : हां। मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो चुनौती दे रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : संघ परिवार की बैठक में,...(व्यवधान) आपका निवेदन था। मैं इस तकरार में जाकर इस बहस को मारना नहीं चाहता। गृह मंत्री जी ने कहा कि यह ... * वर्ष का सवाल उन्होंने नहीं बोला, जो मैंने कहा, वह मैं रिपीट नहीं करना चाहता।...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि जब मीडिया में उस ...(व्यवधान) उस सम्मान के कार्यक्रम के बाद मीडिया में रिपोर्ट आई, गृह मंत्री हैं, ...(व्यवधान) तो वो उसके खिलाफ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। मैं यहां बैठी हूं। वे उनका जवाब देंगे। प्लीज, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम : यह बहुमत का अत्याचार है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आदित्यनाथ जी, एक मिनट बैठिए। मोहम्मद सलीम जी, क्या आपने ये कहा करके आपने किसी रेफरेंस में ये पढ़ा और वह वक्तव्य आपने कहा कि गृह मंत्री का है? गृह मंत्री ने आपसे पूछा कि कब और क्या कहा? वह आप बताओ। उन्होंने कब कहा?

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: कवर पेज है। '*आउटलुक*' का 16 नवंबर का अंक - भारत का पाकिस्तानीकरण। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आप इसका खंडन वहां कीजिए। मैं देखना चाहता हूं; आप संपादक को पत्र लिखें। लेख के लेखक श्री प्रणय शर्मा हैं। ...(व्यवधान) वे आथेंटिक रिपोर्ट करते हैं।...(व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा है कि आपने यह सदन में कहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उसका उत्तर दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मोहम्मद सलीम जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने शुरू में ही कहा था इसलिए कि हर कोई जिम्मेदारी से, आपने कोट करके कहा कि ये उनके वाक्य हैं। आप मेरी पूरी बात सुनिए क्योंकि मुझे आपको भी संरक्षण देना है और उन्हें भी संरक्षण देना है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। गृह मंत्री जी ने आपसे पूछा कि कब कहा, कौन-सी सभा में कहा। आपने केवल वाक्य कोट किया है। उनका कहना है कि उन्होंने नहीं कहा है। कौन-सी सभा में कहा है, यह भी आपको बताना चाहिए। नहीं तो आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप देश के गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, संसद में लगा रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, अब तक मेरा दुर्भाग्य नहीं हुआ कि मैं आरएसएस की बैठक में उपस्थित हुआ।...(व्यवधान) मैं सच्चाई बता रहा हूं मैं आरएसएस की बैठक में नहीं बैठता हूं। क्या आपको इस पर भी आपत्ति है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप क्लीयर कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप गृह मंत्री जी की बात क्लीयर कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : ये तमाम संगठन हैं और इनकी जो कार्यवाही होती है, उसकी कार्यकारिणी हमारे पास नहीं आती है लेकिन टेलीविजन में, अखबार में रिपोर्ट आती है, फोटोज़ आते हैं। दुनिया की जो नम्बर वन मैगजीन्स हैं, उनमें से एक मैगजीन "आउट लुक" से मैंने कोट किया है।...(व्यवधान) राजनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं उनका सत्कार करता हूं और वे उठकर कहें कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।...(व्यवधान) [अनुवाद] मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इस संवाददाता को नोटिस भेजे कि तुमने गलत बयान क्यों दिया, जिसकी वजह से इतनी झड़प हो गई।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: क्या यह उनके नाम से है?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : अगर यह गलत बात है, तो खंडन कीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, कुछ नियम हैं जो इस सभा ने बनाये हैं। यदि मैं इस सदन में किसी सदस्य पर आरोप लगाने जा रहा हूं तो मुझे नोटिस देना होगा। मैं केवल यह कह रहा हूं कि,जब हम बहस कर रहे हों तो कृपया नियमों का पालन करें। हम पूर्वाग्रह नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको कोई नोटिस दिया गया है। यदि मैं उनमें से किसी पर भी अभियोग लगाने जा रहा हूं तो मुझे अग्रिम नोटिस देनी होगी। … (*व्यवधान*) मैं उस पहलू में नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक विशिष्ट नियम है। नियम 352 (II) और नियम 353 पर गौर किया जा सकता है। नियम 352 (II) कहता है:

> "सदन के किसी अन्य सदस्य पर कोई मकसद थोपने या उसकी *प्रामाणिकता* पर सवाल उठाने का आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ दें..."

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब जो कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)...[7*]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, नियम 353 कहता है:

> "किसी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि या आपराधिक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पर्याप्त अग्रिम सूचना नहीं दी हो"

… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): यहां आरोप कौन लगा रहा है? … (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, श्री सिंधिया जी अधिक शिक्षित हैं, वे अंग्रेजी ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन मैं केवल नियम पुस्तिका का उल्लेख कर रहा हूं। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि हम एक बहुत ही

[7*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

महत्वपूर्ण चर्चा में हैं। आइये नियमों का पालन करें। मुझे लगता है, महोदया, आपको बनाए गए नियमों के अनुसार इस सभा को व्यवस्थित करना होगा।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरा मो. सलीम जी से यही कहना था क्योंकि यहीं आमने-सामने बात हुई है। मेरे वाक्य को भी आप ध्यान में रखें। देश के गृह मंत्री पर आपने एक प्रकार से कुछ आरोप लगाये। उन्होंने भी खड़े होकर आपसे कहा कि मैंने यह नहीं बोला है, आप स्थान, समय बताएं। अब उसमें भी ऐसा लिखा है कि गृह मंत्री ने यह बोला; क्या उस पत्रकार ने वैसा कुछ कहा है जैसा आप उद्धृत कर रहे हैं। एक बात ऐसी भी है कि उस पर से कोट करके आप बोलेंगे, उसके लिए भी आपको पहले, वह जो कह रहे है वह भी सही है, नोटिस देना पड़ेगा।..(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आपका कहना सही है। गृह मंत्री भी खड़े होकर बोले कि हम यह नहीं बोले हैं। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उसमें यह लिखा है कि गृह मंत्री ने बोला है।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं आपको दिखाऊँगा। ... (*व्यवधान*) पत्रकार ने कहा है: "मौजूदा संघर्ष अज्ञात क्षेत्र है। इसमें छाप है ... ..[8*] (मोदी जी की चुनाव जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उद्धृत करते हुए)। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह किसने कहा?

... (*व्यवधान*)

[8*]अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : पूरे देश ने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार हमारे देश में शासन में...(व्यवधान) इंडियन होम मिनिस्टर कौन है? ...(व्यवधान) मैं तो कोट कर रहा हूँ। ... (*व्यवधान*) मैं इसे सभा पटल पर रखूँगा। महोदया,आप मुझे अनुमति दें। ... (*व्यवधान*) संसद को इसका संज्ञान लेने दें कि गृह मंत्री के नाम पर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं। ... (*व्यवधान*) मैं जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा।... (*व्यवधान*) मैं प्रमाणित करूंगा। ... (*व्यवधान*) मैं भी रूल्स जानता हूँ।...(व्यवधान) यदि मैं किसी पत्र से कुछ उद्धृत कर रहा हूं तो मैं उसे प्रमाणित करूंगा और माननीय सदन में प्रस्तुत करूंगा। आप मुझे ऐसा करने की अनुमति दें। ... (*व्यवधान*) मैं इसे प्रमाणित और सबमिट करूंगा। यही मैं कह रहा हूं। मैं नियमों को जानता हूं। ... (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह उचित नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आज ऐसे ही बहुत-से प्रसंग आएंगे।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी] **श्री मोहम्मद सलीम :** इसे पूरा विश्व पढ़ रहा है। ...(व्यवधान) मैंने इसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय *जी*, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, यह सच है कि अगर कुछ सदस्य किसी मंत्री या सदस्य के खिलाफ आरोप लगाते है, तो उसे प्रमाणीकरण के साथ एक पिछला नोटिस देना होगा। यह सामान्य नियम है जिसे उद्धृत किया गया था: नियम 352 (2) में। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सही भी है।

प्रो. सौगत राय: यह श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उद्धृत किया गया था। … (*व्यवधान*) यह सच है और यह सही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यह *आउटलुक* का 16 नवंबर का अंक है। तो, इसके बाद से दो सप्ताह बीत गए हैं। *आउटलुक* देश की एक प्रमुख पत्रिका है। यदि यह सच नहीं था, तो गृह मंत्री को ध्यान में रखना चाहिए था और *आउटलुक* को एक खंडन पत्र जारी करना चाहिए था, जिसे गृह मंत्री होने के नाते, पूरे देश में प्रकाशित किया गया जाता। … (*व्यवधान*) गृह मंत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, यह एक सवाल है। तो चाहे सलीम साहब सही हों या गलत, गृह मंत्री को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हुई कि उन्होंने नरेन्द्र मोदी को पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला हिंदू शासक कहा था। अब, उस बिंदु को उन्हें स्पष्ट करना होगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसलिए उन्होंने स्पष्ट भी किया है।

प्रो. सौगत राय: उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यही कारण है कि उनका बचाव उचित नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। हर मंत्री का नाम बोलेंगे, कुछ न कुछ निकल आएगा दस्तावेज।...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप जब बोलेंगी, तब इसके बारे में बोलिए।

श्री मोहम्मद सलीम : आपने अच्छा कहा है मैडम, मेरे कुछ और भी प्वाइंट्स थे, अब मैं उन पर नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्यमंत्री जी इसी के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, हम लोगों ने पहले से तय किया था कि इस तरह की चर्चा में किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी या आरोप नहीं लगाएंगे, जिसके कारण वातावरण खराब हो।

माननीय अध्यक्ष : बोला है, वह रिक्वेस्ट है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, उन्होंने जो चर्चा की है और जिस प्रकार का संवाद पूरे देश में पहुंचाने का प्रयास किया है कि देश के गृहमंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है, जबकि देश के गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है। यदि आप चाहते हैं कि सदन ठीक से चले तो जब तक इस तथ्य की सत्यता प्रमाणित नहीं हो, इस बयान को माननीय सदस्य वापस लें ताकि हम सदन की कार्यवाही को चला सकें। जब तक इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है, तब तक माननीय सदस्य इस वक्तव्य को वापस ले लें ताकि सदन ठीक प्रकार से चले, अन्यथा इस प्रकार का आरोप, जो पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को एक ऐसे वातावरण में धकेलेगा जो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। यह एक ऐसा बयान है जो देश के लिए खतरनाक हो सकता है। सदन की कार्यवाही के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के बयान से परहेज करते हुए, अभी उस टिप्पणी को अलग रखें, तब तक उसकी सत्यता प्रमाणित न हो जाए। मेरा यह आग्रह है कि अगर आपको सदन चलाना है तो मेरा सरकार की तरफ से आग्रह है कि इस प्रकार के बयान न दें। हम उनकी बात सुन चुके हैं, देश भी सुन चुका है, लेकिन देश में इस प्रकार का वातावरण न बने कि देश के गृहमंत्री ने इस प्रकार का बयान दिया है, हमारा माननीय सदस्य से यही आग्रह है कि आप इस बयान की सत्यता प्रमाणित होने तक स्वयं को इस बयान से अलग कर लें या विदड्रॉ कर लें, सदन आपकी बात सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

माननीय अध्यक्ष : वह नियम ही बोल रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इस बयान को उनको अलग रखना पड़ेगा, जब तक इसकी सत्यता प्रमाणित न हो जाए। अगर यह बात कर लें तो हम सामान्य रूप से सुन सकेंगे, अन्यथा इस आरोप के बाद हमारे लिए इस सदन में बैठे रहना कठिन होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम : महोदया, पूरा देश हमें देख रहा है। हमें संयम रखना होगा। ... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: आप गृह मंत्री के खिलाफ बयान नहीं दे सकते जिन्होंने इसका स्पष्ट खंडन किया है। आप इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) पूरी बात का पता चलने तक आपको अपना बयान न वापस लेना होगा। ... (*व्यवधान*) माननीय सदस्य को अपना बयान वापस लेना होगा और फिर जारी रखना होगा। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम: महोदया, मैं 349 के साथ नियम 352 (II) पढ़ना चाहूंगा। नियम 352 (II):-

> "सभा के किसी अन्य सदस्य के इरादे पर आरोप लगाने या उसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाने के माध्यम से व्यक्तिगत संदर्भ, जब तक कि यह बहस के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से आवश्यक न हो, क्योंकि यह स्वयं एक मुद्दा या प्रासंगिक मामला है;"

मुद्दा है 'बढ़ती असहिष्णुता' और उससे उत्पन्न स्थिति। हमने कहा कि यह फ्रिंज एलिमेंट्स का मामला नहीं है, और मुद्दे पर जाओ, मेन जगह पर आओ।...(व्यवधान) उस पर अगर कोई कहे तो उस पर कार्रवाई हो, मेरे ऊपर भी हो। मैं इसके लिए तैयार हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने भी, जैसा भतृहरि महताब जी ने भी कुछ प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, आपकी बातों पर माननीय गृहमंत्री जी ने भी कुछ बातें कही हैं, आपने भी कुछ कागज ऑथेंटिकेट करके दिया है, इन सभी को मुझे देखना होगा। यह होने के बाद ही मैं कुछ बात करूंगी। अभी आप कंटीन्यू कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे ये सब देखना पड़ेगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे इसकी जांच करनी होगी और फिर मैं कोई फैसला दे सकती हूं लेकिन उससे पहले नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे इसकी जांच करनी होगी और तब तक आपके ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। मुझे इसकी जांच करनी होगी, मैं यही कह रही हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, श्री मोहम्मद सलीम जी ने जो कुछ भी कहा है, उससे मैं आहत हूं। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय जीवन में आज जितना मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदया, अपने जीवन में कभी उतना आहत नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं इस प्रकार का स्टेटमेंट यदि कोई गृहमंत्री देता है तो उस गृहमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक आधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं इससे बहुत आहत हुआ हूं। इस सदन के सारे सम्मानित सदस्य जानते हैं, केवल सदन के सदस्य

ही नहीं, हिन्दुस्तान की मॉइनारिटी कम्यूनिटीज के इंसान भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं दे सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं, सोच-समझकर बोलता हूं, नाप-तौल कर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं, अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्ष : मैंने इसीलिए कहा है कि जो भी कुछ बोला गया है, उसको मैंने रिकार्ड में नहीं रखा है। दूसरा, मैंने कहा था कि उस रूल के अनुसार नोटिस देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात कही है कि उन्होंने नहीं बोला है। आपने किसी एक पत्रिका की बात को ऑथेंटिकेट मानकर रखा है। इसलिए, मुझे इसकी जांच करनी होगी। मैंने पहले भी बोला था कि देश के गृह मंत्री पर इस तरह के आरोप लगाना, जिसके बारे में मैंने शुरूआत में भी बोला था, ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो, मुझे इसे देखना होगा। आज यह बात रिकार्ड पर कहीं नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। हम सभी लोग बोलते समय सावधानी से बोलें। भर्तृहरि महताब जी ने बिलकुल सही कहा है कि उस रूल के अनुसार हम लोग रोज़ उठ कर एक-दूसरे पर आरोप लगाएं, वह भी विदआउट नोटिस, यह ठीक नहीं है। इससे हम पूरी चर्चा में बचें ताकि बार-बार हमें रूल की किताब हाथ में नहीं लेनी पड़े।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, बहस आगे बढ़ाने से पहले, उनको माफी तो मांगनी पड़ेगी।...(व्यवधान) अब जब गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोल दिया है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह सहमत हो गये हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद सलीम, मुझे लगता है, आप भी सहमत हैं। आपने भी कहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, रूल की बात हो रही है। रूल 349 (II) है, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

मैं नियम 349 (II) उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

"कोई भी सदस्य को बोलते समय किसी भी सदस्य को अव्यवस्थित अभिव्यक्ति या किसी अन्य अव्यवस्थित तरीके से शोर से बाधित नहीं करना करेगा;"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि उन्होंने नहीं कहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्हें बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं 25 वर्ष से ज्यादा समय से सांसद रहा हूं। मैंने कभी किसी के नाम पर कोई प्रिवीलेज नोटिस नहीं दिया है, चाहे इस सदन में हो या दूसरे सदन में हो। न कभी किसी पर कोई लांछन लगाया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं।

श्री मोहम्मद सलीम, कृपया जारी रखें।

व्यवधान कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [9*]

[9*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : न कभी किसी पर लांछन लगया है।...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने कहा कि वे आहत हुए हैं। उनको आहत करने में मेरा कोई कुसूर नहीं है, मैं क्यों उनको आहत करूंगा? जिस काम को सेन्ट्रल आईबी को, पुलिस विभाग को और खुफिया एजेंसियों को करना चाहिए था कि आपका नाम इस तरह के आर्टिकल में लिखा है। उस काम को मैंने कर दिया है और उसे आपकी नज़र में इस सदन के ज़रिए ले आया हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : इसके बाद आसन से आपने जो निर्देश दिया है, मैं उसको मानता हूं। मेरी बात के बारे में आपने कहा, मंत्री जी ने भी कहा है, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। आपने कहा कि दोनों बातों को मैंने रिकार्ड में नहीं रखा। आप चर्चा करेंगी और सरकार की तरफ से भी इस बात को देखा जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप भी गृह मंत्री जी पर विश्वास रखेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम : बिलकुल। दादरी कांड के बाद जब सरकार चुप थी तब होम मिनिस्टर जी ने ही सबसे पहले लोगों को आश्वस्त करने के लिए बयान दिया था। हम उनको आहत नहीं कर रहे हैं। हम उन पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यदि आउटलुक मेगजीन में ऐसा निकलता है तो पूरे विश्व का आउटलुक मंत्री महोदय के बारे में ऐसा बन जाएगा और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। मेरा ऐसा आउटलुक नहीं है। जब इन्होंने कहा कि आपने कहां से बोला तो मैंने कहा कि आउटलुक पत्रिका से कोट किया और वह हमारा आधिकार है। आप उसको देख सकते हैं।...(व्यवधान) आसन से जो कहा गया है, वह मेरे सिर माथे पर। मैं सब की बात नहीं सुनुंगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. किरिट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। ... (*व्यवधान*) वे अपना बयान वापस नहीं ले रहे हैं। उन्हें अपना बयान वापस लेना होगा। ... (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि श्री मोहम्मद सलीम द्वारा एक बयान दिया गया है। जब तक इस बयान या इस उदाहरण की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं हो जाती, उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। यही हम कह रहे हैं, और फिर वह आगे बढ़ सकते हैं। यह इतना सरल है। मैं बस इतना ही कह रहा हूं। ... (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): वे अध्यक्षपीठ की आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं... (*व्यवधान*) यह वह निर्णय नहीं है जो अध्यक्षपीठ ने दिया है... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं समझती हूं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मेरा इतना ही कहना है अगर आप सोचो तो मो. सलीम जी की यह बात भी ठीक होगी कि अगर आपकी बात पर या आपने किसी संदर्भ में जो स्टेटमैन्ट पढ़ा है और जब गृह मंत्री जी ने कुछ कहा है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर आपको गृह मंत्री पर विश्वास रखकर उसे वापस लेना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें भी चर्चा चलेगी अगर वह कह रहा है और अगर आपके पास कुछ है। जब वह इससे इनकार कर रहे है, तो बात बनती है।

श्री मोहम्मद सलीम : क्या मैं कोई मनगढंत बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि इस मैगजीन से मैं कोट कर रहा हूं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने खुद तो नहीं सुना है।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : वह बयान गलत है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने तो नहीं सुना है।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : लो कर लो, मैं खड़ा हूं, क्या करोगे, क्या मुझे फांसी पर चढ़ाओगे, सूली पर चढ़ाओगे...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया। क्षमा करें, यह सही तरीका नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : चढ़ाओ सूली पर चढ़ाओ।

माननीय अध्यक्ष : यह ऐसे नहीं चलेगा। मुझे खेद है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न *दो बजकर पांच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।*

<u>अपराह्न 2.05 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को ले कर चर्चा चल रही थी, उसमें मो. सलीम साहब ने देश के गृह मंत्री के बारे में एक टिप्पणी की और उन्होंने एक अखबार का रेफरेंस देते हुए उस विषय को कहा था। उसके बाद उन्होंने काग़ज़ को ऑथेंटिकेट किया और कहा कि यह काग़ज़ है। स्पीकर महोदया ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है। मो. सलीम द्वारा जो तथ्य रखे गए थे वे सवरविदित हैं और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने जिस प्रकार से विषय को रखा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बीच में मो. सलीम साहब ने भी अध्ययन कर लिया है। हमारा उनसे अभी आग्रह है कि यह विषय अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक उस बात की सत्यता प्रामाणित नहीं हो जाती है, उस बयान को वापस ले लें तो हमें कोई कठिनाई नहीं है, सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से चल सकेगी। माननीय सदस्य से मेरा फिर से आग्रह है कि आपने जो विषय रखा माननीय गृहमंत्री जी ने उसे स्पष्ट तौर से कहा है कि यह मैंने नहीं कहा है। जब देश के गृहमंत्री ने यह वक्तव्य आपके और सदन के समक्ष रखा है तो मुझे भी यह विश्वास है कि आप उस विषय को पूरे संज्ञान में लेते हुए, उस वक्तव्य को वापस ले लेंगे। हाँ यह बात सही है कि किसी मैगज़ीन ने उसको कोट किया है, जिसको आपने यहां कोट किया है, आपने उसको ऑथेंटिकेट भी किया है। लेकिन आप उस घटना को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सत्यता आपके पास नहीं है। हमारा आपसे आग्रह है कि इस पूरे बयान को आप वापस लें, ताकि सदन की कार्यवाही ढंग से चल सके।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी स्पष्ट बात यह है कि मैं जो बयान दे रहा हूँ, उसके ऊपर यदि संसदीय कार्य राज्य मंत्री यह कहें कि जब तक इसको आप वापस नहीं लेते, तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। ...(व्यवधान) यह भी सहनशीलता का एक अभाव है, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, महोदय, आपके लाभ के लिए, जब मैंने *फ्रंटलाइन* से उद्धरण दिया, तो मैंने ऐसा क्यों कहा? मुझे खेद है, मैंने *आउटलुक से उद्धृत किया।* मैं *फ्रंटलाइन* को भी अनुचित लाभ दे रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं इसे कहां से उद्धृत कर रहा हूं। मैंने कहा कि यह लेख है। मैंने इसे प्रमाणित किया। अब यह हास्यास्पद है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक मैं सच साबित नहीं कर देता, आगे की कार्यवाही नहीं चलेगी। ऐसा कैसे? मैं नहीं कर सकता। मैंने जो कहा, मैंने उद्धृत किया और मैंने इसे रखा। अब अगर मंत्री जी कहते हैं नहीं, तो यह मंत्री जी और भारत सरकार पर निर्भर है। अपनी शक्ति के साथ, उन्हें कार्रवाई करने दें। मैं कैसे कर सकता हूं? एक पाठक के रूप में, मैंने पत्रिका खरीदी। मैंने इसे पढ़ा और मैंने इसे उद्धृत किया। मेरे पास अधिकार है। अब अगर कुछ भी गलत है, तो उन्हें कार्रवाई करने दें। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सलीम जी, संसदीय कार्य मंत्री जो कह रहे हैं, वह बयान आप वापस ले रहे हैं या नहीं। यानी वह चाहते हैं कि आपने जो भी कहा है उसे वापस ले लें।

श्री मोहम्मद सलीमः मैं कैसे कर सकता हूं? अध्यक्ष महोदया पहले ही फैसला दे चुके हैं। अब फैसले के बाद, अगर कोई और फैसला दे रहा है, तो मैं हर फैसले का पालन नहीं कर सकता। मैं केवल अध्यक्षपीठ के फैसले का पालन करता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कैसे भी, सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। मैं सभा को अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दूंगा और फिर हम जारी रखेंगे।

<u>अपराह्न 02.10 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 02.30 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष जी, जो विषय अभी इसके पहले माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने उठाया था कि माननीय सदस्य ने जो बोला था, वह उसे वापस ले लें। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें तो क्षमा भी माँगनी चाहिए, बहुत असत्य आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं उनसे यह आग्रह करूँगा।

[अनुवाद]

डॉ. किरिट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): महोदय, मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 352 और 353 जो माननीय सदस्य जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि उन्हें बिना सत्यापन, बिना प्रमाणीकरण और बिना नोटिस जारी किए इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि लंच टाइम में जब मैं घर गया तो देखा कि सभी टीवी चैनल मोहम्मद सलीम का बयान दिखा रहे थे, जो देश के लिए अपमानजनक है क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री के खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाया है। उन्होंने यह गलत काम किया है। उनको माफी माँगनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 349 का उल्लेख करना चाहूंगा। नियम 349 का खंड (I) कहता है:

> "जब सभा की बैठक चल रही हो, कोई सदस्य सभा के कामकाज के अलावा कोई पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा।"

यहां मो. सलीम ने पत्रिका 'आउटलुक' का नाम उद्धृत किया है। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने इसे केवल खंड 349 (I) के अनुसार उद्धृत किया है। उनकी ओर से कोई अपमानजनक बयान नहीं दिया गया है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है।

… (*व्यवधान*)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: कृपया मुझे पूरा करने दें। … (*व्यवधान*) मैं नियम 352 (II) का भी उल्लेख करना चाहता हूं जो अनिवार्य रूप से सभा के समक्ष लंबित मामले की चर्चा के संबंध में है। निश्चित रूप से, वे कर सकते हैं। … (*व्यवधान*) इसलिए, उनकी ओर से कोई अपमानजनक बयान नहीं दिया गया है। उन्होंने केवल एक उद्धरण दिया जो इस सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के पूरी तरह अनुरूप है। … (*व्यवधान*)

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने न केवल उसे उद्धृत किया है बल्कि उसके बाद उस पर भरोसा भी किया है। यह पूरी बात है। एक पत्रिका से पारित होने का हवाला देना अलग बात है लेकिन उन्होंने इसे उद्धृत करने के बाद कहा कि यह स्थिति है और माननीय मंत्री जी से पूछा कि इस मामले पर बयान दें। इसलिए, उन्होंने उस पर भरोसा किया। तो, माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन का यह कहना कि उन्होंने केवल इसे उद्धृत किया है, यह गलत है। उन्होंने न केवल इसे उद्धृत किया बल्कि इस पर भरोसा भी किया।… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : त्रिवेदी *जी*, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): महोदय, मैं बस सोच रहा हूं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे स्वीकार करने की सहनशीलता हममें है या नहीं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया नियम उद्धृत करें। क्या आप कोई नियम बताना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री दिनेश त्रिवेदी: मुझे डर है और बहुत दुख है कि यह भी असहिष्णुता का प्रतिबिंब है।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया विशिष्ट नियम उद्धृत करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की स्पीकर साहिबा ने अध्यक्षता की और विपक्ष की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मोशन पर विमर्श करने के लिए चर्चा स्वीकार करे। हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि आप जैसे, जहाँ, जिस समय चर्चा कराना चाहें कराएं और आज जीरो ऑवर भी छोड़कर, 377 भी ले कराकर इस बहस की चर्चा शुरू की। मुझे लगता है कि यह करूणाकरण जी की बहस थी, उन्होंने मोहम्मद सलीम जी को अवसर दिया और हमने भी स्वीकार किया। यहाँ तक कि हम एक कदम और आगे गए, कांग्रेस के वक्ता, हमारे मित्र बोलना चाहते थे, हमने कहा कि हम दूसरा स्पीकर नहीं बनेंगे, कांग्रेस को भी हम अनुमति देंगे कि आप प्रथा तोड़ते हुए दूसरे स्पीकर बन जाएं। तीसरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। यह सब कुछ हम लोग बड़े आराम से स्वीकार करते गए। उसके बाद जिस वक्तव्य में किसी एक टिप्पणी का आधार बनाते हुए हमने यह नहीं कहा कि आप गलत हैं या सही हैं, आपने उस कागज़ पर, जो कि एक पत्रिका का कागज़ था, उस पर ऑथैन्टिकेट किया, लेकिन कहीं भी आपने उस आरोप को भी ऑथैन्टिकेट किया है या नहीं, वह सच है या नहीं, गृह मंत्री ने स्वयं उठकर यह बात कही कि यह गलत है। मैं समझता हूँ और माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जब उनके पास तथ्यों का आधार नहीं है, उन्होंने किसी पत्रिका को क्वोट किया है तो सहज ही उस स्टेटमैंट को विदड्रा कर लेते और कहते कि मेरी मंशा नहीं थी, अगर वह गलत है तो मैं विदड्रा कर रहा हूँ। उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो

वह आज भी सदन की संपत्ति है। आज की तारीख में यदि वे उस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं और हमें लगा कि हम पर आघात हुआ है, गृह मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया कि देश के किसी भी गृह मंत्री को उस पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है अगर इस प्रकार का उनका बयान हो। वैसी स्थिति में हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है जो कनफ्रंटेशन का है। हम माननीय सदस्य मोहम्मद सलीम से आग्रह करेंगे कि आप कृपया इस वक्तव्य को विदड्रा कर लें ताकि सदन को हम चला सकें और यदि इसमें सत्यता होगी तो आप समझें कि देश के गृह मंत्री ने क्या कहा है। देश के गृह मंत्री ने कहा कि इसमें अगर एक अंश भी सत्यता हो तो वैसे व्यक्ति को देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर रहने का आधिकार नहीं है। इतने बड़े बयान के बाद भी अगर माननीय सदस्य इस पर सहमति व्यक्त नहीं कर रहे, ...(व्यवधान) और हम बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि हम सब उनके साथ हैं, उस विषय पर चर्चा सुनने के लिए साथ हैं, कहीं किसी प्रकार का ऐसा विषय नहीं है। एक छोटे से आग्रह में, जिसको पूरा देश देख रहा है, एक बयान, जिस पर हमारी आपत्ति है, गृह मंत्री की आपत्ति है, उस पर भी अगर वे इस बात पर टिके रहें तो हम पूरी की पूरी परंपरा की अवहेलना करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदय, बेवजह इसे रिवाइंड पर रिवाइंड किया जा रहा है। स्पीकर महोदया ने कहा - 'रुकें और आगे बढ़ें'। रुकने के बजाय, मैंने स्वीकार किया कि आप उस हिस्से को रोकें और हमें बहस को आगे बढ़ाने दें।

माननीय उपाध्यक्ष: सलीम जी, यह नियम नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम: आप जो कह रहे हैं वह यह है कि 'जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे।' यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्वाह्न सत्र में था और मैंने सलीमजी और माननीय ग्रह मंत्री को भी सुना है।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आपको कोई नियम उद्धृत करना है तो आप कर दीजिए।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: नहीं, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है; ये भावनाएं ही हैं जो आज सभा की कार्यवाही चला रही हैं।

माननीय सदस्य सलीमजी ने *आउटलुक* पत्रिका से उद्धरण दिया है। सवाल यह है कि क्या वे *आउटलुक* में छपे बयान को वापस लेने के लिए अधिकृत हैं। … (*व्यवधान*) यदि वे अधिकृत हैं या उन्हें कुछ प्राधिकरण प्राप्त है, तो वे वापस ले सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: मोइली जी, अब यह मुद्दा नहीं है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: मुद्दा इसे वापस लेने का है। मैं इसे बेवजह नहीं उठा रहा हूं। एकमात्र सवाल यह है कि क्या वे वापस लेते हैं, मामला समाप्त नहीं होगा क्योंकि यह कार्यवाही वृत्तान्त में है। … (*व्यवधान*) मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रश्न को हल करने में सभा की मदद कर रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वेणुगोपाल जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री एम. वीरप्पा मोइली: महोदय, मुझे इसे पूरा करने दें। मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है।

माननीय गृह मंत्री ने बेशक भावनाओं में बहकर यह कह दिया कि 'अगर मैं गृह मंत्री होता तो यह बयान नहीं देता।'

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, वह अलग है। वह प्रासंगिक नहीं है।

श्री एम. वीरप्पा मोइली: यह प्रासंगिक है। कहने का मतलब यह है कि सभा भावनाओं से सराबोर है। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैगजीन में छपा है। यदि गृह मंत्री कहते हैं कि उन्होंने वह बयान नहीं दिया है और वह बयान से मुकर जाते हैं, तो मामला खत्म हो जाता है। माननीय सदस्य का इसे वापस लेने का प्रश्न ही कहां है? मुझे

माननीय मंत्री जी से इसे वापस लेने का तर्क समझ में नहीं आता, जबकि गृह मंत्री खड़े होकर कह सकते हैं कि वह बयान से इनकार करते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सलीम जी ने केवल एक बयान उद्धृत किया जो नियम 349 और 352 के अनुसार *आउटलुक* में छपा था। नियम उन्हें एक पत्रिका उद्धृत करने की अनुमति देता है।

माननीय उपाध्यक्ष: यह ठीक है।

श्री के. सी. वेणुगोपाल: महोदय, मेरा एक मुद्दा है। पहले से ही माननीय अध्यक्ष जी ने फैसला दे दिया है। सरकार एक और फैसला सुना रही है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा गृह मंत्री के खिलाफ या उन पर एक विशेष बयान दिया गया है और उन्होंने उस पर भरोसा किया है। यही से शुरुआत करनी है।

दूसरा भाग यह है कि गृह मंत्री द्वारा उद्धृत एक अप्रमाणित और असत्यापित बयान एक पत्रिका में लिखा गया है जिसे माननीय सदस्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। जब गृह मंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया है और इसे अस्वीकार कर दिया है, जैसा कि श्री वीरप्पा मोइली ने कहा है तो उस वक्तव्य को रिकॉर्ड में रखना गलत और अनुचित है क्योंकि इस सभा की पवित्रता कहीं और बैठे एक पत्रकार से कहीं अधिक है, जो कहीं से कुछ भी उद्धृत कर रहा है। सबसे पहले, यह इस सभा का मान दांव पर है, और मेरी राय में, यह न केवल सदस्य बल्कि पत्रकार के खिलाफ भी लाया जाने वाला विशेषाधिकार प्रस्ताव का मामला है।

माननीय उपाध्यक्ष: सलीम जी, क्या आपको मंत्री जी ने जो कहा है उसके खिलाफ कुछ कहना है?

श्री मोहम्मद सलीम: मुझे किसे जवाब देना है, महोदय? महोदय, क्या मुझे आपको या मंत्री को, या उस सदस्य को जवाब देना चाहिए जो विशेषाधिकार प्रस्ताव चाहता है?

माननीय उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहा है, उस पर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: कृपया मेरी मदद करें, महोदय। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : मान्यवर, आज जिस प्रकार से एक सम्मानित सदस्य ने माननीय गृह मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाये हैं और बिना पुष्टि के आरोप लगाये हैं, बिना प्रमाण के आरोप लगाये हैं और जब उन आरोपों को गृह मंत्री जी ने चुनौती दी तो उन्होंने एक मैगजीन को कोट किया कि इसमें यह अंश छपा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह आरोप ऐसा है, जिस समय से...(व्यवधान) मान्यवर, मैं बस खत्म कर रहा हूं। मेरा भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस है, माननीय सदस्य के खिलाफ भी और एडीटर के खिलाफ भी, उस पर गौर किया जाये और दोनों में नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये, वरना सदन का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो जिसकी मर्जी आएगी, वह बोलेगा। जिसकी जो मर्जी आएगी, वह आरोप लगाएगा। इस आरोप-प्रत्यारोप को रोकने के लिए अब एक ऐसी चुनौती की घड़ी आई है कि आप अनुशासन को कायम रखने के लिए इन दोनों के खिलाफ मेरे नोटिस को स्वीकार करें और सदन उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। 'असहिष्णुता' सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि सी.पी.एम. और भाजपा दोनों ने चर्चा को आगे नहीं बढ़ने देने का फैसला किया है। इधर से कुछ कहा जा रहा है और उधर से उसका विरोध हो रहा है। अन्य सभी राजनीतिक दल जिनके पास यहां कुछ प्रस्तुत करने के लिए है, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस प्रकार, यह किसी प्रकार के निष्कर्ष की ओर ले जा रहा है। इसलिए, अगर सी.पी.एम. और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए और सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 02.43 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 03.16 बजे

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर सोलह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदय, मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति दीजिए। मैं उस मुद्दे पर वापस नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। मैंने जो बोल दिया, वो बोल दिया। अध्यक्ष को निर्णय लेने दीजिए। … (*व्यवधान*) मैं फैसले का पालन करता हूं। उन्होंने कहा: "आप रुक जाइए। इसे रिकॉर्ड में न रखें।" मैंने उनके जवाब में प्रामाणिकता और कई चीजों के कारणों को उद्धृत किया। मैं एक सदस्य हूं, एक निजी सदस्य हूं। मैं जाकर पूछताछ नहीं कर सकता। सरकार को ऐसा करने दीजिए। सचिवालय को ऐसा करने दें। मैं नियमों का पालन करता हूं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री राजनाथ सिंह से कोई शिकायत नहीं है। वास्तव में मुझे खुशी होती अगर श्री मोदी जी की जगह श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री होते। … (*व्यवधान*) क्या उसे भी बोलना मना है?...(व्यवधान) क्या मेरी यह इच्छा नहीं हो सकती?...(व्यवधान) क्या आप इतने असहिष्णु हो जाएंगे?...(व्यवधान) क्या मैं एक नागरिक के रूप में बात नहीं कर सकता?...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : कम्युनिस्ट वालों के हाथों में आ जाए, तो कभी कुछ होता नहीं। इसलिए लोगों ने इन्हें दिया नहीं। मेरा कहना इतना ही है कि एक सदस्य ने आरोप लगाया जिसका विरोध किया गया। नियम मौजूद हैं। अध्यक्षपीठ को नियमों का अध्ययन करने दें, व्यवस्था देने दें और फिर आगे बढ़ें। यह बात होनी चाहिए। यदि कोई कहता है कि अच्छा होता यदि श्री सीताराम येचुरी की जगह श्री करुणाकरन महासचिव बनते। यह केवल ऐसा ही होगा। हमें अनावश्यक रूप से इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप नियमों का पालन करते हैं और अपने निर्णय देते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 03.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 04.01 बजे

लोक सभा अपराह्न चार बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

<u>अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, देश में असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान श्री मोहम्मद सलीम ने माननीय ग्रह मंत्री के विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए थे। मैंने श्री भर्तृहरि महताब और अन्य सदस्यों द्वारा इस संबंध में दिए गए विचारों को सुना। लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 353 के उपबंधों के अधीन किसी भी सदस्य द्वारा तब तक कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसकी पर्याप्त सूचना न दे दी गई हो। समुचित विचारोपरान्त, मैंने यह पाया कि श्री मोहम्मद सलीम द्वारा किया गया कथन अग्रिम सूचना दिए बिना किया गया है। अतः, श्री मोहम्मद सलीम द्वारा की टिप्पणी सदन की कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : एक और बात आप सभी को बतानी है कि इसको केवल दो घंटे एलॉट हुए हैं। तो प्लीज बी ब्रीफ।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कम से कम मुझे सुझाव तो देना ही चाहिए।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दम दम): हमारे सदस्यों को भी बोलना है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप इसे बेहतर जानते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : चलाइए न। आप एकदम क्यों खड़े होते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको 72 मिनट के लिए भी नहीं रोका।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: हमें भी समय मिलना चाहिए। हर बार हमें बोलने का समय नहीं मिलता है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं। आप भी बोलेंगे। मैंने किसी को बोलने के लिए मना नहीं किया। मैंने कहा कि समय का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा शार्ट।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: हमारे सदस्य भी बोलना चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपने तो अभी शुरूआत ही नहीं की। क्यों विरोध करते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको मालूम है कि दो घंटे यानी दो घंटे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: मैं एक सरल स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने अभी कहा कि गृह मंत्री जी के बारे में जो श्री सलीम जी ने कहा वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। क्या आप इसे नियम 380 के तहत समाप्त कर रहे हैं या किसी अन्य नियम का उपयोग कर रहे हैं? कृपया हमें इसके बारे में बताएं क्योंकि यदि किसी सदस्य का भाषण समाप्त करना है तो यह केवल नियम का उल्लेख करके किया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उसके बारे में तो मैंने ही आपको बताया था। यह वहाँ है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं उनके पूरे भाषण को कैसे हटा सकता हूं? मैंने एलीगेशन की जब बात कही है, तो वही बात हो गई। सौगत राय जी, पूरी स्पीच कैसे करूंगी?

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: मैं भाषण के इस भाग के लिए भी पूछ रहा हूं कि क्या आप नियम 380 का उपयोग कर रहे हैं?

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जहां-जहां ऐसे एलीगेशन बार-बार अगर आए हों तो पूरा चला जाएगा। आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अरूण शौरी जी, अपने इंटरव्यू में बोले, हमारे फार्मर मिनिस्टर एनडीए की वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे हैं। ...(व्यवधान) ठीक है, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। हबीब जालिब के एक सेर का मिसरा है। ...(व्यवधान) तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीं था, जितना हमारी माननीय सदस्या यकीन कर रही हैं। ...(व्यवधान)

मैडम, मैं चर्चा चाह रहा था। हमारे लोग चर्चा चाह रहे थे। ...(व्यवधान) मैं लोक सभा की प्रोसीडिंग से कोट कर सकता हूं। ...(व्यवधान) मैं राज्य सभा की नहीं करूंगा। आप फिर उठेंगे, रूल्स बतायेंगे। मैं लोक सभा की बात करूंगा। दिनांक 11.06.2014, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको एड्रेस करके बोले हैं। मैं बाकी चीजों की तरफ नहीं जाऊंगा। वह बहुत अच्छा स्पीच था, जब वह प्रधानमंत्री बने थे। "1200 वर्ष की गुलामी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। बहुत बार हम से थोड़ा ऊँचा व्यक्ति मिले तो सर ऊँचा करके बात करने की हमारी ताकत नहीं होती। दो सौ वर्ष आदिवासी से लेकर, चापेकर ब्रदर्स से लेकर, भगत सिंह, अशफ़ाकुल्ला,

चन्द्रशेखर आजाद से लेकर, खुदीराम, कन्हाई लाल तक फांसी की सूली पर चढ़ गये लेकिन अंग्रेज शासन से, कोलिनयनल शासन से आंख से आंख मिला कर बात करने की कोशिश की, उन्होंने कभी सर नहीं झुकाये।"

उसके लिए हमें गर्व है। अल्लूरी सीताराम राजू हों, मैं सभी का नाम नहीं बोलूंगा, पूरे देश के हर प्रान्त में, मणिपुर से लेकर केरल तक...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : मोहम्मद सलीम साहब, इसमें गलत क्या है? यह सबको पता है। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : कबीर का दोहा है। कबीर का दोहा सुनिए।...(व्यवधान)

"मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे,
तू कहता कागज की लेखी,
मैं कहता आंखों की देखी।"

पिछले कई महीनों से जो पूरे देश में हो रहा है, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, बल्कि हकीकत सामने है और आपके नेतागण भी उसको मान रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं किसी कि नाम नहीं ले रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दीजिए, आप अपनी बात सदन में रखें।

श्री मोहम्मद सलीम : वर्ष 1984 में जो सिखों के साथ जो हुआ तो देश ने उसे सहन किया। यूपीए-वन के समय में जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आयी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, फिर से कानून लागू हो, उसका पालन हो, रिपोर्ट की सिफारिश लागू हो, क्या उसकी चर्चा नहीं हुयी? आप कोई भी पाप करो और कहें कि पहले वाले ने भी पाप किया था तो पाप का सिलसिला चलता रहेगा। वह कहीं न कहीं तो थमेगा।...(व्यवधान) अन्याय आप करें या मैं करूं, अन्याय, अन्याय है। ...(व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं। ...(व्यवधान) यह हिम्मत रखें। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठे-बैठे कमेंट्स नहीं करें।

... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर यह गीत गाया जाता था। वह कविता है -

"हौ धरोमेते धीर,
हौ करोमेते वीर,
हौ उन्नतशीन नाहीं भय ।"

धर्म में धीर हो, कर्म में वीर हो, तब तुम्हे कोई भय नहीं होगा, तब तुम्हारा सर ऊंचा होगा। जहाँ मन भयमुक्त हो और सिर ऊँचा हो। लेकिन आज परिवर्तन क्या हुआ है। क्यों ऐसा सुनना पड़ रहा है? अब कह रहे हैं, हौ धर्म में वीर और कर्म में धीर, तो उससे हमारे देश का सर नीचा हो रहा है, हम सर ऊंचा करके नहीं रह सकते हैं। यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कहें कि हमारा सर 1200 वर्ष से नीचा था। ...(व्यवधान) इसलिए मैंने कहा कि राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 33 प्रतिशत डिसकाउंट दिए।...(व्यवधान) अगर नहीं बोले हैं तो ठीक है।...(व्यवधान) यह सिलेबस में है।...(व्यवधान) यह आपको पढ़ाया जाता है कि एक हजार वर्ष की गुलामी।...(व्यवधान) उसके बारे में चाय की दुकानों में, रास्ते पर बात की जाती है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद सलीम जी जो कुछ भी कहते हैं, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [10*]

[10*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया किया गया

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टीस ठाकुर और कुरियन ने क्या कहा? जब जैन समुदाय ने ही मीट बैन के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नहीं बन सकता है। किसी का खाद्य पदार्थ मुद्दा नहीं बन सकते हैं। सबको अपना-अपना धर्म पालन करना है, प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है। सबका आधिकार संविधान सिद्ध आधिकार है। हमें धर्म से वैर नहीं है। सबको अपने-अपने आधिकार हैं। अगर आप एक के ऊपर दूसरे को लादेंगे, [हिन्दी] आप पूरे विश्व में देखिए, चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म हो, अगर हम उस धर्म को सॉफ्ट से हार्ड बनाना चाहते हैं कि हम बहुत सहन कर लिये, अब हम सहन नहीं करेंगे, तो यह बुनियादी सवाल है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? वहां सॉफ्ट इस्लाम था। तालिबान और मुजाहिद्दीन आकर बोलें कि सॉफ्ट इस्लाम से काम नहीं होगा, हार्ड इस्लाम से काम होगा पूरे विश्व में मदद मिली। बामियान जो गांधार शिल्प कला के दिग्दर्शन थे, बौद्ध मूर्ति को तोड़ दिया गया। क्या उससे अफगानिस्तान का भला हुआ, इस्लाम का भला हुआ, धर्म का भला हुआ? हम क्या करना चाह रहे हैं। इस्लाम से उसका विरोध नहीं था, बौद्ध मूर्ति थी, लेकिन सॉफ्ट से जो हार्ड रिलीजन हुआ, हमने बहुत सहन कर लिया, अब और सहन नहीं करेंगे, यहां उसका मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। आज क्या हो रहा है। आज आइरसिस की ताकत है। पेशावर के बारे में हमने बात की। इस विश्व में जो भी धर्म को कवच बनाकर अन्याय करने की कोशिश करेगा, वह अन्याय उसे भी खाक कर देता है।

आप कहते हैं, धर्म नहीं, धमरनिर्पेक्ष नहीं, पंथ निर्पेक्ष। यहां सदन में बोला गया। प्रधान मंत्री जी ने शुक्रवार को जब भाषण दिया तो कहा कि विश्व के जो जीवित बारह धर्म हैं, वे सब हमारे देश में है। अच्छी बात है। सब धर्म, रिलीजन। जब हम कह रहे हैं कि राजनीति से धर्म को अलग कीजिए, आप कह रहे हैं कि पंथ। पंथ अलग-अलग है, कोई शैव्य है, कोई वैष्णव है। राजनाथ सिंह जी ने यहां बताया कि मुसलमानों के 72 फिरके हैं। देश क्या, हम फिरकों से अलग रहेंगे। यह कहीं न कहीं रॉग नम्बर लग रहा है, इस नम्बर को दुरुस्त करना है। सहनशीलता की जो बात हो रही है, मैं उस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। कहीं बुनियादी सोच में खोट है। मैं फिर कह

रहा हूं कि हर साम्प्रदायिक तत्व धर्म को कवच बनाते हैं। मैं धमरनिर्पेक्ष होकर बोल रहा हूं। आप देखिए बंगलादेश में क्या हो रहा है। यहां कलबुर्गी की हत्या हुई, पन्सारे की हत्या हुई। रैशनल सोच। सवाल हिन्दु-मुसलमान का नहीं है।...(व्यवधान) जिस देश में एक धर्म के सौ फीसदी लोग रहते हैं, वहां भी रैशनल थिंकर्स, लिबरल थिंकर्स के साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी शक्तियों की लड़ाई होती है। सब जगह, सब धर्म के लोगों की जरूरत नहीं होती। ऐसी सोच के लोग जो हमारे देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, देश के लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। जैसे विज्ञान को हम कहते हैं विशेष ज्ञान, वैसे ही बिहार का मतलब है विशेष हार। जो विशेष हार हुई उसे आप समझिए।...(व्यवधान) शत्रुघन सिन्हा जी समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप पहले उनकी बात समझ लेते,...(व्यवधान) मैं होश ठिकाने की बात कर रहा हूं। हमारे देश में गौरव है। हजारों सालों से एक संस्कृति बनती है। कोई संस्कृति मंत्री आकर उस संस्कृति को बदल नहीं सकते। आप उन्हें कलाम जी के बारे में इतना कहते हैं, कलाम जी का मकान उन्हें दे दिया। कलाम जी की सोच तो दीजिए। उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता, सबको मालूम है। कल्चरल मिनिस्टर, कौन सा कल्चर? अभी बोलेंगे तो कहेंगे अनफाउंडेड चार्जेस।...(व्यवधान) यह क्यों हो रहा है, यह आपको समझने की कोशिश करनी है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। जब पहले प्रधान मंत्री जी यहां दाखिल हुए तो उन्होंने सिर झुकाया। मंदिर में लोग रोजाना उपासना करते हैं, सिर्फ उद्घाटन के दिन उपासना नहीं करते। लोकतंत्र हमें यह शिक्षा देती है। आजादी की लड़ाई जद्दोजहद की घरोहर है, जो मुअस्सर की तहजीब है, मिक्स्ड संस्कृति है, महासागर की तरह है। मैं कोट नहीं कर रहा हूं, आप रविन्द्र नाथ जी की कविता जानते हैं। वहां गंगा की धारा कौन है, यमुना की धारा कौन है, नर्मदा की धारा क्या है, गोदावरी क्या है, कावेरी क्या है, ब्रह्मपुत्र क्या है, महासमुद्र में जाकर अलग-अलग धारा को ढूढने से आप पागल हो जाएंगे, धारा नहीं मिलेगी। इस देश की एक धारा है। उत्तर भारत में गंगा-यमुना तहजीबी है। आप ढूंढते रहिए।...(व्यवधान) ये अच्छी बात समझना नहीं चाहते।...(व्यवधान) इस मुअस्सर की तहजीब को ठेस पहुंच रही है। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, उन्होंने पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम तक, उत्तर से

लेकर दक्षिण तक इस धारा को मिलाने की कोशिश की थी। जिनका इस धरोहर से कोई सरोकार नहीं है वह इस धारा को तोड़ना चाहते हैं। यह बिल्कुल साफ बात है।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे हुए लोगों की टिप्पणियों पर उत्तर मत दीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : स्वामी विवेकानंद जी, आजकल तो बहुत स्वामी हैं, पूरे भारत का पथिक बनकर जब वह घूमे, वह भारत की आत्मा को समझने की कोशिश किए, जिसको आप कुता कह रहे हैं वह भी हिन्दुस्तानी है, उसका भी आधिकार है, उस दलित को साथ में लेना पड़ेगा, हर पेशे के लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि सब को मेल-बंधन करना पड़ेगा, इसके लिए ब्रिज तैयार करना पड़ेगा, कुछ लोग बनाते हैं और कुछ लोग पुल तोड़ते हैं। यहां पर चर्चा करेंगे तो आप नोक-झोंक करने लगेंगे, आज गांवों में क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, रेलवे स्टेशन पर क्या हो रहा है, चायखाने में क्या हो रहा है, आज लोग बंट रहे हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है, चाहे मुललमान हो या क्रिश्चियन हों, वे इतनी बड़ी तादाद में हैं उनको आप कहां धकेलेंगे, आप सभी को पाकिस्तान नहीं भेज सकेंगे। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं जहां हिन्दुस्तान का मुसलमान जाना चाहता है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग 1947 में ही चले जाते, हमने इसे नकारा है, हमारे बाप-दादाओं ने नकारा है, इस जमीन को हमने अपना बनाया है, इस चमन को सिंचा है, आप कहते हैं, यह खाते हैं तो पाकिस्तान चले जाइए, वह बोलते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, नारायण मूर्ति को कहां भेजेंगे, रघुराम राजन को कहां भेजेंगे ...(व्यवधान) शाहरूख खान, आमिर खान को कहां भेजेंगे, कश्मीरी पंडितो को क्या दे दिए, आप कश्मीर में सरकार बना लिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जाकर सरकार बना लिया, उनको भी धोखा दे दिया, आप लोगों को बांटते हैं और साथ मिलकर सत्ता हथियाते हो, आप किसकी बात करते हैं, हम लोगों का बंटावारा नहीं चाहते, दिलों का बंटवारा नहीं चाहते, हिन्दु और मुसलमान के नाम पर जंग मत छेडो। यदि आपको जंग छेड़ना है तो भूखमरी के खिलाफ जंग छेड़ो, बेरोजगारी के खिलाफ जंग छेड़ो, पिछड़ेपन के खिलाफ जंग छेड़ो, महिलाओं के खिलाफ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जंग छेड़ो, अगर आपमें हिम्मत है, आज भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उस चुनौती के खिलाफ जंग छेडो, हम सब साथ हो सकते

हैं। आप लोगों को बांट कर किसकी रोटी सेंक रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, वह विदेशी दौरों में कहते थे कि हमें गर्व है, उस वक्त आईएस नहीं था, हिन्दुस्तान का एक भी मुसलमान नौजवान अलकायदा में रिक्रुट नहीं हुआ, हमें फक्र है। ...(व्यवधान) आज जब प्रधानमंत्री विश्व के दूसरे देशों में जाएंगे तो क्या कहेंगे, जो भी जा रहा है वह गलत है, लेकिन उसको गलत रास्ते में खिंचने के लिए देश और विदेश में तत्व है, हमारे सीमा के पार ऐसे तत्व हैं, उनके एजेंट हैं, आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए, जिससे उस एजेंट का काम आसान करके उसके कैंप में धकेल रहे हो, हम कश्मीर में मिलिटेंसी को रोक नहीं पा रहे हैं जबकि वहां 10 लाख की फौज है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह मानने वाले नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : आज फिर से पंजाब जल रहा है, हिन्दु-मुसलमान का सवाल नहीं है, पिछले एक-डेढ महीने से जल रहा है, अकालियों को यह सोचना पड़ेगा कि संघ परिवार के साथ मिलकर क्या किया? हमारा सबसे खुबसुरत, सबसे ताकतवार और सबसे देशप्रेमी आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा खून बहाया, उस पंजाब में आग क्यों जल रहा है। यह सवाल हमें पूछना पड़ेगा, धर्म को आश्रित बनाकर राजनीति करोगे तो उसका नतीजा बहुत ही खराब होगा। मैं बंगाल से आता हूं, आज ही हमारे क्षेत्र में फसाद का माहौल पैदा कर दिया गया, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया, आज मुर्गी चोरी की छोटी सी घटना भी फसाद का कारण बन सकता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद सलीम, उन्हें उत्तर न दें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : आप अच्छी बात सुनिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... [11*]

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, हमारे देश में जो अशोक स्तंभ हैं उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, कुछ आर्टिस्टों को लेकर जुलूस करने से आप सच को नहीं छुपा सकते। सच्चाई सामने आ रही है। सत्य के ऊपर एक श्लोक है, जो मुण्डक उपनिषद् से लिया गया है। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।

'सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयानः

हमारा राष्ट्र धर्म यही है। सत्य की जय होगी और हमारा राजनीतिक दर्शन, बौद्ध, जैन, गांधी तक आहिंसा परमो धर्मा। आज क्या हो रहा है? आज थोड़ा सा एक विकल्प रास्ता देखा गया। आहिंसा परमो धर्मा के 'अ' को उठाकर सत्यमेव जयते के सामने लगाकर आज कहा जा रहा है "असत्यमेव जयते और हिंसा परमो धर्मा।" यह इस देश में नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

[11*] [अनुवाद] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया किया गया

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय अध्यक्ष महोदया, देश भर में बढ़ती असहिष्णुता पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मुझे लगता है कि पूरा देश सरकार की सार्थक बहस और संतोषजनक कार्रवाई को सुनने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।

महोदया, हमारा देश, जिसने हमेशा अहिंसा, सहिष्णुता और सद्भाव के मूल्यों को अक्षुण्ण रखा, संकट के दौर से गुजर रहा है। बुद्ध, अशोक, अकबर और महात्मा गांधी की भूमि को अब असहिष्णुता की भूमि कहा जाता है। लोगों के जीवन के मौलिक अधिकार, खाने के अधिकार, सोचने का अधिकार पर अभूतपूर्व हमला हो रहा है; विपरीत विचारों वाले लोगों को धमकाना, गाली देना और मारना दैनिक मामला बन गया है। ये अभूतपूर्व घटनाएं हैं। देश में प्रतिक्रियावादी ताकतें नफरत की राजनीति करने में बहुत साहसी हो गई हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया असहिष्णुता की बात कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां असहिष्णुता की बात कर रही हैं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन धारण किए हैं। दूसरी तरफ उनके कैबिनेट सहयोगी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, चर्चा की नौबत क्यों आयी? क्या यह राजनीतिक साजिश के कारण है? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, सभी प्रतिष्ठित लेखक, सभी प्रतिष्ठित इतिहासकार, वे देश में असहिष्णुता के संबंध में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। (*व्यवधान*) मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये राजनीति से प्रेरित हैं तो सरकार को खड़े होकर कहना चाहिए कि ये लोग देश के खिलाफ राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। यहां, क्या हो रहा है? मैं इतिहासकारों की शिकायतों के शब्द उद्धृत कर रहा हूं... (*व्यवधान*)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): इतिहासकार कौन हैं?

श्री के. सी. वेणुगोपाल: इतिहासकार ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताऊँगा। चिन्ता न करें। मतभेदों को हिंसा से सुलझाने की कोशिश की जा रही है, बहस का जवाब जवाबी बहस से नहीं बल्कि गोलियों से दिया जाता है। ये इतिहासकार, ये प्रतिष्ठित व्यक्तित्व किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हैं। आप इसे देख सकते हैं। ये लोग,

मैं आपको बता रहा हूं, वे लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और वे ऐसा कह रहे हैं।

श्री निशिकांत दुबे: कृपया नाम बताएं।

श्री के.सी.वेणुगोपाल: मैं आपको बताऊंगा। कृपया प्रतीक्षा करें। उनमें से कुछ ने पहले ही अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं। उनमें से कुछ पहले ही अपने प्रतिष्ठित पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। कुछ प्रतिष्ठित हस्तियां मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, मुझे लगता है कि असहिष्णुता पर अपनी चिंता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है।

यही हम कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*)... [12*] आप लोग असहिष्णु क्यों होते जा रहे हैं? मैं प्रसिद्ध जर्मन कवि मार्टिन नीमोलर को उद्धृत करना चाहूंगा। नाज़ी शासन के दौरान, उन्होंने नाज़ी जर्मनी में व्याप्त असहिष्णुता के खिलाफ लिखा। मैं उद्धृत करता हूं: "पहले वे समाजवादियों के लिए आए, और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था; फिर वे ट्रेड यूनियनवादियों के लिए आए, मैं नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनवादी नहीं था; फिर वे आए यहूदियों के लिए आए, और मैं इसलिए नहीं बोला, क्योंकि उस समय मैं यहूदी नहीं था, वे मेरे लिये आये, और मेरे लिये बोलने वाला कोई न रहा।" यह उन सभी के लिए एक स्पष्ट अनुस्मारक है, जो असहिष्णुता पर चुप्पी साधे हुए हैं, खासकर ट्रेजरी बेंच के लिए।

महोदया, हम हर दिन असहिष्णुता की कहानियां सुन रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो देश और राज्यों में असहिष्णुता के अस्तित्व का विरोध कर रहे हैं; ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देश में हमेशा असहिष्णुता रहती है। यह सच नहीं है। मुझे बताना होगा कि पिछले 15 से 16 महीनों में ही हम देश के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह से देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ने वाली घटनाओं की श्रृंखला देख रहे हैं। अपने विचार व्यक्त करने

[12*] कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया

वाले लोग मारे जा रहे हैं। लोग जो चाहते हैं उसे खाने के लिए मारे गए। लोगों को अपने मतभेद व्यक्त करने के लिए धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। यह क्या है? हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं। हमें अपनी सोच को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन यहां सब सवालों के घेरे में है। इसकी शुरुआत कब हुई? इस संसद ने भी बहुत सी चीजें देखीं। मुझे याद आ रहा है; मैं आपको याद दिला रहा हूं। इसकी शुरुआत कब हुई?

महोदया, पेरुमल मुरुगन, एक प्रख्यात तमिल उपन्यासकार, ने अपने लिखे एक उपन्यास के लिए मिली धमकी के कारण लिखना बंद करने की घोषणा की। हमने उस घटना के समय इस संसद में पेरुमल मुरुगन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। एक के बाद एक, इन सबका उद्देश्य समान दृष्टिकोण रखने वाले अन्य लोगों को मारना या धमकाना था। मैं सूची दूंगा, कृपया सुनें, गोविंद पानसरे की हत्या कर दी गई - मोहम्मद सलीम *जी* ने पहले ही बताया है - वह सी.पी.आई. के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने 21 पुस्तकें लिखी थीं; सामाजिक गलतियों पर टिप्पणियां लिखीं; और वह अंधविश्वास प्रथाओं के खिलाफ थे। वे 26 जनवरी, 2015 को मारे गए थे।

हम्पी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम.एम. कलबुर्गी की धारवाड़ में हत्या कर दी गई। ... (*व्यवधान*) वह केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मारे गए थे। नरेन्द्र दाभोलकर की भी हत्या कर दी गई। हम देख सकते हैं कि तीनों मामलों में हत्या का तरीका एक जैसा है। यानी साजिशकर्ता एक ही हैं। साजिशकर्ता दक्षिणपंथी उग्रवादी हैं। वे वही लोग हैं।

फिर, दादरी की घटना हुई - देश में बढ़ती असहिष्णुता तब चरम पर पहुंच गई जब दादरी के एक ग्रामीण मोहम्मद अखलाक को गोमांस खाने के लिए एक समूह द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया। लोग सांप्रदायिक रूप से प्रेरित अफवाहों के आधार पर उन पर हमला कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी है। ... (*व्यवधान*) दादरी घटना देश पर एक भयानक कलंक थी। यह सदियों से हमें विरासत में मिले धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर एक भयानक धब्बा था। वहां लोगों के अपने भोजन चुनने की आजादी को निशाना बनाया गया। यह एक स्पष्ट, नियोजित हमला है।

घटना के एक दिन बाद अखबारों में खबर आई कि मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम के पास एक बीफ निर्यातक कंपनी का शेयर है। महोदया, एक ही समय में कोई गाय का रक्षक और हत्यारा कैसे बन सकता है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं? जो भी देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते थे, वे इन घटनाओं के बारे में सुनकर स्तब्ध थे। लेकिन सरकार की ओर से कोई परिपक्व बयान या टिप्पणी नहीं आई। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से एक टिप्पणी की उम्मीद थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान 31 रैलियों को संबोधित किया, लेकिन एक भी रैली में उन्होंने इस दुखद घटना का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपने विदेशी समकक्षों को उनके जन्मदिन पर ट्वीट किया। लेकिन उनके किसी भी ट्वीट में इस भयानक घटना को शामिल नहीं किया गया। इस घटना के अगले दिन उन्होंने लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की बधाई दी। यह अच्छा है; उस समय, देश माननीय प्रधानमंत्री से कम-से-कम दो शब्दों के एक ट्वीट की उम्मीद कर रहा था जिसमें इस भयानक घटना की निंदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महोदया, यह केवल एक चेतावनी थी। इस घटना के बाद ऐसी ही खबरें सुनकर हम सभी हैरान हैं। इसी तरह, कश्मीर के अनंतनाग के जाहिद अहमद भट नामक एक ट्रक चालक को भीड़ ने कथित तौर पर गाय की हत्या करने के लिए जला दिया था। वह घृणा और असहिष्णुता की राजनीति का शिकार बना। दिलचस्प बात यह है कि अधिकारियों ने फोरेंसिक जांच के बाद कहा कि गाय की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी और हिंदू बहुल इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए हत्या की अफवाह फैलाई गई थी। यह साजिश किसने रची?

इस घटना से पहले, हमने देखा कि कश्मीर में इंजीनियर रशीद नाम के एक विधायक पर बीफ पार्टी आयोजित करने पर बीजेपी विधायकों ने हमला किया था। सदस्य को मारने की कोशिश की गई, वह भी घर के अंदर। एक दिन के बाद, दिल्ली में उन पर फिर से दक्षिणपंथी समूहों द्वारा हमला किया गया, जिन्होंने उनके चेहरे पर मोबिल ऑयल छिड़ककर चेहरा काला कर दिया।

महोदया, माननीय गृह मंत्री जी यहां हैं। उनके अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर गोमांस परोसने के आरोप में केरल हाउस कैंटीन पर छापा मारा। यह संघवाद का भी घोर उल्लंघन था। केरल हाउस कोई निजी रेस्तरां नहीं है। यह केरल सरकार के अधीन आने वाली संपत्ति है। संबंधित अधिकारियों या सरकार के साथ कोई संवाद किए बिना, दिल्ली पुलिस ने निरंकुश तरीके से काम किया। केरल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27.10.2015 को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। मेरे पास एक विशिष्ट प्रश्न है। किसी रेस्तरां की तलाशी लेने का अधिकार किसे है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या पुलिस के पास अधिकार है। दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 1994 के अनुसार, धारा 11 (1) (2) कहती है:

> "इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में लिखित रूप में पशु चिकित्सा अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति होगी, जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या होने की संभावना है। कृषि मवेशियों के वध किए गए मांस के संदेह वाले परिसर में प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्ति केवल सक्षम प्राधिकारी, यानी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है और शक्ति का प्रयोग करने के लिए लिखित रूप में नोटिस होनी चाहिए।"

इस अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत, पुलिस अधिकारी की शक्तियां कृषि मवेशियों के निर्यात के लिए इस्तेमाल किए गए या इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी वाहन को रोकने और तलाशी लेने तक सीमित हैं। पुलिस अधिकारी की शक्तियां केवल वाहन की तलाशी तक ही सीमित हैं, परिसर की नहीं। लेकिन यहां क्या हुआ? 26.10.2015 को, दिल्ली पुलिस की एक पी.सी.आर. वैन दोपहर लगभग 2.15 बजे, दो सब-इंस्पेक्टर के साथ केरल हाउस के मुख्य द्वार पर पहुंची। मेन गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने दिल्ली पुलिस से दौरे का मकसद पूछा। उन्होंने बताया कि उनसे शिकायत की गई है कि केरल हाउस के अंदर झगड़ा हुआ है। रिसेप्शन से अनुमति मिलने के बाद उन्हें केरल हाउस में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। … (*व्यवधान*) सच कहूं तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26.10.2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। अभी तक, पी.एम.ओ. द्वारा

कोई उत्तर नहीं दिया गया है।.... (*व्यवधान*) वे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वो पत्र लिखा था। ये सब अफवाहों के आधार पर किया जा रहा है। दिल्ली में बहुत सारे मुद्दे हैं। हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है। पुलिस ने दस मिनट के अंदर कार्रवाई की; 20 पुलिसकर्मी केरल हाउस पहुंचे और कैंटीन पर छापा मारा। माननीय राजनाथ सिंह *जी*, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपने हमें सलाह दी। आपको बताना चाहिए कि इस प्रकार की असहिष्णुता को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आपने इन पुलिस वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की है? अगर उन्हें कोई अधिकार है, तो इसके द्वारा आपने देश को क्या संदेश दिया है? आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। आप *भाषण* दे रहे हैं; आप सलाह दे रहे हैं। ... (*व्यवधान*) वह स्वयं संघवाद के खिलाफ है; वह स्वयं कानून के भी खिलाफ है। ... (*व्यवधान*)

तभी, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी द्वारा लिखित पुस्तक के विमोचन से पहले मुंबई में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्य सुधींद्र कुलकर्णी पर हमला किया गया और स्याही फेंकी गई। यह सहिष्णुता के लिए एक बड़ा झटका था। ... (*व्यवधान*)

संगीत की कोई सीमा नहीं है। यह सीमाओं से परे हमारे दिलों में आता है। फिर, शिवसेना की आपत्ति के बाद मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है। नफरत और असहिष्णुता की राजनीति से आहत गजल मास्टर गुलाम अली ने कहा है कि वह भारत में प्रस्तुति नहीं देंगे। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है!

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान के अंपायर अलीम डार और कमेंटेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम को भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टूर्नामेंट से हटा दिया। खेलों के क्षेत्र में भी असहिष्णुता आई। ... (*व्यवधान*)

फिर, गाय के नाम पर राजनीति में एक भयानक मोड़ तब आया जब जयपुर में चल रहे कला महोत्सव में प्लास्टिक की गाय स्थापित करने पर सिद्धार्थ करारवाल नाम के एक कलाकार को दक्षिणपंथी संगठन ने

हिरासत में ले लिया। आयोजकों द्वारा उस मूर्ति को ध्वस्त करने के बाद ही दोपहर में दोनों कलाकारों को रिहा किया गया। यह असहिष्णुता है।

फिर, एक दलित परिवार के दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया था और उनके माता-पिता को कथित रूप से घायल कर दिया गया था, जब वे लोग दिल्ली के बाहरी इलाके के सुनपेड गांव में अपने घर में सो रहे थे। हमलावरों द्वारा कथित तौर पर पेट्रोल छिड़कने और घर में आग लगाने के बाद ढाई वर्ष के वैभव और उसकी 11 महीने की बहन दिव्या की मौत हो गई। यह जातिगत भेदभाव के आधार पर असहिष्णुता का एक स्पष्ट संकेत था। … (*व्यवधान*) लेकिन, इसके बाद जो हुआ वह अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और अधिक दर्दनाक था। … (*व्यवधान*)

केंद्रीय मंत्री का एक दुर्भाग्यपूर्ण जातिगत अपमानजनक बयान आया। जनरल वी. के. सिंह ने कहा कि हरियाणा में दो दलित बच्चों की हत्या के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा, "अगर कोई कुत्ते पर पत्थर फेंकता है तो सरकार जिम्मेदार नहीं है।" यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है! क्या यह एक मंत्री के बोलने का तरीका है? मैं माननीय राजनाथ सिंह *जी*, से पूछता हूं क्या किया जाना चाहिए। मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। हम साहसपूर्वक आपसे मंत्री जनरल वी. के. सिंह को बर्खास्त करने के लिए कह रहे हैं। नहीं तो आप देश को संदेश दे रहे हैं कि हम असहिष्णुता को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या आप मंत्री को बर्खास्त करने के लिए तैयार हैं? हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको मंत्री जनरल वी. के. सिंह को उनके अपमानजनक बयान के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, 40 से अधिक बुद्धिजीवियों और लेखकों ने असहिष्णुता में वृद्धि और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के विरोध में साहित्यिक पुरस्कार लौटा दिए हैं या सार्वजनिक पत्र लिखे हैं। मेरे पास प्रख्यात लेखकों की एक लंबी सूची है जिन्होंने अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए हैं। जब हम लोगों की सूची देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें व्यापक विविधता है। इसमें कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार और कहानीकार हैं। वे अलग-अलग भाषाओं में भी लिखते हैं। वे कभी किसी एक राजनीतिक संबद्धता द्वारा एकजुट नहीं होते हैं। रोमिला थापर

सहित लगभग 50 इतिहासकार - मुझे लगता है, आप उनके बारे में जानते हैं - इरफान हबीब, बी.डी. चट्टोपाध्याय, उपिंदर सिंह, एम.जी.एस. नारायणन और डी.एन. झा ने माननीय राष्ट्रपति को अपनी चिंता व्यक्त करके हुए पत्र लिखा है।

भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री भार्गव ने भारत के राष्ट्रपति को इस असहिष्णुता के बारे में लिखा। जिन फिल्मकारों ने अपने राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है, उनमें दिबाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन, परेश कामदार, निष्ठा जैन, कीर्ति नखवा, हर्षवर्धन कुलकर्णी, हरि नायर, राकेश शर्मा, इंद्राणी लहिरी और लिपिका सिंह दराई शामिल हैं। इससे पहले पुणे में, दो एफ.टी.आई.आई. के पूर्व छात्र प्रतीक वत्स और विक्रांत पवार ने भी अपने पुरस्कार वापस करने का फैसला किया है।

शाहरुख खान और आमिर खान जैसे अभिनेताओं ने बढ़ती असहिष्णुता पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन उन्हें मंत्रियों सहित लोगों के 'असहिष्णु' बयान और टिप्पणियां मिलीं। उनकी टिप्पणियों की प्रतिक्रिया ने देश में मौजूद असहिष्णुता की गहराई को दृढ़ता से साबित किया है। आमिर खान ने कहा कि वह कई घटनाओं से 'चिंतित' हैं। सरकार ने उनसे यह नहीं पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन, दूसरी तरफ, कुछ लोगों ने उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा। क्या यही एकमात्र उपाय है? यदि कोई असहिष्णुता पर सरकार के रवैये पर सवाल उठाता है, तो एकमात्र सरल उत्तर है, "पाकिस्तान जाओ। अन्यथा आप हाफिज सईद के बराबर हैं।" यह बहुत गलत है।

यहां आपने बताया है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और रघुराम राजन कौन है। वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। श्री अरुण जेटली जी अभी यहां उपस्थित नहीं। बढ़ती असहिष्णुता का जिक्र करते हुए, भारत के रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने स्थापित रूढ़िवादियों के प्रति विविध विचारों और चुनौतियों के प्रति सहिष्णुता की अपील की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक संभावनाएं बौद्धिक स्वतंत्रता के माहौल पर निर्भर करती हैं।

इंफोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायणमूर्ति ने कहा कि अल्पसंख्यकों के मन में काफी डर है और कोई भी देश तब तक आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने अल्पसंख्यकों को आश्वस्त न कर दे।

महोदया, भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कई मौकों पर असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बार-बार देश के बहुसंस्कृतिवाद और बहुलवाद की रक्षा करने की आवश्यकता को याद दिलाया लेकिन सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण चुप्पी साध रखी है।

ऐसी घटनाओं और विरोध प्रदर्शनों की एक लंबी श्रृंखला के बाद, सरकार और सत्तारूढ़ दल असहिष्णुता के पीछे राजनीतिक साजिश खोजने में व्यस्त है। इन घटनाओं के पीछे किसने साजिश रची? मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इन घटनाओं के पीछे साजिश पाते हैं, वे राष्ट्र के सामने स्पष्ट करें। हम आपको चुनौती दे रहे हैं; आपको साजिशकर्ताओं को देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए।

आग में घी डालते हुए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों सहित सत्तारूढ़ दल के सदस्य गैर-जिम्मेदाराना और सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं हरयाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत कर रहा हूं ...[13*] गोमांस मुद्दे पर। उन्होंने कहा:

"मुस्लिम रहें, लेकिन इस देश में बीफ खाना छोड़ना ही होगा।"

इसका मतलब है कि अगर मुसलमान गोमांस नहीं खाते हैं तो वे भारत में रह सकते हैं।

श्री महेश शर्मा यहां नहीं हैं। इन प्रतिष्ठित लेखकों और इतिहासकारों के विरोध के बाद हमारे संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा ने बयान दिया। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको लिखने की आजादी है। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं, तो आपको लिखना बंद कर देना चाहिए।" संस्कृति मंत्री क्या है, महोदया?

[13*]कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

मैं महेश शर्माजी को मोदीजी के प्रिय मित्र ओबामा के शब्द याद दिलाना चाहूंगा: "यह हमारे लेखक और कलाकार हैं, जो हमारे समाज को दर्पण दिखाते हैं और हमें हमारे सामान्य उद्देश्य और हमारे सामूहिक विरोध की याद दिलाते हैं।" यह बात ओबामा लेखकों के बारे में बता रहे हैं। और, हमारे संस्कृति मंत्री कह रहे हैं: “यदि आप विरोध करना चाहते हैं तो आप लिखना बंद कर दें।" यह क्या है?

एक राज्य के राज्यपाल बता रहे हैं, “हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। मुसलमान कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं।” एक राज्यपाल, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर है, यह कह रहा है... (*व्यवधान*)

श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): नहीं, महोदया... (*व्यवधान*) इसे हटा दिया जाना चाहिए... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: मैं श्री गिरिराज सिंहजी को उद्धृत कर सकता हूं, जो बाद में सरकार में मंत्री बने। उन्होंने मीडिया से कहा, "नरेन्द्र मोदी का विरोध करने वाले लोग पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए भारत में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जगह होगी।" यह श्री गिरिराज सिंह जी ने कहा है... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: साध्वी निरंजन ज्योति ने क्या कहा, मैं उद्धृत भी नहीं कर पा रहा हूं... (*व्यवधान*)

एक अन्य मंत्री, श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गोमांस के मुद्दे पर कहा, “जो गोमांस खाए बिना नहीं रह सकते, उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए।“ यह क्या है? एक मंत्री ये भद्दी टिप्पणियां दे रहें हैं! ऐसी बेकार टिप्पणियों की एक लंबी सूची है, जो दुर्भाग्यपूर्ण दादरी घटना के बाद तेजी से सामने आई।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दादरी हत्याकांड को 'एक छिटपुट घटना' कहा। वह पहले ही बता चुके हैं कि इसे किसी ने बनाया है। यह बात वित्त मंत्री ने कही है।

श्री महेश शर्मा जी ने कहा कि दादरी की घटना एक दुर्घटना है। संगीत सोम और अन्य भाजपा विधायकों ने, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, भड़काऊ भाषण दिए। संगीत सोम ने कहा, "अगर गोमांस की अफवाह पर किसी व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।" (*व्यवधान*) साक्षी महाराज ने कहा है कि वह गाय के लिए मारने और मरने के लिए तैयार है।

महोदया, ये मंत्रियों और सांसदों द्वारा कहे गए शब्द हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे काम करके देश सहिष्णु है। लेकिन दुर्भाग्य से, इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन कामों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। (*व्यवधान*)

हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशों में देश में असहिष्णुता के अस्तित्व को नकार दिया। वह इन मुद्दों पर अनुचित चुप्पी साधे रहते हैं। प्रधानमंत्री देश में असहिष्णुता के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने 'मन की बात' में, प्रधानमंत्री संस्कृतियों और धर्मों की हमारी विविधता के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता एकता का मंत्र है। फिर, वे अपने सदस्यों और कैबिनेट के सहयोगियों को क्यों नहीं रोकते हैं जो सहिष्णुता को बिगाड़ रहे हैं?

बीजेपी पार्टी अध्यक्ष गैरजिम्मेदाराना बयान देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वह कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, महोदया? बिहार चुनाव के बारे में उनका क्या बयान है? उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी हारती है तो लोग पाकिस्तान में जश्न मनाएंगे। (*व्यवधान*) ये बी.जे.पी. अध्यक्ष द्वारा कहे गए शब्द हैं... (*व्यवधान*) बिहार में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। हमने पाकिस्तान में कोई उत्सव नहीं देखा। भारत के लोगों ने महागठबंधन की बिहार जीत का जश्न मनाया।

कई सरकारी नीतियों की तरह, हमें फर्जी घोषणाएं, *भाषण* तो मिल रहे हैं लेकिन इस संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार अभी भी हर तरह के विरोध के पीछे राजनीतिक साजिश खोजने में व्यस्त है। वे कहते हैं, ये मनगढ़ंत विरोध प्रदर्शन हैं।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटलीजी ने अपने फेसबुक पोस्ट में दादरी हत्याकांड के बाद कई लेखकों द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने को "मनगढ़ंत कागजी विद्रोह" बताया। ये वित्त मंत्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं - (*व्यवधान*) आपके लिहाज से तो यह सही है लेकिन देश के लिहाज से यह वित्त मंत्री का बहुत ही सशक्त चिंतनशील बयान है। यह स्पष्ट है कि यह दोहरे मापदंड की राजनीति है, पाखंड की राजनीति है। एक तरफ विकास, प्रगति, सौहार्द और विविधता की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ लोग सांप्रदायिक

भावनाएं भड़काने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दे बना रहे हैं। यह नरेन्द्र मोदी सरकार की दोहरी मापदंड की राजनीति है।

सरकार की ओर से देश में सांस्कृतिक केंद्रों का सांप्रदायिकरण और भगवाकरण करने का जानबूझकर प्रयास किया गया। उनके सत्ता में आने के बाद, हमने बार-बार संसद में इस मुद्दे को उठाया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.), नेशनल बुक ट्रस्ट - सभी प्रतिष्ठित संस्थानों को निशाना बनाया गया। वे दक्षिणपंथी विचारधाराओं के लिए प्रतिबद्ध थे। चीजें राष्ट्रीय हित में तब आईं जब सरकार ने श्री गजेंद्र चौहान को एफ.टी.आई.आई. का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया। एफ.टी.आई.आई. के छात्रों ने कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया लेकिन सरकार ने उनके विरोध को नहीं सुना। यह हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बाधित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का स्पष्ट प्रमाण है। यह स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ सरकार की विचारधारा आर.एस.एस. और अन्य दक्षिणपंथी आंदोलनों की प्रतिक्रियावादी नीतियों पर आधारित है। यह हिंदू राष्ट्र की धारणा पर आधारित है। मुझे इस सभा को याद दिलाना चाहिए कि हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा क्या है। गोलवलकर *जी* अपनी पुस्तक 'हम या हमारी राष्ट्रीयता परिभाषित' में कहते हैं:

> "सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक 'राष्ट्र' का सवाल है, उस विचार की पांच गुना सीमाओं से बाहर आने वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय जीवन में कोई जगह नहीं मिल सकती है जब तक कि वे अपने मतभेदों को त्यागकर धर्म, संस्कृति और भाषा को नहीं अपनाते और राष्ट्रीय और पूरी तरह से खुद को राष्ट्रीय दौड़ में विलीन कर लेते हैं। जब तक वे अपने नस्लीय, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेद बनाए रखते हैं, तब तक वे केवल विदेशी ही बने रहेंगे, जो राष्ट्र के लिए मित्रवत या शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं।"

ये गोलवलकर *जी* के शब्द हैं। यही विचारधारा आर.एस.एस. प्रमुख ने भी लागू की। उन्होंने हाल ही में टिप्पणी की थी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। मुझे इस सभा में बताना होगा कि हमें सहिष्णु हिंदुत्व को असहिष्णु हिंदुत्व से अलग करना होगा।

कोलंबस की अमेरिका की खोज की 400वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को पढ़कर मुझे वास्तव में गर्व महसूस हो रहा है। स्वामी विवेकानंद वहां गए और एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं:

> "मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है।

क्या आप लोगों को मार कर हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं? क्या आप लोगों को धमकाकर हिंदुत्व कर रहे हैं? आप सांप्रदायिकता पर राजनीति कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) आप अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए हिंदुत्व का उपयोग कर रहे हैं।

महोदया, जब हमें आजादी मिली तो हमारे पास दो विकल्प थे। एक था दक्षिणपंथी उग्रवादियों द्वारा परिकल्पित हिंदू राष्ट्र और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना आज़ाद, संस्थापकों ने दूसरा विकल्प चुना, वह है, धर्मनिरपेक्ष भारत। पंडित *जी* हमेशा विविधता में एकता की सुंदरता में विश्वास करते थे। अपने पहले भाषण में, जिसे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लाल किले में दिया था, उन्होंने कहा:

> “इस देश के लोग, इसकी खूबसूरत संस्कृतियाँ, इसकी भाषाएँ, स्थान और भारतीयों के अच्छे दिल हमें गर्व महसूस कराते हैं कि हम इतनी खूबसूरत भूमि में पैदा हुए हैं। जब हमारे पास रहने के लिए इतनी सुंदर भूमि है, तो हमारा दिल गर्व से क्यों नहीं भरेगा।”

पंडित *जी* ने भारत के बारे में यही बात की थी। लेकिन इस दौरान हमारी सरकार नेहरू *जी* की विरासतों को भी मिटाने की कोशिश कर रही है। गांधीजी ने राम राज्य के अपने सपने में भी यही दृष्टिकोण साझा किया था। हम एक राष्ट्र बन रहे थे। यह हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और आजादी के बाद कांग्रेस द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण था।

हमें उन प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए जो देश में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बाधित करने का प्रयास करते हैं। हमें किसी घोषणा या भाषण की आवश्यकता नहीं है। हमें इस असहिष्णुता को रोकने के लिए कार्रवाई की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कृपया अब समाप्त करें।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, आज तक किसी भी दोषी के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। वही निष्क्रियता, जो हमने तब देखी थी जब देश के चर्च पर व्यापक हमले हुए थे, अभी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री भारत के विचार के बारे में विस्तार से बात करते हैं जो उन्होंने पिछले सप्ताह भी किया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। संविधान दिवस के अवसर पर इस प्रतिष्ठित सभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के शब्दों को सुनकर मुझे पूरी तरह निराशा हुई है। उन्होंने असहिष्णुता के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। सरकार देश में बढ़ते तनाव के प्रति सहिष्णु क्यों है? प्रधानमंत्री ने श्री वी.के. सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से की। वास्तव में, सरकार की यह निष्क्रियता इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को साहस देती है। असली बात तो यही है।

हमें इस चुप्पी के लिए उच्च कीमत चुकानी होगी। मैं सरकार को यह भी याद दिलाता हूं कि लोग आपको इस देश में अनुमति नहीं देंगे और हमारे देश को बर्बाद करने का प्रयास करने वालों को करारा जवाब देंगे।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अपने अंतिम समय तक आपके असहिष्णु कदमों और रवैये के खिलाफ लड़ेंगे। संस्कृति, धर्म और भाषा में हमारी विविधता ने हमारे देश को सुंदर बनाया। हमारे प्रधानमंत्री ने इस विविधता के संबंध में पिछले सप्ताह अपने भाषण में भारत के विचार को बार-बार उद्धृत किया। जब हम इन मूल्यों को खो देंगे, तो हमारा देश प्रतिद्वंद्वी विचारधाराओं का युद्धक्षेत्र बन जाएगा। जो लोग इस विविधता को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, वे इतिहास में हमेशा प्रेतवाधित रहेंगे। भारत अब उन घोषणाओं में नहीं रहता है जो इसे परेशान करते हैं। हमारे देश पर डर से नहीं, बल्कि आशा और दूरदर्शिता से शासन होना चाहिए। मैं हमारे गौरव रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा।

"जहाँ मन भयमुक्त हो और सिर ऊँचा हो, जहां ज्ञान मुक्त होता है जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों सी टुकड़ों में बंटी नहीं होती है, जहां शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हैं, जहां अथक प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर बढ़ाता है, जहां तर्क की स्पष्ट धारा ने मृत आदत की नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता नहीं खोया है, जहां मन को आप निरंतर व्यापक विचार और कार्य की ओर ले जाते हैं, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, मेरे पिता, मेरे देश को जागने दो"

धन्यवाद। जय हिन्द।

[हिन्दी]

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि "कभी दूसरों पर तनकीद मत करिये, तनकीद करने से पहले आइना अपने सामने रखिये।"

मैं आप सबके सामने खास तौर पर जो आइना भेजने की बात कह रहे हैं, उन्हें आज आइना दिखाने का ही काम करने जा रही हूं। जब मो.सलीम साहब बोल रहे थे तो आज जो कुछ वाकया इस संसद में हुआ, ठीक उसी तरीके की डिबेट देश में शुरू की जा रही है और वही मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहती हूं कि कहीं पर कोई खबर किसी अखबार, मैगजीन आदि में छापी जाती है और उसके बाद किसी नेता का बयान आता है और उसके ऊपर माहौल को गरमाया जाता है। जो लोग पिछले एक-डेढ़ वर्ष से किसी चीज के बिना घूम रहे हैं, जिसके रहते उनके हाथ में सब कुछ होता था, जमाना उनका होता था, इसी वजह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के प्रति असहिष्णुता इनके मन में है और वही असहिष्णुता का माहौल इस देश में बना रहे हैं और ये बातें तथ्यों से साबित होती हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग तथ्यों से हटकर रिटोरिक में नहीं बोलते और तथ्य मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। पहला तथ्य जब यह कहा जाता है कि इस देश के अंदर असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है तो पहला तथ्य है, गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2011 से 2015 तक देश में कुल 2,715 सांप्रदायिक घटनाएं घटीं - यानी पिछले चार वर्षों में औसतन प्रति माह लगभग 57 सांप्रदायिक घटनाएं।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

> "...और इनमें से 85 प्रतिशत घटनाएं सिर्फ सात राज्यों में हुईं। उन सभी पर या तो कांग्रेस या गैर-बीजेपी दलों का शासन था।"

पिछले 14-18 महीनों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वस्तुतः कमी आई है क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2014 में 644 मामले दर्ज किए गए और यह बात अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने राज्य सभा में भी कही थी।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कई लेखकों, फिल्म निर्माताओं और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में पिछले कुछ हफ्तों में अपने पुरस्कार लौटा दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस माहौल से, जैसाकि इस देश में तैयार किया जा रहा है और भी काफी लोग चिंतित हैं पर उन्होंने अपने पुरस्कार नहीं लौटाएँ हैं। मेरे अनुसार, ये शायद राजनीतिक कारणों से दिए गए पुरस्कार थे, न कि वे पुरस्कार, जिनकी वास्तव में मांग की गई थी। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि भारत असहिष्णु बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है और इस विशेष तथ्य को साबित करने हेतु कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, यह पूरा माहौल लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है और इसलिए मैं उन्हें बौद्धिक भाड़े के सैनिक कहता हूं। वे बौद्धिक भाड़े के लोग हैं क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वे छवि कैसे खराब कर रहे हैं; वे समुदायों के बीच संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं; और भारत को कैसे प्रगति करनी है, गरीबी की जमीन पर आगे बढ़ना है और गरीबी के खिलाफ लड़ना है।

हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नाम पर बहुत सारी *भाषणबाज़ी* हुई है, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समग्र विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराया है और किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ बात की है, और बिहार में अपनी रैली में उन्होंने विकास पर अपना रुख दोहराया है और सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता बताते हुए कहा कि: “हमें यह तय करना होगा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए या गरीबी के खिलाफ। शांति और सद्भावना ही इस देश को आगे ले जा सकती है। यह इस देश की सांप्रदायिक सद्भावना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है”, और इसी रुख के साथ हमारी सरकार ने बार-बार *‘सबका साथ, सबका विकास’* को कायम रखा है। यदि विपक्ष के लोग सच्चर समिति की प्रतिवेदन की पुष्टि करते हैं, तो उन्हें गुजरात में मुसलमानों की स्थिति की भी पुष्टि करनी चाहिए, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री ने *'सबका साथ, सबका विकास'* के लिए कड़ी मेहनत की है, क्योंकि इन लोगों ने ब्रिटिश-शैली में सरकार चलाई थी- बांटो और राज करो की शैली। सूत्र बहुत सरल है, यानी बहुसंख्यक समुदाय को जातियों में विभाजित करें और धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक समुदायों का ध्रुवीकरण करें और ठीक उसी पर वे काम कर रहे हैं।

जब ये लोग संविधान को याद करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं, संविधान के नाम पर और इस देश की कानून-व्यवस्था के नाम पर और वे इस देश में गोहत्या पर बहस करना चाहते हैं! वे भूल गए कि नीति-निर्देशक सिद्धांतों में क्या कहा गया है; वे भूल गए कि इस देश में कितने राज्य गौहत्या की अनुमति देते हैं; और कितने राज्य गौहत्या की अनुमति नहीं देते हैं। इस देश ने और इस संविधान ने उस कानून में भी संशोधन करने का अधिकार दिया है।

हिंदुस्तान के अंदर 29 में से, क्योंकि यह डाटा तब का था, जब 30 राज्य नहीं थे, 29 में से 21 राज्य ऐसे हैं, जहां पर काऊ स्लॉटर बैन है और यह तब से बैन है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं थी और देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। आंध्र प्रदेश में जो गोहत्या प्रतिषेध एवं पशु संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष में पास हुआ, वह वर्ष सन् 1977 था। वह वर्ष तब था, जब 287 सीटों में से 219 सीटें कांग्रेस के हाथ में थीं और तब कांग्रेस ने यह पास किया था। और तब कांग्रेस ने यह कानून पारित किया। जम्मू और कश्मीर के अन्दर, जब वेणुगोपाल जी बोल रहे थे और मौहम्मद सलीम साहब कह रहे थे कि उसको काऊ स्लॉटर के लिए असेम्बली के अन्दर धमकी दी, वे भूल गये कि 1932 से उस राज्य का वह कानून है। एक कानून मानने वाला देश, जहां पर संविधान प्रमुख दस्तावेज़ है, क्या इस देश में और खास तौर पर जीते हुए प्रतिनिधि लोगों के बीच में यह माहौल बनाना चाहते हैं कि राज्य का कानून भले ही कुछ हो, आप राज्य के कानून को तोड़ें। क्या यह देश में एनार्की नहीं होगी? आपको आधिकार है, कानून के तहत उस राज्य के कानून को बदलने का हक है और इसी सन्दर्भ में मैं वेणुगोपाल जी की बात का जवाब देना चाहती हूं कि जब इन्होंने दादरी के इंसीडेंट को बार-बार कोट किया, दादरी के इंसीडेंट में आपको समझना होगा कि हम एक क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर हैं और उस क्वासी फैडरल स्ट्रक्चर के तहत राज्यों के अपने कानून हैं और केन्द्र के अपने कानून हैं। जब राज्यों को प्रमुखता से अपने कानून का पालन करना है, अगर किसी राज्य के अन्दर उस कानून को तोड़ा गया तो क्या यह उस सरकार की जिम्मेदारी है या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है? उस घटना में दो कानूनों का उल्लंघन हुआ, अगर पहला कानून काऊ स्लॉटर को बैन करता है तो क्या उस कानून का उल्लंघन होना चाहिए और

अगर किसी ने गऊ हत्या की और उस पर लोग भड़के और उसके बाद अगर किसी का मर्डर होता है तो वह मर्डर है। उसको आप सियासत की निगाह से मत देखिये, क्योंकि काऊ स्लॉटर पर ...(व्यवधान) आप बैठिये और सुनने की हिम्मत रखिये। आज मैं आपको इस देश के तथ्य बताना चाहती हूं कि 2006 में भी काऊ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे। 2013 में भी काऊ स्लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे, यह भी इस देश का इतिहास है और इस देश के इतिहास के मुताबिक आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि काऊ स्लॉटर न हो तो अपने राज्य का कानून बदलिये और यह खास तौर से कांग्रेस के लिए है, जो कर्नाटक के अन्दर लगातार इस तरीके की हरकत कर रही है, वह कर्नाटक के अन्दर इस कानून को बदलने की हिम्मत रखे, बदलकर लेकर आये।

इस देश के अन्दर जब दादरी जैसा हत्याकांड होता है और कानून-व्यवस्था पर शक की निगाह जाती है और देखा जाता है कि पुलिस की कार्रवाई जो होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई, नहीं हुई, वहीं पर दिल्ली में उसी हादसे को दोहराने की कोशिश की जाती है और केरल हाउस का इंसीडेंट, जो बार-बार कोट किया तो मैं बताना चाहती हूं कि केरल हाउस कोई डिप्लोमेटिक एन्क्लेव नहीं है, वह कोई और राज्य नहीं है, वह भारत के एक राज्य का हाउस है और उसके मेन्यु के ऊपर बीफ लिखा गया था और बीफ के अन्दर यह तय होगा कि वह बीफ है, गाय का मांस है, किसी और का मांस है, सिर्फ एक फोरेंसिक जांच के बाद और जब वेणुगोपाल जी ने कोट किया...(व्यवधान) बैठिये साहब, आज आप सुनकर जाइयेगा। आज आप अपनी सहिष्णुता दिखाइये। देश आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है, बैठिये और सुनिये। प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट की जब आप बात करते हैं तो आप आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आई.पी.सी. के तहत कोई भी ऐसी दुर्घटना, जिसमें कानून व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है, प्रिवेंटिव कस्टडी तक में लेने का पुलिस का अधिकार है और उसका अधिकार प्रोहिबिशन ऑफ कैटल स्लॉटर एक्ट नहीं छीन सकता। आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. के माध्यम से पुलिस ने कार्रवाई की, वह सही कार्रवाई थी, क्योंकि अगर पुलिस वह कार्रवाई नहीं करती तो दादरी जैसी दुर्घटना इस राज्य में होती और साथ ही यह राज्य का कानून

था। जब राज्य के मुख्यमंत्री इस पर राजनीति करते हैं तो मैं उनको कहती हूं कि अगर इस कानून से आपत्ति है तो इस कानून को बदलकर दिखाइये। आप कानून को बदलिये। यह देश कानून से चलता है। यह देश राज्यों के आधिकार से चलता है और देश केन्द्र के आधिकारों से चलता है। हर बहस को, हर मुद्दे की राजनीति की जा रही है, ताकि कहीं न कहीं आप माइनॉरिटी के मन में खौफ़ पैदा करें। हर चुनाव से पहले इस तरीके का हादसा किया जाता है और हर चुनाव से पहले इस तरीके की बेबुनियादी बातें की जाती हैं।...(व्यवधान) मैं इस सभा का एक स्वतंत्र सदस्य हूं और मैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अपनी बात रखूंगा। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वर्ष 1951 में संविधान संशोधन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कार्य किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि स्वतंत्रता पर हमेशा उचित प्रतिबंध होते हैं और जब विपक्ष के लोग लगातार समुदाय की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, तो मैं फिर से उद्धृत करता हूं,

छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा
लगा जो ज़ख्म ज़बान का, रहा हमेशा दर्द

ये लगातार जो ज़ख्म इस देश की आत्मीयता पर कर रहे हैं, वही दर्द हम लोगों की ज़ुबान से बयां हो रहा है।...(व्यवधान) वही दर्द कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर, बहुसंख्यक समुदाय और अन्य जो इस देश के कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, उन्हें जिस तरह का अपमान सहना पड़ता है, वह बहुत बड़ी बात है। ... (*व्यवधान*) बहुत सारे लोगों की अमीरी इस देश की असहिष्णु जनता से हुई है।...(व्यवधान) मैं पश्चिम बंगाल और केरल की तारीख पर वापस आ रही हूं क्योंकि मेरे दो मित्रों ने कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं। एक डेटा वर्ष 2010 में केरल का है जहां प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ का हाथ प्रश्नपत्र बनाने के कारण काट दिया गया। उस समय कोई पुरस्कार वापसी नहीं हुई थी। 1 दिसंबर, 1999 को मोकेरी ईस्ट स्कूल में मास्टर जयकृष्ण

की उनके छात्रों के सामने हत्या कर दी गई और यह कलबुर्गी या दाभोलकर के मामले से कम नहीं था। कलबुर्गी के मामले में और दाभोलकर के मामले में, मैं अपने दोस्तों को याद दिला दूं कि यह तब हुआ जब उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और अब भी वे कर्नाटक में ही बने हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, पुरस्कार वापसी ब्रिगेड ने वास्तव में इस मुद्दे को कभी नहीं देखा और मुद्दा वास्तव में इसके विपरीत है जिसके लिए वे विरोध कर रहे हैं - चाहे वह 1984 में सिखों का नरसंहार हो, नेल्ली, मेरठ, हाशिमपुरा, भागलपुर, मलियाना या मुजफ्फरनगर में हाल ही में हुए दंगे हों। सूची अभी और आगे बढ़ रही है। गैर-बीजेपी सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। कांग्रेस, वाम और समाजवादी पार्टी और अन्य सभी इन सभी घटनाओं के प्रति बहुत सहिष्णु हैं। उनकी सहनशीलता बहुत अच्छी तरह से बढ़ी हुई है और उसके बारे में बात की जाती है क्योंकि एक तरफ उन्होंने दादरी के बारे में लिखा और कहा लेकिन उन्हें मूडबिद्री का जिक्र करने की भी परवाह नहीं है। उन्हें यह उल्लेख करने की परवाह भी नहीं है कि इस देश में एक माफिया है जो देश के कानून के खिलाफ काम कर रहा है और अगर लोग उनके खिलाफ शिकायत करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। ... (*व्यवधान*)

यह कानून का पालन करने वाला समाज है। सरकार कैसे चलेगी? समाज कैसे चलेगा? यह संविधान प्रदत्त कानून के आधार पर चलेगा। ... (*व्यवधान*) मैं पश्चिम बंगाल आती हूं। मैं अभी पश्चिम बंगाल पर भी आऊंगी। ... (*व्यवधान*) 'कानून और व्यवस्था' राज्य का विषय है और यह केवल राज्य की जिम्मेदारी है। ... (*व्यवधान*) कृपया मुझे कुछ सहिष्णुता दिखाएं।

मैं 66क का हवाला दूंगी। याद रखें, आपने धारा 66क में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो ट्विटर पर बयान और ट्वीट कर रहे थे। प्रेस कोड तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा भी लाया गया था। ये सब सहिष्णुता के उदाहरण हैं! ... (*व्यवधान*) मेरा अभी हुआ नहीं है।

मुझे व्यक्तिगत रूप से एक द्वेष है; मैं इसे आज बहुत व्यक्तिगत बनाने जा रही हूं। शाह आयोग की रिपोर्ट कानून और व्यवस्था तंत्र की विफलता के खिलाफ एक रिपोर्ट थी और लोगों को न्यायमूर्ति शाह अच्छी तरह

से याद हैं। उस मामले में अभियोजक मेरे ससुर थे और रिपोर्ट जला दी गई थी। उन लोगों को कैसे सताया गया! हम सभी इस बात के गवाह हैं। यहां तक कि घरों से गैस सिलेंडर भी छीन लिए गए; और वे सहिष्णुता की बात करते हैं!

वे इस तरफ सहिष्णुता सिखाएंगे। मैं वास्तव में हैरान हूं। फरीदाबाद की घटना *दलितों* के नाम पर मेरे दोस्तों ने उद्धृत की थी। पहले जो कुछ हुआ और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे उलट रिपोर्ट आ चुकी है। मुझे यकीन है माननीय गृह मंत्री उसका उल्लेख करेंगे। यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था और इस तरह ये आरोप लगाए गए क्योंकि दोनों पक्षों के खिलाफ एफ.आई.आर. लंबित थीं और वे काफी समय से एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ... (*व्यवधान*) व्यक्तिगत दुश्मनी के मामले को जातीय हिंसा का मामला बना दिया गया। मुझे लगता है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता क्योंकि आप इस देश के ताने-बाने को तोड़ रहे हैं। फरीदाबाद की घटना में जो हुआ, विशेषकर हरियाणा के लोगों को याद होगा। मैं मिर्चपुर, गोहाना और कम-से-कम दस अन्य घटनाओं के बारे में बात कर सकती हूं जो पिछले चार या पांच वर्षों में हुई हैं। हिंसा पर मुझे यही कहना है। ... (*व्यवधान*)

मैं किसी भी चीज को उचित नहीं ठहरा रही हूं। मैं किसी भी बात को सही ठहराने वाली आखिरी व्यक्ति हूं। यह एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा है जो निंदनीय है और कानून और व्यवस्था तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मेरा कथन है। ... (*व्यवधान*) मैं इसे भी संभाल लूंगी। कृपया धैर्य दिखाएं।

हमारे पास सीमित समय है। मुझे कई तर्कों से जूझना पड़ता है और आप उल्लंघन कर रहे हैं। ... (*व्यवधान*) हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, हिंसा मौखिक भी होती है; और मैं सराहना कर सकती हूं। जो लोग बयानों को तोड़-मरोड़कर ऐसी बात का अर्थ निकालते हैं जो नहीं कही गई है, वह भी भाषा के प्रति हिंसा है; और भाषा के प्रति हिंसा को प्रदर्शित करने की जरूरत है और इसके बारे में बात करने की जरूरत है। ... (*व्यवधान*)

मेरे जैसे लोग कहेंगे कि इस देश में कुत्तों का भी सम्मान है क्योंकि इस देश में अधिकतम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। स्वभाव से, मुझे मांसाहारी भोजन करने वालों से कोई शिकायत नहीं है; कदापि नहीं। यह एक व्यक्तिगत पसंद है लेकिन अधिकांश लोगों के लिए चाहे वह कुत्ता हो या चींटी, जीवन अनमोल है और जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए; और पर्यावरण, नदियों, जीवन और निर्जीव वस्तुओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। यही *अहिंसा* का दर्शन है। जब लोग इस तरह के उग्र बयान देते हैं तो *अहिंसा* के दर्शन का उल्लंघन होता दिखता है। ऐसे उग्र बयानों की निंदा की जानी चाहिए। शब्दों को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करने की भी निंदा की जानी चाहिए।

महोदया, मैं रिकॉर्ड देख रही था और रिकॉर्ड में मुझे सलमान रुश्दी पर कुछ टिप्पणियां मिलीं। सलमान रुश्दी के बारे में कुछ शब्द बोले गए हैं। उनकी किताब को अस्सी के दशक में प्रतिबंधित कर दिया गया था। उस समय कौन सत्ता में था, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी। 2012 में रुश्दी जी को जयपुर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने की भी अनुमति नहीं थी। ... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया, वेस्ट बंगाल में वर्ष 1977 से वर्ष 2009 के बीच 55,408 लोग मारे गये। वेस्ट बंगाल में किसका राज था और वे किस तरह के सेक्युलर मर्डर थे, उन पर भी कुछ रौशनी डालनी चाहिए। क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश में मर्डर होते रहेंगे, लोगों को बांटा, काटा, छाँटा जायेगा और लोग विकास, पढ़ाई, महिला सुरक्षा, भोजन और मैलन्यूट्रीशंस की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस तरह की अखबारों और किताबों में डाली जायेंगी और उसके ठीक दो महीने बाद या कुछ समय बाद, जब तक तहकीकात होगी, एक छोटी-सी अपोलोजी आ जायेगी लेकिन तब तक वह मुद्दा भुनाया जा चुका होगा। यह इस देश की असलियत है। इस देश की असलियत है कि भारतीय संविधान के मुताबिक जो क्वासि फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही थी, उसी क्वासि फेडरल स्ट्रक्चर में 13 राज्यों में कांग्रेस पावर में थी, कैटल स्लॉटर्स के खिलाफ जो कानून है, उसे लाया गया। डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिल्ज और ड्राउट एनिमल्स के खिलाफ बात कही गयी है। मैं उसके इकोनॉमिक एंगल को मैलन्यूट्रीशन से जोड़ना चाहती हूं। जब किसी बच्चे को बढ़ती उम्र में

खुराक की जरूरत होती है, तो उसका जो कैल्शियम-प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स है, वह गाय, भैंस और मिल्क एनिमल्स का दूध ही रहता है। उसमें धर्म को लेकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और वह इकोनॉमी का हिस्सा है कि एक गरीब देश में, जहां पर गरीबी, भुखमरी, मैलन्यूट्रीशन है, भोजन की व्यवस्था अपने-आप में दुष्वार है, लगातार परिवार के खेती के प्लॉट साइट छोटे होते जा रहे हैं, लगातार उसमें फर्टिलाइजर डालने का खर्चा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बिहार का बार-बार उदाहरण दिया जा रहा था, पुरुष काम करने के लिए राज्य से बाहर आ जाते हैं और महिलायें वहां बच्चों की देखभाल करने के लिए रह जाती हैं। अगर घर में गाय-भैंस कोई जानवर हो, तो उनके गोबर का इस्तेमाल, गोबर गैस के चुल्हे के लिए किया जा सकता है और जानवरों से दूध, घी, मक्खन का इंतजाम किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर एग्रोइकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह मैं नॉन-रिलिजियस, इरिलिजियस लोगों के लिए कह रही हूं, जो धर्म के आधार पर इस बात को मान्यता देना चाहते हैं, वह धर्म के आधार पर मान्यता दे लें, लेकिन जो धर्म के आधार पर मान्यता नहीं देना चाहते हैं, सोच उनकी कहीं न कहीं एक सुखमय जीवन की है, खास तौर से किसी भी गरीब परिवार के लिए और उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि जब संविधान पर भाषण हुआ तो लगातार डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र इस सदन में हुआ। कहा गया कि किस तरीके से वह विजन का डॉक्युमेंट है, राज्य को इस दिशा में आगे बढ़ना है। वह कामयाब हो या न हो, लेकिन इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। काउज, मिल्ज एनिमल्स के खिलाफ जो आवाज है, वह हमारे संविधान के डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गयी है। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु को अगर उसके धर्म या कम्युनिटी की निगाह से देखा जाता है तो वह बहुत ही सीरियस लॉ एंड आर्डर ईशू है। मैं चाहती हूं कि यह सदन इस बात को बहुत गंभीरता से सुने। फेल्योर्स को कभी भी कवर करने की कोशिश न करे। कानून-व्यवस्था का उल्लंघन किसी भी ऐसे राज्य के लिए, जो धर्म और संविधान में विश्वास रखता है, वह किसी भी देश के लिए सबसे गलत होगा। अगर असहिष्णु माहौल है तो मैं इस बात से सहमत हूं कि वह असहिष्णु माहौल वहां पर मौजूद है जो भारत के बहुत नजदीक के कई ऐसे देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा थे। वहां पर चाहे वह अल्पसंख्यकों का गिरता हुआ स्तर हो या संख्या हो,

वही अपने आप में बताएगा कि भारत किस तरीके से सहिष्णु मुल्क, देश है जिसने लगातार इन बातों को एक साथ रखा, चाहे वह पाकिस्तान का उदाहरण दिया, अफगानिस्तान का उदाहरण दिया, बंगलादेश का उदाहरण दिया। ये तमाम उदाहरण बिल्कुल सही उदाहरण हैं।

मैं एक और बात का जिक्र करना चाहती हूं और वह इस देश की मान्यताओं, आस्मिताओं का जिक्र है। जब संविधान की बात हुई तो जिक्र आया कि संविधान की शुरुआत आजादी की लड़ाई से होती है। कहीं न कहीं आजादी की लड़ाई उसमें रिफ्लैक्ट होती है। मेरा मानना है कि इस देश का इतिहास बहुत पुराना है, बारह सौ वर्षों से भी आधिक पुराना है। इस देश के इतिहास में एक परम्परा थी। वह परम्परा यह थी कि जब भी राज्याभिषेक होता था, तो जो भी राजा बनता था, वह मुकुट पहनने के वक्त यह कहता था - अहम् अदंड दोषी, अदंड दोषी, अदंड दोषी यानी मैं सबसे ऊपर हूं और मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। वह तीन बार ऐसे कहता था। लेकिन राज पुरोहित उसके सिर में एक छोटा का डंडा तीन बार मारता था और कहता था - धर्म दंड दोषी, धर्म दंड दोषी, धर्म दंड दोषी यानी आप घर्म से ऊपर नहीं हैं और धर्म आपको भी कंट्रोल करेगा। इस संसद का धर्म यहां का संविधान है। संविधान और कानून का उल्लंघन करना किसी भी राज्य के हित में नहीं हो सकता। लगातार इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, वह कानून के विरोध में बनाया जा रहा है। जिन विषयों को, जैसे मैंने कहा अमैंडमैंट का आधिकार इस संसद के पास है और अमैंडमैंट का आधिकार किसी राज्य की लैजिस्लेटिव असैम्बली के पास भी है। अगर आपको बहस करनी है और ऐसे किसी मुद्दे पर बहस करनी है, आप कानून-व्यवस्था के तहत उस कानून-व्यवस्था को बदलने के लिए बहस करें और अगर बदल सकते हैं तो उसे बदलें। लिट्रेचर फैस्टिवल्स में जो लोग जाकर इस पर भाषण करते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपने राज्यों को, जो उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्य हैं, उन्हें कानून-व्यवस्था को बदलने का आदेश करें। उसी प्रकार एक मुख्य मंत्री जी ने कहा हिन्दी भाषियों को बाहर करें। यह हाल ही की बात है। मुझे लगता है कि जो यहां पर भारत की इंटैग्रिटी, नेशनल इंटैग्रेशन को लेकर भाषण करते हैं, वे कम से कम भाषाओं के नाम पर लोगों को बांटने का काम न करें।...(व्यवधान)

उसी प्रकार बिहार का उदाहरण बार-बार दिया गया। जब बिहार का उदाहरण बार-बार दिया गया तो बिहार के उदाहरण में बाहरी शब्द का इस्तेमाल हुआ। मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते मैं भारतवर्ष में कहीं भी बाहरी नहीं हूं। क्योंकि मैं बाहरी नहीं हूं, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करना ही संविधान के खिलाफ है।...(व्यवधान) जो लोग लगातार संख्यक और अल्पसंख्यकों के बारे में इस देश में बोलते चले आए हैं।

मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपने अल्पसंख्यकों की क्या हालत कर दी, क्या उन्हें आपने मुख्यधारा से का हिस्सा बनने दिया, क्या उनकी महिलाओं के खिलाफ जब काम हो रहा था तो आपने क्या किया? मैं इसे डॉटा के साथ बताना चाहती हूं, 70 हजार महिलाएं जब आपसे कहती हैं, उनके सामने तीन मुख्य दिक्कतें हैं, पहली मेंटेनेंस की, दूसरी दिक्कत शादी के स्टेटस का, जब देश का सवरप्रिय सर्वोच्च न्यायालय एक कानून-व्यवस्था के तहत एक केस के अंदर जजमेंट देता है और आप मेजोरिटी गवर्नमेंट हैं, वह पहला जजमेंट नहीं था उससे पहले भी इस तरह का जजमेंट आ चुका था, यह तीसरा जजमेंट था, ऐसे जजमेंट्स के बाद क्या संसद ने देश के कानून को फेल नहीं किया, जब उन महिलाओं को सेक्युलरिज्म के नाम पर जस्टिस नहीं दिया गया, एक कानून लेकर आए जिसमें ऐसे जजमेंट की भी अनदेखी की गई। मैं महिलाओं के नाम पर बोल रही हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, इस देश की महिलाएं देश के जितने भी सर्वोच्च पद हों, चाहे इकोनोमिक डाटा हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का डाटा हो या न्यूट्रिशन का डाटा हो, सब जगह इनको इन सब चीजों से दूर रखा गया है। उनके साथ हर समाज ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है।

जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है, तो मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि सरकार ने वर्ष 1950 और 2014 के बीच पूरे देश में 35 पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया था। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई 31 पुस्तकों के मुकाबले, इस सरकार के सत्ता में आने के बाद एकमात्र पुस्तक पुणे न्यायालय के आदेश पर प्रतिबंधित की गई थी। यदि पुस्तकों पर प्रतिबंध सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो इसे अभी भी उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन एम.ओ. मथाई की पुस्तक "*द रिमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज",* जेवियर मोरो की "*द रेड साड़ी",* आर्थर कोएस्टलर की *"द लोटस एंड द रोबोट"* और

सलमान रुश्दी की *"द मूर्स लास्ट साय"* पर प्रतिबंध लगाने से पता चलता है कि कुछ प्रतिबंध नेहरू-गांधी वंश की छवि को संरक्षित करने के लिए थे, जो पूरी तरह से आलोचना को चुप कराने का एक कार्य है।... (*व्यवधान*) यह उपलब्ध हो सकता है लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। और फुलपर्ट द्वारा लिखित नेहरू पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और मैं चाहती हूं कि कुछ लोग इसे पढ़ें।

विपक्ष ने स्पष्ट रूप से इस देश के लोगों की कुशलता को कम करके आंका है। यदि वे मानते हैं कि असहिष्णुता का राग अलाप कर वे इस देश को असहिष्णु बनाने में सफल हो जायेंगे, तो उत्तर है "नहीं"। इसका उत्तर यह है कि हम लोग तर्क और कारण में विश्वास करते हैं और तर्क और कारण के माध्यम से ही उन्हें हराया जाएगा और डेटा और आंकड़ों के माध्यम से ही उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है। आप जो आइना भेजने की बात कह रहे थे, उनको जरूर आइना दिखाया है, मैं चाहूंगा कि वे उस आइने में देखें और अपने गिरेबां में झांककर भी देखें, ...(व्यवधान) और यह भी देखें इस देश ने आपको क्या-क्या दिया और आपने सहिष्णुता से कैसे-कैसे खिलवाड़ किया...(व्यवधान)। केवल राजनीतिक एजेंडे हासिल करने के लिए, आपको लगता है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको दिल्ली का भी बताना चाहती हूं, जिस तरह बिहार में दादरी इन्सिडेंट को लेकर हुआ ठीक उसी प्रकार दिल्ली चुनाव के ठीक पहले चर्च अटैक - चर्च अटैक शुरू किया गया और जब तथ्य सामने आए कि चर्च से आधिक मंदिरों पर हुए थे, ...(व्यवधान)

लेकिन इस तरीके की हरकतें लगातार देश के ताने-बाने के साथ खिलवाड़ हैं और मैं यही बात भारत के देशवासियों को बताना चाहती हूं कि आप इस खिलवाड़ का शिकार न हों। आप इस खिलवाड़ का शिकार इसलिए न हों, क्योंकि अगर आप 80 और 90 के दशक को देखेंगे, तो पायेंगे कि उस समय 50 हजार लोग पंजाब में मारे गये और उस समय कौन सी सरकार थी, यह आप सभी जानते हैं। ...(व्यवधान) अमृतसर में अभी हाल ही में सो-कॉल्ड सरबत खालसा का जलसा हुआ और उस जलसे में स्टेज के ऊपर से खालिस्तान की मांग की गयी। ...(व्यवधान) उस समय स्टेज पर कौन-कौन से लोग मौजूद थे, यह मैं कांग्रेस के लोगों से जानना चाहती हूं। ...(व्यवधान) मैं जानना चाहती हूं कि जब इस तरीके की हरकत हुई, तो उनके प्रदेश के

नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्या इस देश में जो नैशनल इंटीग्रेशन का भाषण देते हैं, वह अपने आफिस बेरर या एमएलए से नहीं पूछेंगे कि आपके सामने जब खालिस्तान की मांग की गयी, तो आप वहां क्यों बैठे रहे और आपने उस जलसे में पाटीरसिपेट कैसे किया? ...(व्यवधान) इस देश ने खून देखा है। ...(व्यवधान) बहुत लोगों के बलिदान के बाद के बाद यह देश और आजादी हमें मिली है। जब राजनीतिज्ञ इन सब विषयों से देश को भ्रमित करना चाहते हैं और राज्य के आधार पर इस पर रणनीति बनना चाहते हैं, तो मैं उस राज्य की जनता, इस देश के नागरिकों और उन सब लोगों से, जिन्हें संविधान और कानून में विश्वास है, से कहूंगी कि हाथ जोड़कर करबद्ध आपसे विनती है कि कानून के तहत जो भी उस राज्य का नियम है, कृपा करके उसका पालन कीजिए या उस कानून को बदलने की हिम्मत रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपनी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझसे कहा गया कि हमारे पास सिर्फ सात मिनट का समय है और सात मिनट के समय में पता नहीं ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको टोक नहीं रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी : इस सात मिनट के समय में ऐसे सीरियस मुद्दे पर कहां कैसी बात करें। मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं आज थोड़ा सहमा सा हूं। मुझे भी पार्लियामैंट में बहुत वर्ष हो गये हैं। यह मेरा चौथा टर्म है। जब आईने की बात आ रही थी तब मैं सोच रहा था कि आईना मुझसे वह पहली सी सूरत मांगे।

मैडम, वह पहली सी सूरत क्या थी? यहां गुनाहों का लेखा-जोखा हो गया। आपके गुनाह ये हैं, आपके गुनाह वह हैं और हम बेगुनाह हैं। आज हमने सोचा था कि जो बातचीत होगी, जो बहस होगी और आपने भी बहुत शालीनता के साथ यह दिशा दी थी कि भइया, आप आज जो भी करें, लेकिन इस संसद की गरिमा को थोड़ा नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा

हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आज संसद में इस तरफ से या उस तरफ से ऐसी बात होगी, दोनों तरफ से एक सुर मिलेंगे। कहा गया है कि 'सुर मिले मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा।' मगर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम थोड़े बेसुरे हो गये। यह आईने का बात आयी है तो देश यह आईना देख रहा है। जहां टालरेंस और इन्टालरेंस की बात आयी है, मैं समझता था कि इसी विषय पर चर्चा होगी और ऐसे मुद्दों पर बात होगी कि किस प्रकार से, मैं रेल मंत्री रहा हूं इसलिए रेल का जिक्र करूंगा कि हम जिस पटरी पर चल रहे हैं, उसी पटरी पर चलते रहें, मगर डीरेल न हो जायें। कहीं न कहीं यह मानकर चलना पड़ेगा, शायद कुछ गलत हो गया है। वरना इस विषय पर आज चर्चा क्यों करते? हम असहिष्णु होने जैसे विषय पर बात क्यों कर रहे हैं? यह कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, रामानुज, रहीम, विवेकानंद, नरसी मेहता, श्री ऑरोबिंदो और टैगोर का देश है। मुझे लगता है कि पूरी रात निकल जाएगी और बात खत्म नहीं होगी। यही है हमारा परिचय, हमारा परिचय इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं है। विवेकानंद जी की जब आती थी, सबने कोट किया है, मैं भी थोड़ा कोट करूंगा -

> "मुझे एक ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है।"

यही है हमारा असली चेहरा। लेकिन कहीं न कहीं आज बहस माइनोरिटी और मेजोरिटी के बारे में हो गई। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहस या चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे विंग कमांडर राकेश शर्मा की याद आती है। मैडम, आपको याद होगा विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी थे, जो स्पेस में गए थे। उस समय माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा था - राकेश जी, आपको हिंदुस्तान कैसा लग रहा है, तब विंग कमांडर राकेश जी ने कहा - सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा। यही है हिंदुस्तान की पहचान। हमें यह तय करना है कि हमसे गलती हो रही है या नहीं हो रही है? क्या हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गलती नहीं हो रही है, हम ठीक चल रहे हैं? सबको लाइब्रेरी से दस्तावेज मिले हैं। जब भी सदन में बहस होती है तब लाइब्रेरी बहुत अच्छी रिसर्च करती है। यदि हम इस रिसर्च पेपर में जाएं तो पाएंगे कि जितने भी साइंटिस्ट्स, इंटेलीजेंट्स, आर्टिस्ट्स

कह रहे हैं, अवार्ड वापसी हो रही है तो कहीं न कहीं कुछ है। यदि आमिर खां कुछ कहते हैं तो वह कहते हैं, वह उनकी बात है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको दूसरे देश भेज दें। यदि दूसरे देश भेजते हैं तो वह भी डायसपोरा हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जाकर उन्हीं से मुखातिब होते हैं। यदि सबको पाकिस्तान भेजेंगे तो टू नेशन थ्योरी फिर से वन नेशन थ्योरी बन जाएगी। कितनों को भेजेंगे?

महोदया, चूंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए संक्षेप में मोटी-मोटी बातें कहना चाहता हूं। आज यदि आमिर खां कुछ कहते हैं तो उसका महत्व कम है लेकिन यदि कोई सांसद कुछ कहता है तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हाउस में प्रिविलेज है। आज मैगजीन की बात कही गई कि यदि उसने गलत लिखा है तो प्रिविलेज का मामला बनता है। आज हाउस की गरिमा का सवाल है, आप देखें कि कैसे-कैसे शब्द, अशब्द का उपयोग हाउस के बारे में होता है। मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना नहीं चाहता हूं। अभी कल की ही बात है, दोपहर के करीब दो बजे थे, मैं एफएम रेडियो सुन रहा था। रेडियो जोकी कह रहा था, तमाशा नाम की फिल्म आई है, अगर आपको वह फिल्म देखने बाहर नहीं जाना तो आप टेलीविजन खोल लीजिए क्योंकि पार्लियामेंट तो सबसे बड़ा तमाशा है। जब यहां आतंकवादियों का हमला हुआ था तब सिक्योरिटी फोर्सिस ताकत से लड़े और शहीद हुए थे। मैं बहुत से लोगों से सहमत नहीं हूं, जो कहने लगे थे कि आज संसद में बहुत दुखद घटना हुई कि एक भी सांसद नहीं मारा गया। यह हमारा रिफ्लेक्शन है।

इसलिए हमें यह तय करना है कि हम चिंगारी से आग लगाएंगे या आग को बुझाएंगे? कहते हैं:

"चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए,
सावन जो अगन लगाए तो उसे कौन बुझाए?"

यह बहुत बड़ा देश है और इस देश पर हम सबको नाज़ है।

मैडम, पूरा विश्व आज तकलीफ में है और उसको रास्ता दिखाने वाला हिन्दुस्तान है और हिन्दुस्तान यदि कहीं डगमगा गया और इस चक्कर में हम पड़ गये कि यह माइनॉरिटी है, यह मेजोरिटी है तथा हिन्दू धर्म

एक ऐसा धर्म है जिसे मैं कहता हूं कि यह फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स है। वह प्योर साइंस है और प्योर साइंस सबको लागू करती है। न्यूटन्स थ्योरी एक मज़हब या दूसरे मज़हब को लागू नहीं करती है। सब मज़हब को लागू करती है। इसलिए आपका चाहे स्वच्छ भारत का आभियान हो जो कि बहुत अच्छा आभियान है, लेकिन आभियान तभी सफल होगा जब हमारे विचार स्वच्छ होंगे और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम साथ मिलकर कहीं न कहीं गरीबी के खिलाफ लड़े क्योंकि गरीबी से हम टॉलरेंस नहीं हो सकते।

मैडम, गांधी जी जो टॉलरेंस के एक बहुत बड़े पुजारी थे। उन्होंने अपना 'चौरीचौरा' का आंदोलन स्थगित कर दिया जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए। 'चौरीचौरा' का आंदोलन स्थगित इसीलिए किया गया कि 25 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया, उन्होंने यह कहते हुए कि मुझे ऐसा आंदोलन नहीं चाहिए जहां वॉयलेंस हो। हमें कहीं न कहीं सोचना होगा और आपस में मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी जिसका अभी प्रधान मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि ऐसे गरीबी से लड़ाई नहीं हो सकेगी जब हम डिवाइडेड हैं। आज शाम के बाद जब हम घर जाते हैं तो मैसेज क्या जाता है?

क्या हम एकजुट हैं या विभाजित हैं? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतभेद का मतलब अवज्ञा नहीं है। लोकतंत्र में, फर्क होना चाहिए। अन्यथा, एक पार्टी की सरकार होगी। लेकिन कुछ बुनियादी संरचनाओं जैसे पीने के पानी, जैसे गरीबी, जैसे कानून और व्यवस्था, जैसे रक्षा पर, मुझे नहीं लगता कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण हो सकता है कि हम इसके लिए लड़ें।

महोदया, मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है कि बाहर यह देश निश्चित रूप से बहुत सहिष्णु है। मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी कि यह देश सहिष्णु नहीं है। हमने वर्षों-वर्षों तक बहुत सी चीजें एक साथ सहन कीं। हम गांधी देश के हैं। और महात्मा गांधी और बहुत से नेताओं ने हमें यही सिखाया है। मैं कोई उपदेश नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि - उसके काबिल तो मैं नहीं हूं मगर यह है कि -

"मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना,
हिन्दी हैं हम, वतन है, हिन्दुस्तां हमारा।"

महोदया, इससे पहले कि आप मुझे रोकें, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से मेरे पूर्ववर्ती ने अपनी बात खत्म की है। अगर मैं उन्हें ठीक से समझा हूं तो उन्होंने कहा है कि यह देश अधिक शांतिपूर्ण है। हाल ही में, पोप फ्रांसिस ने केन्या की अपनी यात्रा के दौरान नैरोबी में ईसाई और मुस्लिम नेताओं से कहा था कि उनके पास बर्बर, "इस्लामी चरमपंथी हमलों" से बचने के लिए बातचीत में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उन्होंने कहा कि उन्हें शांति का पैगम्बर बनना होगा। हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर अफ्रीकी महाद्वीप में अधिकांश ईसाई समुदाय ईसा मसीह को अपने रंग में रंग रहे हैं। वे मूल रूप से यूरोपीय नहीं हैं जैसा कि हम अपने चर्च या दुनिया के अन्य हिस्सों में यीशु को देखते हैं। अफ्रीकी ईसा मसीह का रंग काला है। हम लोगों ने क्या किया है? हमारे ईसाई भाइयों और बहनों ने ईसाई उपदेशों, प्रार्थनाओं का भारतीयकरण किया है। पूजा पद्धति भी वे लागू कर चुके हैं। वे साड़ी पहन कर चर्च जाते हैं, वे जूता बाहर रखकर चर्च में जाते हैं जो कि पचास वर्ष पहले यहां नहीं होता था। उन्होंने हमारी अपनी संस्कृति में, जो एक विश्व धर्म है, धर्म का भारतीयकरण कर दिया है। इसलिए, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि संस्कृति और धर्म दो अलग-अलग चीजें हैं और यहीं अंतर हमेशा पैदा होता है। [हिन्दी] मैं ऐसा हूं, वह ऐसा नहीं है और वह मुझसे अलग है। इसलिए, उसे मेरे कमरे में नहीं बैठना चाहिए, वह मेरे गाँव में नहीं होना चाहिए, वह मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए और वह मेरे देश में नहीं होना चाहिए; इसी *वाहबी* संस्कृति का पिछली शताब्दी में प्रचार किया गया था और यह वास्तव में इस्लामी राज्य के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है और जो हमारी सीमाओं तक भी पहुंच गया है। लेकिन यहां मैं कहूंगा कि बीच में एक बड़ी बात हुई है। हाल ही में, *मुल्ला* और *मौलवी*, उनमें से हज़ारों यहां एकत्र हुए और उन्होंने इस्लामी राज्य के खिलाफ एक स्पष्ट आह्वान किया है। इसी प्रकार हमें उन लोगों की विभाजनकारी

गतिविधियों का जवाब देना चाहिए जो हमारे समाज, हमारे देश को विभाजित करना चाहते हैं और उन लोगों को जो हमारे लोगों को कट्टरपंथी बयानों पर विभाजित करना चाहते हैं।

दुनिया में असहिष्णुता का तांडव मचा हुआ है। इसलिए, बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा दिनेशजी, मैं आपसे असहमत हूं। दुनिया भर में तांडव मचा हुआ है। ट्विटर ने असहिष्णुता को व्यवहार में लाना आसान बना दिया है। यह चिल्लाने से ज्यादा असरदार हो गया है और भारत में असहिष्णुता की शिकायत वे लोग कर रहे हैं जो सरकार में बदलाव पसंद नहीं करते हैं। यह 1977 में हुआ, यह 1989 में हुआ, यह 1998 में हुआ और यह 2014 में हुआ है। कौन प्रतिक्रिया दे रहा है? जब सरकार बदलती है तो जो लोग लाभार्थी थे, उन्हें लगता है कि उन्हें बाहर किया जा रहा है; उन्हें लगता है कि उन्हें उतने प्रतिष्ठित पद नहीं मिलेंगे जिनका वे पहले आनंद ले रहे थे। इसलिए, - मैं सहमत हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं - जब मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा, '*पद्म श्री, पद्म भूषण* और *पद्म विभूषण*, इन सभी को हटा दें।' मुझे नहीं पता कि यह सरकार ऐसा करने जा रही है या नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं उस दृष्टिकोण से सहमत हूं।

श्री असदुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): लेकिन आप कंधमाल के बाद चले गये।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं उस पर आ रहा हूं। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कभी-कभी असदभाई मेरी बुद्धि पर संदेह करते हैं।

श्री असदुद्दीन ओवैसी: मैं ऐसा नहीं करता; आप बहुत बुद्धिमान हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: धन्यवाद।

लेकिन क्या सिर्फ सरकार ही बदली है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह सरकार केवल बदल गई है जो वास्तव में पूरे देश में समाज में इतनी उथल-पुथल पैदा कर रही है? इस पर चर्चा होनी चाहिए।

महोदया, सत्ता में एक नई राजनीतिक व्यवस्था आई है। ऐसे लोग हैं जो अलग तरह से सोचते हैं। उनके पास पिछले उत्कृष्ट वर्ग जैसा कपट नहीं है। वे खुद को अभिव्यक्त करने में आक्रामक होते हैं, कभी-कभी

अनाड़ीपन भी दिखाते हैं। ये वे लोग हैं जो गाय की रक्षा करते हैं और खुले तौर पर संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या हमारी आबादी का एक वर्ग वास्तव में भारत का हिस्सा है। लेकिन क्या हर समाज में असहिष्णुता नहीं है? क्या यह पहले नहीं थी? क्या यह बढ़ गई है? मेरा मानना है कि यह हमारे सामाजिक ताने-बाने में गहरी पड़ी दोष रेखाओं का परिणाम है। यह हमसे भिन्न किसी व्यक्ति या हमसे भिन्न सोचने वाले किसी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह का परिणाम है। ये दोष रेखाएं हैं, जो समय के साथ, विभिन्न कारणों से खत्म हो जाती हैं। वे वास्तव में कभी दूर नहीं जाते। जैसा कि हमारे स्वराष्ट्र (गृह) मंत्री जी ने कहा कि सजेशन मांगे हैं। राजनीतिक शुचिता और सामाजिक शिष्टाचार इस असहिष्णुता को नियंत्रण में रखते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के समय, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी मनुष्यों की समानता पर जोर दिया था, लेकिन गुलामी के बारे में इनकार किया था कि मतभेदों के साथ संघ जीवित रहेगा या नहीं। 70 वर्षों के बाद, गृहयुद्ध गुलामी के सवाल पर नहीं था, बल्कि गुलामी के बारे में था कि मतभेदों के साथ संघ जीवित रहेगा या नहीं, इस पर था। उन्होंने एक खूनी युद्ध लड़ा। हम अपने 69$^{वें}$ स्वतंत्रता वर्ष में हैं। हमारे संस्थापकों ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र भारत एक धार्मिक राज्य नहीं बने। विभाजन के बाद योगी अरविन्द ने कहा था कि यह विभाजन रेखा एक मिथक है। जो दूर हो जाएगा; वह नष्ट हो जायेगा। यह एक राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रह सकता है, जिसका अर्थ पाकिस्तान है। ये शब्द कितने भविष्यसूचक थे! पाकिस्तान आज एक असफल राष्ट्र है। भारत, गैर-हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एक हिंदू विचार वाला राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष है। राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार या प्रचार नहीं करेगा और सभी के लिए समान होगा। संविधान में, जो हिन्दी में ट्रांसलेशन है, उसी में लिखा है, धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर, यह [हिन्दी] 'पंथनिरपेक्ष'। हम बहस कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनुवाद हिन्दी में किया गया था, यह 'पंथनिरपेक्ष' लेकिन उपयोग में है 'धमरनिरपेक्षता'। अमेरिका में, नस्लीय दोष रेखाएं कभी दूर नहीं हुईं, हालांकि कानूनी उपायों ने यह सुनिश्चित किया है कि लोग अपनी असहिष्णुता, अपने पूर्वाग्रहों को अपने घरों तक या शायद अपने दिमाग तक ही सीमित रखें। महिला मुक्ति या मताधिकार आंदोलन एक और उदाहरण है। समाज में अपनी जगह के लिए लड़ने वाली महिलाओं को जुझारू माना जाता

था। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। आज भी, समान हितधारकों के रूप में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह वास्तव में दूर नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महिला राष्ट्राध्यक्ष को देखना अभी बाकी है।

भारत में भी स्थिति बेहतर नहीं है। जाति, लिंग, धर्म और रंग के विरुद्ध भेदभाव हमारे समाज में बहुत गहरा है और आज भी मौजूद हैं। भले ही इसे खुले तौर पर व्यक्त नहीं किया जाता है, हम उन लोगों के प्रति असहिष्णुता को जानते हैं जिन्हें हम अपना नहीं बल्कि अन्य मानते हैं। फिर भी, मैं कहूंगा, यह भी उतना ही सच है कि कई नेक भारतीय इस देश में सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के बारे में परेशान और चिंतित हैं।

लेकिन, असहिष्णुता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जो केवल एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, हमें उन भय और चिंताओं के अंतर्निहित कारण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसे उन लोगों द्वारा हल करने की आवश्यकता है जो सत्ता में हैं, जो प्रशासन के प्रभारी हैं। उनकी चुप्पी वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित कर रही है और इसने दंडमुक्ति की संस्कृति पैदा की है। यह तभी रुक सकता है जब सत्ताएं इन तत्वों की निंदा करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि आप उन्हें पद से हटाने में असमर्थ हैं या नहीं चाहते हैं, तो कम से कम उन्हें सार्वजनिक रूप से फटकारें। लोगों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करें और उन्हें हिंसक हमलों से बचाएं।

प्रख्यात कवि, जयंत महापात्रा ने भारत के माननीय राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है।

<u>सायं 06.00 बजे</u>

वह मेरे शहर कटक से हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा हुआ है। इसका बिहार की आबादी, बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं देश में बढ़ती नैतिक विषमता के खिलाफ एक छोटे से विरोध के रूप में अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटाना चाहता हूं।' यह वह शब्द है जिसका उन्होंने उपयोग किया है। उन्होंने यह भी कहा है: 'मैं 88 वर्ष का हो चुका हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता लेकिन यह एक सांकेतिक विरोध है। मुझे लगता है कि लेखक और कवि अब इस देश में प्रथम

श्रेणी के नागरिक नहीं हैं। मेरा मानना है कि हमारी स्वतंत्रता में कटौती की जा रही है।' यही उन्होंने कहा है। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि 'मेरा विरोध किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं है। मैं दादरी मुद्दे से बहुत आहत हूं, तमिलनाडु पुलिस कोवन को गिरफ्तार कर रही है और साथ ही असम के राज्यपाल के बयानों से भी आहत हूं।'

माननीय अध्यक्ष: हमें उनका भाषण और 'शून्यकाल' पूरा करना होगा। यदि आप सभी सहमत हैं तो हम उनके भाषण को पूरा करने के लिए और उसके बाद 'शून्य काल' के लिए इस सभा का समय एक घंटे तक बढ़ा देंगे। हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, माननीय सदस्य कोवन की गिरफ्तारी को लेकर इस सभा में गलत जानकारी प्रचारित कर रहे हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: श्री जयंत महापात्रा ने भारत के राष्ट्रपति को जो लिखा है, वही मैंने उद्धृत किया है।

माननीय अध्यक्ष: वह श्री जयंत महापात्रा को उद्धृत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, मेरा छोटा सा आग्रह यह है, यह बिल्कुल सही है कि माननीय सदस्य की स्पीच के बाद हम जीरो आवर कर लेते हैं, लेकिन इसकी अवधि का हम बहुत विस्तार कर रहे हैं, कल अगर इसे छोटा रखा जाए, कुछ सदस्यों के बोलने के बाद गृहमंत्री जी का उत्तर करवाएं।

माननीय अध्यक्ष : दिनेश जी को बोलना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी बात समय में समाप्त कर ली। मैंने शुरू में ही कहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, एक प्रशंसित कवि के इन शब्दों से दुख की भावना का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो अब 88 वर्ष के हैं।

कुछ लोगों ने आमिर खान के बयानों का भी जिक्र किया है। यह उनका दृष्टिकोण है। उन्होंने इसे एक मंच पर कहने का फैसला क्यों किया, जो उन्होंने किया, यह उनका निर्णय है लेकिन मामले की जड़ यह है कि कई संवेदनशील भारतीय हमारे देश में बढ़ती असहिष्णुता के बारे में चिंता करते हैं। हम सबने महसूस किया है कि देश सिमट सा गया है और एक बहुत छोटा देश बनकर रह गया है, लेकिन मेरा मानना है कि यह देश महान है। यह कई उथल-पुथल से बच गया है। आमिर खान के एपिसोड ने उस खोखलेपन को प्रदर्शित किया है जो मौजूद है। हम जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जो पॉवर कट या लोड शेडिंग होने पर पांच सितारा होटलों में चेक-इन करते हैं और वे देश की धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि दुनिया भर में एन.आर.आई. को संतुष्ट किया जा रहा है। यह भारत है। यह एक बदला हुआ भारत है। हम जानते हैं कि कमियां मौजूद हैं, कभी-कभी प्लास्टर उखड़ जाते हैं और दरारें दिखाई देने लगती हैं। शांति और सद्भाव को बाधित करने से पहले बुराई को जड़ से ख़त्म करने का दायित्व विचारशील जनता, विशेषकर सरकार पर है। इससे मुझे वह प्रश्न याद आता है जो महाभारत के युद्ध के बाद शांति-पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था।

राजा कालस्य कारणम् या कालः कारणं राजा।

आइए हम विचार करें कि उस दौरान भीष्म ने क्या उत्तर दिया था। व्यास ने क्या लिखा? क्या यह स्थिति है; या क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने राजा को गद्दी पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया? यह वह कला नहीं है जो राजा को सिंहासन पर बिठाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और सरकार को कैसा व्यवहार करना चाहिए।

इसलिए, मैं कहूंगा कि कार्य करना सरकार का काम है, कार्य करना उस व्यक्ति का काम है जो सत्ता में है। जब आप देखें कि कहीं कोई विखंडनकारी गतिविधि होने वाली है तो कोई मौका न चूकें।

यहां मुझे एक बात याद आ रही है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसे भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। तमाम पैकेजों की घोषणा के बाद और नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, केवल एक पंडित परिवार घाटी में लौटा है। क्या यह हमारे देश में व्याप्त असहिष्णुता की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है?

यदि यह इस शुक्रवार को होता है तो हमारे पास बाद में चर्चा करने के लिए एक अलग प्रस्ताव है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात का उल्लेख कर रहा हूं कि घाटी में एक पंडित परिवार ही वापस गया है। ऐसा क्यों? यह एक ऐसा सवाल है जो हर सच्चे भारतीय को खुद से पूछना चाहिए।

महोदया, घटनाओं के वर्णन से कोई न्याय नहीं मिलेगा। यह केवल समाज और समुदायों के बीच विद्वेष और खराब भावना पैदा करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उन दोषों पर प्लास्टर किया जाए।

हमारी पार्टी की ओर से एक सुझाव पहले आया था। श्री सत्पथी ने पिछले सत्र में सांप्रदायिक सद्भाव पर चर्चा के दौरान एक सांप्रदायिक सद्भाव आयोग बनाने का सुझाव दिया था - मुझे लगता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि इसकी अध्यक्षता कोई न्यायाधीश ही करे। यह एक सांप्रदायिक सद्भाव आयोग होना चाहिए। जब भी कुछ सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, तो प्रशासन क्या करता है? वे विभिन्न समुदायों के नेताओं को लाते हैं, उन्हें एक साथ लाते हैं और उन्हें सड़कों पर एक साथ चलने के लिए कहते हैं ताकि यह प्रदर्शित हो कि हम सभी एक हैं। … (*व्यवधान*) हां, हमारे पास शांति समिति हो सकती है।

इस पहलू को देखने के लिए हमारे पास एक सांप्रदायिक सद्भाव आयोग क्यों नहीं हो सकता है? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह एक और हरित न्यायाधिकरण या उसके जैसा कुछ होगा। लेकिन यहां एक विचार है क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल रही हैं। हम एक क्षेत्रीय दल से हैं। हम कानून और व्यवस्था बनाए

रखने के लिए संबंधित राज्य सरकार को दी गई शक्ति से संबंधित अपने हितों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। लेकिन यहां एक ऐसी स्थिति है जिसकी अभिव्यक्ति पूरे देश में होती है क्योंकि ट्विटर आ गया है; फेसबुक आ गया है, और वहां संबंधित राज्य सरकार का बहुत कम नियंत्रण है। हम भी मानते हैं कि यह स्वतंत्र और आजाद होना चाहिए। यही वह जगह है जहां, मुझे लगता है, यह सांप्रदायिक सद्भाव आयोग एक भूमिका निभा सकता है। अब हमें अलग सोचना होगा क्योंकि देश के सामने नई-नई चुनौतियां रखी जा रही हैं और यह एक नई चुनौती है।

धन्यवाद, महोदया।

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, पूरे सभा को कोवन की गिरफ्तारी और उसकी रिहाई के बारे में पता होना चाहिए। महोदया, यदि आप अनुमति दें, तो मैं कल सुबह एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। उन्होंने इसका हवाला दिया है। हां, आप इसे कल स्पष्ट कर सकते हैं।

अब, हम 'शून्यकाल' पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, आजकल बहला-फुसलाकर नशीलें पदार्थों के सेवन का आदि बनाकर और उसके आधार पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की घटनाओं से समाज को खतरा पैदा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन को मेरे संसदीय क्षेत्र में हाल की एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मेरठ के कुछ विद्यालयों में कम उम्र के छात्र-छात्राओं को दोस्ती के बहाने बहला-फुसलाकर एक गिरोह के कुछ लोगों द्वारा खाद्य सामग्री एवं फास्ट फूड इत्यादि में नशीले ड्रग्स मिलाकर सेवन करवाने की घटनाएं सामने आयी हैं। एक छात्रा जिसे गिरोह के कुछ लोगों ने लगभग एक वर्ष से नशीले पदार्थों के सेवन की लत लगाकर नशे का आदी बनाया, तत्पश्चात इन लोगों ने ब्लेकमेल से लेकर सामुहिक दुष्कर्म करने की घटनाओं को अंजाम दिया। परंतु इस बहादुर छात्रा के निर्भीकतापूर्वक बयान देने के बावजूद, उस लड़की ने स्वयं स्वीकार

किया और कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि उसके साथ बहुत घृणित कार्य किया गया, उसके साथ रेप हुआ। लेकिन उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का रवैया इस अत्यंत चिंताजनक मामले में गंभीरतापूर्वक छानबीन करने के बजाय लीपापोती करने का रहा है।

अध्यक्ष महोदया, ऐसे गिरोह जिनकी जड़े संभवत: ड्रग तस्करी में लिप्त अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़ी हो सकती हैं, जो युवा वर्ग को नशीली ड्रग्स के दलदल में धकेलने में लगे हैं। दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में भारत में कुल 12168 ड्रग ट्रैफिकिंग के दर्ज मुकदमों में से लगभग एक-तिहाई 4064 मुकदमे उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज किये गये थे। इन आंकड़ों के आलोक में मेरठ में हुई उपरोक्त घटना की राष्ट्रीय स्तर की सक्षम जांच एजेन्सी से विस्तृत जांच कराया जाना बहुत आवश्यक है। ताकि ड्रग माफियाओं के इस अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संजाल को पकड़ा जा सके। अभी-अभी माननीय गृह मंत्री जी यहां उपस्थित थे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बहादुर छात्रा को सुरक्षा मुहैया कराते हुए न्याय दिलाया जाए तथा युवा वर्ग को ड्रग्स के दलदल में धकेलने वाले इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ सीबीआई जैसी सक्षम जांच एजेन्सी द्वारा जांच कराई जाए, ताकि भावी युवा वर्ग को इनके चंगुल से बचाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री निशिकान्त दुबे एवं कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैडम, नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं और बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं। आजादी के पहले से लेकर आज तक देखा गया है कि जब भी जो भी सरकार आई नेपाल और भारत के बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी आए, उन्होंने इन संबंधों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस बीच नेपाल के भीतर जो भारत मूल के लोगों का मधेशी इलाका है, जिसके बारे में आप भी जानती हैं। वहां के संविधान परिवर्तन पर मधेशियों द्वारा आशंका जाहिर की

गई कि उस संविधान में मधेशियों का हित उनका संरक्षण, उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हित नहीं हैं। मधेशियों ने इसके चलते वहां लगातार अपना राजनीतिक और सामाजिक विरोध जाहिर किया। उस विरोध के कारण 100 से ज्यादा मधेशी वहां गोली से मारे जा चुके हैं और मासूम, औरतें, महिलाएं और बच्चे भी मारे जा चुके हैं। वहां अभी भी दमन की प्रक्रिया जारी है और माओवादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मधेशियों के राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में नेपाल सरकार के माध्यम से प्रवेश करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नेपाल को इस बात का पता है कि उनका एक मात्र बाजार भारत है, उनके चीन के साथ अच्छे रिश्ते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से नेपाल को भी कहना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ सदन को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि क्या चीन के द्वारा लगातार बीच में हस्तक्षेप करना इस बात की ओर संकेत नहीं करता है कि उनकी दृष्टि भारत की ओर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस शंका को सरकार के समक्ष प्रकट करना चाहता हूं कि हमें लगता है कि चीन कहीं न कहीं भारत की ओर गिद्ध दृष्टि से देख रहा है और नेपाल में मधेशियों पर जो लगातार अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं चीन और माओवादियों का हाथ है। इसीलिए हम आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि यदि भारत को सही मायनों में विश्व गुरू बनना है और भारत विश्व गुरू बनेगा भी तो हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी की जो कूटनीति है, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मधेशियों का संरक्षण किया जाना चाहिए और मधेशियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमारी सरकार को नेपाल के साथ वार्ता करनी चाहिए, ताकि मधेशियों पर जुल्म न हों और जिस संविधान में मधेशियों के संरक्षण की वकालत नहीं की गई है, उनके राजनीतिक और सामाजिक संरक्षण की वकालत की जाए और वहां पर गोली-बारूद न चले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वार्ता करके इन अवरोधों को रोका जाना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलिक्कारा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक अत्यंत जरूरी और महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

केरल राज्य में डाक विभाग में एक गंभीर चूक हो रही है। केरल की सरकार वृद्ध लोगों, विकलांगों और विभिन्न कमजोरियों वाले लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न पेंशन योजनाओं को लागू कर रही है। यह पेंशन राशि केरल राज्य में डाक विभाग के माध्यम से वितरित की जाती है। केरल सरकार ने रु.925.54 करोड़ जमा किए हैं जो राज्य के 91 लाख पेंशनभोगियों को वितरित किए जाएंगे। स्थानीय स्व-सरकारी चुनावों से काफी पहले पेंशनभोगियों के डाकघर बचत बैंक खाते में राशि वितरित करने के लिए महीनों पहले पैसा जमा किया गया था। लेकिन डाक विभाग ने जानबूझकर पेंशनभोगियों को धन के वितरण में देरी की है। शायद, यह केरल में विपक्षी दलों के मजदूर संघों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा डाक विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर पेंशन में गड़बड़ी करना, मतदाताओं को सरकार के खिलाफ और अपने राजनीतिक दलों के पक्ष में लाने के लिए थी। विभाग के अधिकारियों ने पेंशन के वितरण की निगरानी नहीं की है और इस प्रकार वे अपने काम में विफल रहे हैं। इससे डाक विभाग के प्रति विश्वास टूट गया है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो डाक विभाग स्थायी रूप से एक बड़ा व्यवसाय खो देगा। यह डाक विभाग के अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा और इसकी विश्वसनीयता काफी कम हो जाएगी।

मैं सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का आग्रह करता हूं और अगर इसके पीछे कोई दोषी है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय सरकार से महोदया आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि गरीब पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाने के कारण का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कराएं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

श्री पी.आर. सुंदरम (नमक्कल): माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु में इस नवंबर के पहले 20 दिनों में 100 से अधिक वर्षों की सबसे भारी वर्षा दर्ज की गई है। महोदया, भारी बारिश के कारण 169 लोगों की मौत हो गई है। अम्मा के नेतृत्व वाली हमारी तमिलनाडु सरकार ने तुरंत प्रत्येक प्रभावित परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है।

चार लाख से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है और भोजन और आश्रय प्रदान किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया है।

राज्य स्तरीय एजेंसियों, मंत्रियों और जिला कलेक्टरों द्वारा उठाए गए सभी निवारक उपायों के बावजूद, कुड्डालोर, कांचीपुरम, चेन्नई, तिरुवल्लूर और थूथुकुडी में भारी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हमारी अम्मा ने राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। लगातार हो रही बारिश के बावजूद माननीय अम्मा ने आर.के. नगर का दौरा किया और लोगों की शिकायतों को संबोधित किया।

हमारी अम्मा ने माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तमिलनाडु में एक केंद्रीय टीम तैनात करने का अनुरोध किया।

हमारी मुख्यमंत्री अम्मा ने आकलन किया है कि अवसंरचना की अस्थायी और स्थायी बहाली, बचाव और राहत के लिए तत्काल 8,481 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

हमारी नेता अम्मा ने भी केंद्र से इस संबंध में 2,000 करोड़ रुपये तुरंत स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। लेकिन केंद्र ने एक हज़ार करोड़ रुपये से भी कम की घोषणा की है।

<u>सायं 06.18 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल ने 26 नवंबर को हमारी माननीय नेता अम्मा से मुलाकात की। उस समय हमारी अम्मा ने केंद्रीय टीम से तुरंत अपनी बाढ़ क्षति आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि बिना किसी देरी के वित्तीय सहायता जारी की जा सके।

माननीय प्रधानमंत्री ने अपने *मन की बात* में हमारी नेता अम्मा द्वारा किए गए बाढ़ बचाव और राहत कार्यों की सराहना की।

लेकिन माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और श्री पोन राधाकृष्णन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा 12 दिन बाद ही किया। उन्होंने कभी भी तमिलनाडु सरकार और प्रमुख अधिकारियों से बातचीत नहीं की और साथ ही उन्हें आपदा का राजनीतिकरण भी नहीं करने देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय अम्मा द्वारा मांगी गई बाढ़ राहत निधि राशि तुरंत जारी करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहती हूँ, जोकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार आज स्वच्छता आभियान के लिए बहुत जोर-शोर से लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों ने बहुत बार यह देखा है कि कई कॉलोनियों में जो चौराहे हैं, चौक हैं, गोलंबर है, शहर को सजाने के लिए जहां पर अच्छे से गारडनिंग की जाती है, वहां पर सरेआम कुछ इस तरह के शैल्टर्स हैं, जहां पर लोग भीख मांगने वाले भी हैं, सरेआम रहते हैं, वहीं पर पुलिस की चौकी रहती है, वहीं ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं, वे अपने बच्चों को वहीं पर शौच कराते हैं, वहीं पर कपड़े भी धोते हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं से वे बलून वगैराह भी बेचते हैं, वहीं से चौक-चौराहों पर भीख भी मांगते हैं। हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है कि उन कालोनियों में गाड़ियों के शीशे आदि चोरी होने का क्लेम भी उन पर ही आता है और वे चोरी करते भी हैं। वहीं से वे नशा भी सप्लाई

करते हैं। अफसोस की बात यह है कि यह सब दिल्ली पुलिस की आँख के नीचे होता है। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि हर चौक-चौराहे पर जहाँ पर पुलिस होती है, लेकिन बगल में सौ मीटर की रेंज पर वे शेल्टर में रात-दिन वहाँ पर रहते हैं, उनका अड्डा होता है। वे तंबू लगाकर वहाँ रह रहे होते हैं। अगर सरकार का ध्यान स्वच्छता पर है, तो यह किस तरह की स्वच्छता है? क्या ये गंदगी नहीं फैला रहे हैं और इनको किसकी परमीशन से यह इजाजत है, बहुत सारे पॉश इलाके हैं, बसंत कुंज ले लीजिए, मोती बाग का अंडर ब्रिज ले लीजिए, सिद्धार्थ होटल के नीचे वाला जो गोलम्बर है, वहाँ देख लीजिए, रिज रोड में ले लीजिए, मैक्सिमम स्टापेज में जहाँ पर रेड लाइट्स होती हैं, अच्छे गार्डन बनाए जाते हैं, उसके बाद इनका शेल्टर होता है। मैं तोहमत नहीं लगा रही हूँ। यह सुनने में आता है कि क्या पुलिस इनसे हफ्ता लेती है, जिनके बिहाफ पर उनको वहाँ रखा जाता है? एक तरफ हम कहते हैं कि ह्रासमेंट बढ़ रही है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उसमें इन लोगों की भी इनवाल्वमेंट है। आखिर सरकार और दिल्ली पुलिस इनको सरेआम क्यों शेल्टर देती है? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में महिला यात्रियों के लिए सीटों के आरक्षण पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अक्सर यह होता है कि जब किसी महिला यात्री को बीच वाली सीट मिलती है तो उसे दो पुरुष यात्रियों के बीच में बैठना होता है। वह लंबी हवाई यात्रा के दौरान काफी असहज और परेशान महसूस करती है। हाल ही में, कॉर्पोरेट क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से हवाई यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

इसलिए, मैं नागरिक उड्डयन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे डी.जी.सी.ए. को निर्देश दें कि वे घरेलू उड़ानों में केवल महिला यात्रियों के लिए दो पंक्तियों की सीटें, यानी 12 सीटें आरक्षित करने पर विचार करें। यह उनकी यात्रा को आरामदायक और सुखद बना देगा। महोदय, मैं केवल महिला यात्रियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यक्त की गई भावनाओं को दोहरा रहा हूं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत लोकमहत्व और तात्कालिक प्रश्न पर अपनी बात करने की अनुमति प्रदान की है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश और देश में पैरा-टीचर के रूप में दूरस्थ या जो रिमोट एरियाज में स्कूल हैं, उनमें पढ़ाने के लिए नियुक्तियाँ हुईं। उत्तर प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार वे टीचर जो पिछले 15 वर्षों से लगातार ऐसे स्कूलों में, जहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं थे, ये शिक्षा मित्र के रूप में अनवरत पढ़ाने का काम कर रहे थे। जो 1:40 छात्र और अध्यापक का रेश्यो होना चाहिए, वह उन्हीं के द्वारा, उन विद्यालयों में, जो बेसिक शिक्षा परिषद के या गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें वे उस रेश्यो को मेंटेने करने का काम कर रहे थे और स्कूल को भी चलाने का काम वहीं कर रहे थे। उनको वर्ष 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद, जिसमें यह हुआ कि अब अध्यापक वही होगा, जो टीचर्स इल्लिजिबिलिटी टेस्ट पास करेगा। वर्ष 2009 के पहले जो भारत सरकार का एचआरडी मंत्रालय है, एनसीटीई ने इन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को छूट दी कि अगर ये अप्रशिक्षित हैं तो ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से दो वर्ष का कोर्स कर लें। इन्होंने दो वर्ष का कोर्स किया। एक बार साठ हजार टीचर्स ने कोर्स किया, एक बार नब्बे हजार टीचर्स ने कोर्स किया। वे प्रशिक्षित हैं। भारत सरकार के एचआरडी मंत्रालय ने उनको छूट देकर, उन्होंने टीईटी का प्रशिक्षिण प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद विगत दिनों हाई कोर्ट का एक फैसला हुआ, जिसमें उन एक लाख सत्तर हजार टीचर्स को रिमूव कर दिया गया। पूरे प्रदेश में वे एक लाख सत्तर हजार परिवार 14-

15 वर्षों से शिक्षक के रूप में, सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। आज वे भुखमरी के कगार पर हैं, आज उनके सामने अंधकार है और उनका भविष्य भी अंधकारमय है।

मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि एनसीटी ने फिर एक पत्र दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को और यहाँ से एक चिट्ठी गई है कि ये जो शिक्षामित्र उत्तर प्रदेश में थे, इनको एकज़ैम्प्ट किया जाता है क्योंकि इन्होंने प्रशिक्षण भी डिस्टैन्स लर्निंग से प्राप्त कर लिया। इनकी रैगुलर टीचर के रूप में सहायक अध्यापक की नियुक्ति हो गई है, इसलिए इनको समायोजन टीचर के रूप में रखना चाहिए। इस चीज़ को लेकर राज्य सरकार अभी एस.एल.पी. में जा रही है। मेरा कहना है कि अगर आठ महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है तो एक निर्देश होना चाहिए कि हमारे शिक्षा मित्र का जो बुनियादी शिक्षा का ढाँचा है, और जो पूरे प्रदेश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके सामने जो आनिश्चय की स्थिति आ गई है, उस स्थिति से बचा जा सके और यह जो सहायक शिक्षक रेगुलर के रूप में 1लाख 70 हज़ार नियुक्त हो गए हैं, इनको यथावत् रखा जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री पी.पी. चौधरी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री जनक राम (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1962 में भारत-चीन युद्ध में उपयोग हुआ गोपालगंज जिला का सब्या एयरपोर्ट जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, बहुत लंबे अर्से से बंद पड़ा हुआ है जिसकी ज़मीन पर भी बड़े पैमाने पर आतिक्रमण हुआ है। गोपालगंज के आसपास के जिलों की जनता डोमैस्टिक एयरपोर्ट चाहती है। यहाँ पर्याप्त ज़मीन की उपलब्धता है। कुछ ही दूरी पर नेपाल का बार्डर होने के नाते सामरिक रक्षा के दृष्टिकोण से भी एक एयरपोर्ट तैयार किया जा सकता है जिससे कि इस जगह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय

पहचान दिलवाकर यहाँ रोज़गार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ाई जा सकती हैं और इसकी ज़मीन को आतिक्रमण से भी रोका जा सकता है। सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, नागर विमानन मंत्री जी से विनती करूँगा कि भारत सरकार के संबंधित विभाग से विशेषज्ञों की एक टीम यहाँ भेजकर जनता की इस मांग पर शीघ्र विचार कर यहाँ पुनः निर्माण कराए जाने की रूपरेखा तैयार करने की कृपा करें।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशेष तौर पर रेल मंत्री जी का ध्यान जम्मू कश्मीर प्रदेश के जम्मू शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है और जम्मू कश्मीर प्रदेश की राजधानी भी है। वहाँ 1972 में रेल पहुँची थी और उन्हीं दिनों जम्मू रेलवे स्टेशन बना था। रेलवे स्टेशन पर रेलों के रुकने के लिए तीन प्लेटफार्म बने थे। उस समय रेलगाड़ियों की संख्या भी कम थी और उस समय यात्री और टूरिस्ट भी कम जाते थे, लेकिन आज की तारीख में तीन ही प्लेटफार्म हैं जबकि 35 और 40 के बीच गाड़ियाँ जम्मू पहुँचती हैं। देश से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, कश्मीर और जम्मू को देखने के लिए टूरिस्ट्स आते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं और दर-ब-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कारण यही है कि केवल तीन प्लेटफार्म्स हैं, रेलगाड़ियाँ लेट हो जाती हैं और लेट पहुंचती हैं और लेट ही वहां से चलती हैं। यह एक समस्या जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। मेरी रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से प्रार्थना है कि यह जो जम्मू शहर जम्मू-कश्मीर प्रदेश की राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए तथा जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुविधा के लिए यहाँ तीन प्लेटफॉर्म और बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें तेजी लाई जाए और तीन प्लेटफार्म यहाँ जल्दी बनाए जाएँ ताकि देश और दुनिया से आने वाले जो टूरिस्ट्स और यात्री हैं तथा जो सफर करने वाले लोग हैं, उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। रेल भी समय से चले और समय से पहुँचे। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने मुझे उठाने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग दो लाख कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं, काफी हद तक हो भी गए हैं। जो इंस्पैक्टर और कांस्टेबल पुलिस में अपनी मैरिट पर भर्ती हुए थे और जो एस.सी. एस.टी. को बिलांग करते थे, उनको डिमोट कर दिया गया है। वे सड़कों पर आ गए हैं। जो चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, वे एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर हो गए हैं। सन् 1997 में पाँच आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार हुई थी। मैं इत्तेफाक से अनुसूचित जाति जनजाति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आन्दोलन हुआ, वाजपेयी जी की सरकार ने 85वां संविधान संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण का रास्ता साफ किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उसी 85वें संविधान संशोधन के ऊपर सुनवाई की कि वैध है कि नहीं है। उसकी भी पैरवी हमने ही की थी, तब जाकर पदोन्नति में आरक्षण बचा था। पांच जजेज़ की बैंच का यह फैसला था कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन लगता है कि लखनऊ हाईकोर्ट की दो जजेज़ की बैंच का फैसला 04.01.2011 को कहता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, जबकि मैं समझता हूं कि गलत है, क्योंकि पांच जजेज़ की बैंच से यह छोटी बैंच है और हाईकोर्ट का है।

उत्तर प्रदेश के कर्मचारी/आधिकारी इस समय बहुत प्रताड़ित हैं और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार से बड़े दुखी हैं। हजारों-लाखों की संख्या में सात दिसम्बर को रामलीला मैदान में अपनी बात को कहने के लिए पहुंच रहे हैं। वहां उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि फौरन सरकार कदम उठाये और उनकी पदावनति नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना देश में एक महत्वपूर्ण रोजगार गारण्टी योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और मजदूरों को रोजगार प्रदान करने की गरीबी हटाने में मदद मिल रही है। उन्हें अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को भी सशक्त करने में मनरेगा काफी हद तक सफल रही है। यह योजना दोहरे कार्यलक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है, जैसे जल संरक्षण नवीकरण, ग्रामीण सम्पर्क पथ जैसी कई योजनाओं पर इससे कार्य किया जा रहा है। अब तो विश्व बैंक ने भी मनरेगा को सराहा है और संसार के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया है।

अपने देश में करीब 18.50 करोड़ निम्न एवं मध्यम वर्ग की महिलाएं एवं पुरुष रोजगार गारण्टी कार्यक्रम से लाभ ले रहे हैं, लेकिन विगत दो वर्षों से लगातार मनरेगा में बिहार में पैसा नहीं जा रहा है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2012-13 में लगभग 20.88 लाख परिवारों को रोजगार मिला। 2014-15 में घटकर मात्र 10.59 लाख परिवारों को लाभ मिला। आश्चर्य तो तब होता है, जब 2015-16 में मात्र 2.72 लाख परिवारों को ही लाभ मिल रहा है।

मैं इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि मनरेगा का जो पैसा है, राज्य सरकार को जल्द से जल्द भेजा जाये, जो लगातार गरीब और बी.पी.एल. परिवार के लोग हैं, जो उसमें काम करने वाले हैं, उनको पैसा आज तक नहीं मिला। लगातार वे बेरोजगारी के सवाल पर जूझ रहे हैं। मैं विनती करूंगा कि बिहार को मनरेगा का पैसा जल्द से जल्द दिया जाये, जिससे गरीबों को राहत मिले।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द के ब्यावर में निकलने वाली रानीखेत एक्सप्रैस, जो काठगोदाम से जैसलमेर की ओर जाती है, इसके ठहराव के सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

ब्यावर राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र है और मिनरल्स की हृदयस्थली है। यहां पूरे भारत से सभी क्षेत्रों के लोग आते-जाते रहते हैं, व्यापारी आते-जाते रहते हैं। इस ब्यावर क्षेत्र से लोगों को आवागमन के साधन के लिए इस रानीखेत एक्सप्रैस का अगर ब्यावर में ठहराव दिया जाये तो इससे रेलवे को भी आर्थिक लाभ होगा और वहां के व्यापारियों को भी सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यावर के अन्दर सुबह चार बजे से लेकर रात्रि के नौ बजे के बीच में जयपुर और दिल्ली के बीच में कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। 14 घण्टे तक वहां कोई साधन आने वाले लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। यह गाड़ी अगर वहां ठहराव करती है तो इसके डैस्टीनेशन पर पहुंचने पर भी कहीं विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि अजमेर का जो ठहराव समय है, उसमें से थोड़ी सी कटौती करके अगर ब्यावर में इसका ठहराव किया जाये तो रेलवे को भी इसका फायदा होगा और वहां की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा।

आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करे और सहयोग दे। धन्यवाद।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, किसी व्यक्ति की, परिवार की और राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष

ध्यान देने के आग्रह के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि पूरे देश के अन्दर आपातकालीन स्वास्थ्य की बहुत ही सोचनीय स्थिति है।

श्रीमन्, हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल एक प्रतिशत व्यय करते हैं, जबकि चीन तीन प्रतिशत और अमेरिका आठ प्रतिशत व्यय करता है। अभी भी उस दिशा में हमारा ध्यान नहीं है, जहां लाखों लोग चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। वहीं अगर सड़क दुर्घटना की बात की जाए, तो एक घंटे में सोलह से आधिक लोग दम तोड़ रहे हैं। इस वर्ष देखा जाए तो डेढ़ लाख लोग केवल और केवल सड़क दुर्घटना में दम तोड़ रहे हैं।

श्रीमन्, ऐसी स्थिति में अगर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है तो एक घंटे के आधार पर मुश्किल से दस और बीस प्रतिशत घटनाओं में एम्बुलेंस नहीं मिलती है। जिसमें मिलती भी हैं, उनमें से 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत में तात्कालिक प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिलती है। उपकरणों का अभाव है और जो प्रशिक्षित स्टाफ है, उसका भी अभाव है। इसलिए बहुत सारे लोग इसके अभाव में दम तोड़ देते हैं।

श्रीमन्, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमने उत्तराखण्ड में 108 नम्बर की आपातकालीन सेवा शुरू की थी, जो वहां की प्राणदायिनी बन गयी थी, जिसने वहां लाखों लोगों की जान को बचाया है। यहां तक कि चलती हुई एम्बुलेंस में प्रसव के समय भी हजारों बच्चों ने जन्म लिया है। ऐसी मां, बहनें और बच्चों की उस 108 सर्विस ने रक्षा की है। वर्तमान में वहां पर 108 नम्बर की सेवा दम तोड़ रही है।

महोदय, ऐसी आपातकालीन सेवा, जो जीवन की रेखा बन जाए, ऐसे उत्तराखण्ड और उसके सीमावर्ती राज्यों में ब्लॉक स्तर पर इसे आनिवार्य रूप में किया जाए और राष्ट्रीय स्तर पर, उच्च स्तर पर आपातकालीन सेवाओं को और सशक्त किया जाए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हाड़ौती संभाग की कई महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना केन्द्रीय जल आयोग में लंबित हैं। इन योजनाओं के स्वीकृत होने से कोटा और बारा की आधिकांश ज़मीनों पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, वहां पेयजल की योजनाओं के माध्यम से लोगों को साफ पीने का पानी भी मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हाड़ौती की परवन सिंचाई परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए है, इसे राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना में शामिल करने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। इसी तरीके से काली सिंध-II की परियोजना, जिसकी लागत 700 करोड़ रुपए है, वह जल आयोग में विचाराधीन है। इसको भी बहुत जल्द स्वीकृति दी जाए।

महोदय, बूंदी जिला मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। वर्ष 2010 में बूंदी जिले में गरदड़ा बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारण हजारों बीघा ज़मीन परती पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है केन्द्रीय जल आयोग के अंदर गरदड़ा बांध की जो ड्राइंग और डिज़ाइन लंबित पड़ी हुई है, इसे भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाए, ताकि गरदड़ा बांध का निर्माण हो सके।

महोदय, राजस्थान के तीन नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव के डी.पी.आर. बनाने का प्रस्ताव लंबित है। इससे पार्वती, काली सिंध नदियों का सरप्लस पानी बनास, गंभीर और पार्वती नदियों में आएगा, जिससे आठ जिलों के लोगों को सिंचाई और पेयजल का पानी उपलब्ध होगा। उसी तरीके से, जायका स्कीम-2 के अंतर्गत 3,461 करोड़ रुपए के विभिन्न तालाबों, नहरों के जीर्णोद्धार के ऋण के प्रस्ताव भी लंबित पड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इनको भी जल्दी स्वीकृति दी जाए, ताकि राजस्थान के खेतों को पानी मिल सके और लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में मध्य प्रदेश, जबलपुर मंडल के अंतर्गत गुना-मक्सी रेलखंड आता है। जिस पर गुना से इंदौर के मध्य कोई भी रेल नहीं चलती है। इसके लिए रेलवे प्रशासन को गुना से इंदौर के मध्य इंटरसिटी एक्सप्रेस रेल चलाने की सख्त आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक नगर इंदौर होने से गुना, ब्यावरा, पचौर, राजगढ़, सारंगपुर इत्यादि आधिकांश स्थानों से इंदौर के लिए ही व्यापारिक सारे काम होते हैं। गंभीर बीमारियों के लिए भी तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के इंदौर का आवागमन काफी लंबा और असुविधापूर्ण बना हुआ है। इस क्षेत्र में एकमात्र रेल खंड गुना-मक्सी है। इस पर प्रतिदिन लगभग 5 से 7 हजार लोग यात्रा करते हैं। रेल सुविधा नहीं होने की वजह से क्षेत्र के विकास में कई प्रकार की बाधायें आती हैं।

श्रीमान् से आपके माध्यम से निवेदन है कि गुना-मक्सी रेल खंड पर एक इंटरसिटी गुना से इंदौर के लिए चलाई जाए तो क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, धन्यवाद।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरता है। मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर से गुजरात सीमा के रतनपुर जिला डूंगरपुर

तक के गुजरने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भारी संख्या में रहता है। इस कारण से इस मार्ग पर लगभग दो-दो फिट के गड्डे पड़े हुए हैं। इसकी वजह से प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं और जनहानि होती रहती है। पिछले कई वर्षों से इस मार्ग पर टोल शुल्क वसूला जाता है, परन्तु इसकी एवज में इस मार्ग की देखरेख और मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जा रहा है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि आतिशीघ्र उदयपुर से रतनपुर जिला डूंगरपुर तक गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की मरम्मत कराने की कृपा करें, जिससे दुर्घटना एवं जनहानि रोकी जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह और श्री पी.पी. चौधरी को श्री अर्जुन लाल मीना द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अन्तर्गत बैरगनिया रेलवे स्टेशन मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के समस्तीपुर रेल मंडल के सीतामढ़ी-रक्सौल रेल खंड पर है। बैरगनिया प्रखंड भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है। बार्डर के दूसरी तरफ नेपाल का गौर नामक पुराना और बड़ा शहर अवस्थित है। बैरगनिया में जहाँ एक ओर भारत सरकार के कस्टम विभाग का सीमा शुल्क कार्यालय है, वहीं दूसरी ओर नेपाल सरकार का बड़ा भंसार कार्यालय है।

विदित हो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बैरगनिया और गौर दोनों शहर अपने-अपने देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत-नेपाल दोनों देशों को जोड़ने के लिए पहले से ही बेहतर सड़क

मार्ग निर्मित है, जिससे कि न सिर्फ बैरगनिया या गौर के आम लोगों बल्कि दोनों देशों के दूर-दराज के व्यापारियों का बैरगनिया शहर आना-जाना होता है। इनका मुख्य रेलवे स्टेशन बैरगनिया ही है। विदित हो कि 15वीं लोक सभा में मेरे प्रयास से तत्कालीन रेल मंत्री जी के द्वारा बैरगनिया रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर रेल विभाग की 50 एकड़ से भी आधिक जमीन खाली पड़ी हुई है। बैरगनिया के व्यापारियों की शुरू से यह माँग रही है कि यदि उक्त खाली जमीन पर रेलवे के रैक प्वाइंट का निर्माण हो जाता है तो बैरगनिया के व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही कस्टम ऑफिस होने के कारण नेपाल के व्यापारी भी इस रैक प्वाइंट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत सरकार को भी राजस्व का लाभ मिलेगा।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनहित में पूर्व-मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत बैरगनिया स्टेशन पर रैक प्वाइंट का निर्माण कराया जाए, जिससे बैरगनिया के साथ-साथ इसके आसपास के इलाके के व्यापारियों की कठिनाई दूर हो और राजस्व की भी वृद्धि हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र के मऊ शहर में मऊ रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकास करने की स्वीकृति रेलवे मंत्रालय द्वारा दी जा चुकी है और इसके निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा धन राशि भी दे दी गयी है। धनराशि दिये जाने के बावजूद आज तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

इसके साथ ही दिनांक 23.11.2015 को बलिया में माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी ने इंदारा दोहरी घाट रेलवे लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की घोषणा की है। सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि मऊ स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाये और माननीय रेल मंत्री जी ने इंदारा दोहरी घाट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की घोषणा की है, उसके लिए आगामी बजट में धनराशि आवंटित किया जाये ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ आस-पास के जिलों, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर आदि के लाखों लोगों को इसका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री हरिनारायण राजभर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र की एक समस्या को लेकर आया हूं। हरियाणा के अंदर तीन पासपोर्ट केन्द्र है, एक गुड़गांव केन्द्र, जो दिल्ली को केटर करता है, दूसरा चंडीगढ़ पासपोर्ट केन्द्र, जो पंजाब के पासपोर्ट को हैंडल करता है और तीसरा पिछली सरकार द्वारा अंबाला में बनाया गया केन्द्र है। आज हिसार के किसी व्यक्ति या सिरसा-भिवानी के किसी व्यक्ति को पासपोर्ट बनवाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर दूर अंबाला जाकर पासपोर्ट की आप्लिकैशन लगानी पड़ती है। आज हिसार में युनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और उद्योग भी हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से यह मांग करता हूं कि एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र हिसार के लोगों के लिए हिसार में बनाये, जिससे केवल हिसार जिले को ही नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक, भिवानी, जिन्द, फतेहबाद, सिरसा, इन सब जिलों को फायदा भी मिलेगा और आज जिन लोगों को अंबाला का तीन-चार चक्कर लगा कर अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, उनको भी हिसार के अंदर यह सुविधा मिल पायेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से यही मांग करता हूं कि हिसार में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोला जाये।

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, बिहार में हमारे संसदीय क्षेत्र नावा नगर थाना के अंतर्गत विगत दिनों एक महादलित गरीब परिवार, शिव जी, पासी के चौदह वर्षीय गुंगी बच्ची के साथ छठ प्रसाद संदेश के रूप में बांटने के क्रम में, इसराफिल उर्फ राजू ने उसे अपने घर में जबर्दस्ती ले जाकर, उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद वह लगातार चौकी के नीचे बेहोश पड़ी रही, उसके मुंह से फेन निकल रहा था। मोहल्ले

वाले ने खोज कर उस पीड़िता को निकाला और आम जनता ने मिल कर राजू को थाने में सुपुर्द किया। आज 12 दिन हो गये हैं, लेकिन आज तक उस बच्ची का सघन इलाज प्रशासन और सरकार ने नहीं किया है। यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं स्वयं जांच टीम के साथ गया था। आज उस घटना का बारहवां दिन है, वहां धरना-प्रदर्शन, स्वतः बाजार बंद हो रहे हैं, वहां लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा इस घटना को झूठलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने कल इस आशय का महामहिम राज्यपाल जी को भी ज्ञापन सौंपा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस घटना का विशेष मेडिकल टीम द्वारा जांच करायी जाये तथा पीड़िता की सघन चिकित्सा-व्यवस्था की जाये जिससे उसकी जान बच सके। साथ ही, पीड़िता को 25 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर भुगतान करने एवं उसे इंदिरा आवास के तहत भवन निर्माण कराया जाये। इस घटना को दबाने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर दंडित करने तथा दुष्कर्म करने वाले अपराधी को कठोर सजा दी जाये। इसके साथ ही पीड़िता का साथ देने वाले लोगों के ऊपर से असत्य मुकदमा वापस लिया जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहूंगा, जिसमें पाल्क खाड़ी में शांतिपूर्वक अपनी पारंपरिक आजीविका चलाने के दौरान तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े जाने और गिरफ्तार किए जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला शामिल है।

हालिया घटना में, रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम मछली पकड़ने के अड्डे और पुदुकोट्टई जिले में जगथापट्टिनम मछली पकड़ने वाले गांव से दो मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं में मछली पकड़ने के लिए निकले आठ मछुआरों को 29.11.2015 की सुबह श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें श्रीलंका के कांकेसंथुरई ले जाया गया।

इस संबंध में तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इसलिए, विदेश मंत्रालय को इस मामले को श्रीलंकाई प्राधिकारियों के साथ ठोस और निर्णायक तरीके से उठाना चाहिए ताकि 37 मछुआरों और 55 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तत्काल रिहाई सुनिश्चित की जा सके, जिनमें 29.11.2015 को पकड़े गए आठ मछुआरे और दो मछली पकड़ने वाली नौकाएं शामिल हैं। साथ ही, चार भारतीय मछुआरों और उनकी मोटर चालित नौकाओं की वापसी में भी तेजी लाई जाए, जो यांत्रिक खराबी के कारण 8.11.2015 को श्रीलंकाई तट पर पहुंच गई थीं और अभी भी वहां फंसी हुई हैं।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): महोदय, मैं सरकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सिफारिश करना चाहता हूं।

गुजरात सी.एम.ओ. (मुख्यमंत्री कार्यालय) ने श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जनवरी, 2009 में आई.एस.ओ.-9001:2000 प्रमाणन प्राप्त किया। गुजरात सी.एम.ओ. देश में पहला था जिसने आई.एस.ओ. 9001: 2000 प्रमाणन प्राप्त किया था। यह प्रमाणन "प्रशासन और समग्र शासन" के लिए दिया जाता है। यहां उल्लेखनीय पहलू यह है कि प्रमाण पत्र को दिखावे के लिए कागज के टुकड़े के रूप में प्राप्त नहीं किया गया था, बल्कि सी.एम.ओ. में प्रक्रियाओं में वास्तव में एक स्पष्ट परिवर्तन आया था। प्रदर्शन मानकों के लिए एक तीसरे पक्ष द्वारा सी.एम.ओ. का ऑडिट किया गया था।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) का उपयोग सभी आंतरिक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। अधिकांश सी.एम.ओ. ऑनलाइन हैं; 80 प्रतिशत सी.एम.ओ. पेपरलेस है। मुख्यमंत्री के साथ कोई भी संवाद ऑनलाइन

होगा। किसी को भी अपना अपॉइंटमेंट लेना हो, आवेदन करना हो, सब ऑनलाइन ही किया जाता है। मैंने सुना है कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें प्रतिदिन 500 मेल आते थे, लेकिन स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग के बाद, उन्हें प्रतिदिन लगभग 150-200 मेल का सारांश भेजा जाता था। वे प्रतिदिन प्रत्येक मेल पर टिप्पणी करते और उत्तर देते थे। सभी मेल संबंधित विभागों को भेज दिए गए तथा मासिक आधार पर उनका अनुवर्तन किया गया। उन्हें प्राप्त प्रत्येक मेल को संग्रहित कर लिया गया तथा उचित तरीके से दर्ज कर लिया गया। यह आई.एस.ओ. प्रमाणन की खूबी है। यह पारदर्शिता, जवाबदेही विकसित करता है और तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे गुजरात सी.एम.ओ. की तर्ज पर एक कार्य योजना तैयार करें और पहले चरण में देश के सभी सी.एम.ओ. और दूसरे चरण में केंद्र सरकार के सभी विभागों और तीसरे चरण में सभी राज्य सरकार के विभागों को आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन राम मेघवाल को श्री थोटा नरसिम्हन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में ओडिशा के जगतसिंहपुर जिला मुख्यालय में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदम की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस संबंध में संगठन की एक टीम ने इलाके की व्यवहार्यता और मानदंडों का सर्वेक्षण किया और वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का आश्वासन दिया। जगतसिंहपुर जिले के कलेक्टर ने इस उद्देश्य के लिए 8 एकड़ से अधिक भूमि का सीमांकन भी कर दिया है। हालांकि, सिधल में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र केन्द्रीय विद्यालय, जो पारादीप बंदरगाह में है, जगतसिंहपुर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। इसलिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करना चाहता

हूं कि वे इस मामले को देखें और जिला मुख्यालय जगतसिंहपुर में एक प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे लोक सभा क्षेत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूरे देश में राजस्थान का पाली लोक सभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें सोजत में विश्व प्रसिद्ध मेंहदी का किसान उत्पाद करते हैं और वह वर्षा पर निर्भर करती है। लेकिन आज तक इस उत्पाद को कृषि उत्पाद का दर्जा न देकर अभी भी रासायनिक उत्पाद का दर्जा दिया हुआ है। मेरा सदन के माध्यम से संबंधित सभी मंत्रालयों से निवेदन है कि मेंहदी को कृषि उत्पाद का दर्जा दिया जाए जिससे किसानों को इसमें होने वाली हानि, क्योंकि अन्य किसानों को जो मुआवजा आदि मिलता है, वह इन किसानों को भी मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री पी.पी. चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम।

पूरे तमिलनाडु राज्य में 7,94,697 जनजातीय लोग हैं, जो देश की कुल जनजातीय आबादी का 1.10 प्रतिशत और तमिलनाडु की जनसंख्या का 0.76 प्रतिशत है।

कोडईकनाल को कभी-कभी “पहाड़ी स्टेशनों की राजकुमारी” कहा जाता है। तमिलनाडु के डिण्डीगुल जिले में अदुक्कम, किलाकुचेट्टीपट्टी, वादागौंची, थांडीकुडी, टूलथुर, कूकल और कमानूर नामक 16 पंचायतों वाले 30 आदिवासी गांव हैं। डिण्डीगुल जिले में आदिवासी आबादी की कुल संख्या 6,484 है। कोडईकनाल

हिल स्टेशन की 16 पंचायतों और एक नगर पालिका में जनजातीय आबादी की कुल संख्या 2,014 है। वन हमेशा से ही जनजातीय निवासियों के लिए आजीविका और सांस्कृतिक संपर्क का एक खुला संसाधन रहे हैं।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक रूप से वंचित समूहों *अर्थात* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है। प्रमुख कल्याणकारी गतिविधियां शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, आवास और अन्य योजनाएं, विशेष घटक योजना कार्यक्रम और जनजातीय उप-योजना कार्यक्रम हैं। केंद्र सरकार ने "भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट" को दबा दिया है।

मैं जनजातीय मामलों के मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे रिपोर्ट को स्वीकार करें और कोडईकनाल पहाड़ियों और पूरे देश में जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वन क्षेत्रों में आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करके वहां शिक्षा प्रदान करने के लिए जनजातीय बस्तियों के विकास तथा जनजातीय समुदाय निवास क्षेत्रों के लिए सड़क और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए ढांचागत सहायता प्रदान की जाए। केन्द्र सरकार को वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए जनजातीय बस्तियों में कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार को सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पश्चिमी राजस्थान की एक समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इस वर्ष जो रेनफॉल हुई है, अंतिम समय में रेनफॉल न होने से सारी फसलें 35% से 45% ही पैदावार हुई है, विशेष तौर से मूंग जिसकी दाल बनती है। महाराष्ट्र में अच्छी पैदावार न होने से इस वर्ष मूंग के अच्छे भाव मिल रहे थे उनकी अच्छी कीमत मिल रही थी, इसी बीच सरकार के द्वारा स्टॉक लिमिट कर देने से व्यापारियों ने कृषि

ऊपज मंडियों से खरीदना बंद कर दिया। मैं आपके माध्मय से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मूंग प्रोड्यूसिंग एरिया में कृषि ऊपज मंडी के ऊपर नहीं स्टॉक लिमिट न लगाया जाए, दूसरी जगह जैसे महाराष्ट्र में स्टॉक किया जाता है, बड़े शहरों में किया जाता है उसे वहां लिमिट किया जाए। आज किसान का माल न खरीदे जाने से किसान परेशान है व्यापारियों ने अपने हाथ बिल्कुल खड़े कर दिए हैं क्योंकि स्टॉक लिमिट बहुत कम है इस कारण मंडियों में माल जा रहा है और वह वहीं पड़ी रहती है फिर उसे वापस लाना पड़ता है। अतः आप सरकार को निदेरशित करें कि जहां मूंग की प्रारंभिक कृषि ऊपज मंडी है वहां पर वहां छोटे व्यापरियों के ऊपर स्टॉक सीमा न लागू किया जाए और जिससे किसानों का माल बिक सके।

[अनुवाद]

डॉ. बूरा नरसिया गौड़ (भोंगीर): महोदय, मैं भारत सरकार के ध्यान में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं, जो लगभग 50 प्रतिशत आबादी के लिए विकास कार्यों को जानने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है।

ओ.बी.सी. जनसंख्या जनगणना 1935 में ब्रिटिश सरकार के अधीन आयोजित की गई थी। इस सरकार ने पिछले सत्र में ओ.बी.सी. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराने का वादा किया था। लेकिन अभी तक ओ.बी.सी. जनगणना का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है। जब भी विकास संबंधी एजेंडा अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आता है, अदालतें और विभिन्न एजेंसियां ओ.बी.सी. आबादी का डेटा मांग रही हैं। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत की 60 करोड़ जनसंख्या के लिए केवल 300 छात्रवृत्तियां जारी की जाती हैं।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ओ.बी.सी. आबादी की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों को यथाशीघ्र प्रकाशित करे ताकि समाज के इस वर्ग के साथ न्याय हो सके।

<u>सायं 07.00 बजे</u>

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड के जमशेदपुर लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। झारखंड के लगभग सभी 24 जिले सूखे की चपेट में हैं। सरकार ने राज्य को सूखा प्रभावित घोषित नहीं किया है। झारखंड में जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे धान की फसल बोने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। झारखंड में लगभग 95 प्रतिशत खेतों में फसल की बुआई की गयी थी। अगस्त व सितम्बर में सामान्य से केवल 20-25 फीसदी ही बारिश हुई, जिसके कारण किसानों की स्थिति बेहद चिन्ताजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे झारखंड राज्य को सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाये। गत वर्ष का मुआवजा भी किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। सारी फसलों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। फसल की उत्पादकता 30 प्रतिशत से कम हो चुकी है, जो बेहद चिन्ता का विषय है। इसलिए राज्य शासन के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी किसानों को राहत दिलाने में अपना सहयोग दे, जिसमें फसल बीमा, बिजली के बिल के साथ-साथ किसानों का हर प्रकार का ऋण माफ किया जाये और मुआवजे के तौर पर किसानों को ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध करायी जाये।

[अनुवाद]

[14*]**श्री के. परशुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। कावेरी नदी के पानी का मुद्दा तमिलनाडु से संबंधित विवादास्पद नदी जल मुद्दों में से एक है। वर्ष 1892 और 1924 के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुए समझौतों में कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। जुलाई 1986 के दौरान, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल बंटवारे के संबंध में कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया। मई 1990 में माननीय

[14*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारा अधिनियम, 1956 के अनुसार, केंद्र सरकार ने कावेरी नदी जल बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए जून 1990 में कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। तमिलनाडु सरकार के लम्बे संघर्ष के बाद कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश जारी किया। न्यायाधिकरण ने कावेरी नदी से तमिलनाडु के मेट्टूर बांध तक 205 टी.एम.सी. पानी छोड़ने के सख्त आदेश जारी किए हैं, साथ ही साप्ताहिक और मासिक आधार पर कावेरी नदी के माध्यम से तमिलनाडु को छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा भी तय की है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के निरंतर प्रयासों के कारण, कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण का अंतिम फैसला 19 फरवरी, 2013 को संघीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजपत्र अधिसूचना के बाद तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने माननीय प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना का अनुरोध किया था। यहां तक कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह राय व्यक्त की है कि कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी नदी जल निगरानी समूह की स्थापना करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। माननीय जल संसाधन मंत्री। पिछले दो वर्षों के दौरान कावेरी के माध्यम से तमिलनाडु को अपर्याप्त जल छोड़े जाने के कारण, 12 जून, 2015 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेट्टूर बांध से कृषि प्रयोजनों के लिए जल नहीं छोड़ा जा सका। इससे लाखों किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है। कावेरी डेल्टा जिलों में कुरुवई चावल की खेती में काफी नुकसान हुआ है। इसने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा* की ओर से, कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की ओर से और मेरी अपनी ओर से, मैं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले को पूरी तरह से लागू करें और शीघ्र ही कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना करके तमिलनाडु के किसानों के कानूनी अधिकारों की रक्षा करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बुन्देलखंड में पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस वर्ष कम बारिश के कारण पानी का जलस्तर काफी नीचे चला गया है। तालाब, पोखर व कुएं आदि सब सूख गये हैं। मनुष्य के साथ-साथ पशुओं के लिए भी पीने के पानी का अभाव हो गया है। बांधों में भी जल न रह जाने के कारण आधिकांश नहरें सूखी पड़ी हैं जिससे खेत सूखे पड़े हैं। पुराने लगे हैंडपम्पों ने जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पानी देना बंद कर दिया है। नये हैंडपम्प वर्ष भर से लगाये नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहां हालात विषम है।

अस्तु आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट एवं बांदा जनपद में पीने के पानी की समस्या के तुरंत निदान हेतु कम से कम एक हजार नये गहरे हैंडपम्प लगाये जायें एवं तालाबों, पोखरों को भरवाकर पेयजल समस्या का तुरंत निदान कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

सभा कल,1 दिसम्बर, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित होती है।

<u>सायं 07.04 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 दिसंबर, 2015 / 10 अग्रहायण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित